राजस्थान विधान सभा

३१वीं बैठक, सोमवार, दिनांक १६ अप्रेल, सन् १९५६

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८ बजकर ८ मिनट पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ४७९

श्री अध्यक्ष—रावराजा श्री सरदारसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४८०

राजस्थान प्रान्त के निर्माण के पश्चात् राजस्थान के पुराने व नये मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को दी गई भूमियां

श्री भैंरूसिंह—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे— (क) राजस्थान प्रान्त के निर्माण से अब तक राजस्थान में बनने वाले किसी भी मन्त्री मंडल के किन किन सदस्यों को कितनी कितनी भूमि जयपुर के १० मील के फासले में काश्त के लिये दी गई है ?

(ख) क्या जिनको यह भूमि दी गई है, वे न पहले काश्त करते थे, न अब करते हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि उनको यह भूमि सरकार द्वारा स्पेशल केस समझ कर दी गई है ?

(घ) यदि हां, तो इनको इस प्रकार की विशेष सुविधा देने के क्या कारण हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—(क) श्री नरोत्तमलाल जोशी, ३० बीघा। श्री कुम्भाराम आर्य, २७॥। बीघा।

जयपुर शहर के दस मील के अन्दर काश्त के वास्ते दी गई।

(ख) ये सज्जन पहले काश्त नहीं करते थे, अब करते हैं।

(ग) जयपुर शहर के दस मील के अन्दर काश्त की जमीन देने के नियम के रूल १, शिड्यूल चार के मुताबिक जमीन नियमानुसार सरकार ने दी है।

(घ) ये जमीन में फल और सब्जी लगाना चाहते थे।

प्रश्न संख्या ४८१

डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन के जनवरी से दिसम्बर, १९५५ तक के दौरे व उनसे टी. ए., डी. ए.

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन १ जनवरी, १९५५ से आखीर दिसम्बर, १९५५ तक कितने दिन के लिये हैडक्वार्टर के बाहर रहे ?

(ख) उक्त दिनों में जयपुर में कितने समय के लिये रहे और अन्य स्थानों पर कितने समय के लिये ?

(ग) उक्त दिनों में किन किन स्कूलों का निरीक्षण किया गया ?

(घ) सन् १९५५ का टी० ए० व डी० ए० का कुल कितना खर्चा होता है ?

(ङ) सन् १९५५ में जयपुर में कितनी मरतबा आये और उसका टी. ए. व डी. ए. का बिल कितना होता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(क) २३१ दिन।

(ख) १६२ दिन तक जयपुर रहे, व ५६ दिन तक अन्य स्थानों पर।

(ग) सदस्य महोदय की जानकारी के लिये इसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है। (सूची आगे पढ़ कर सुनाई गई)

[श्री दामोदरलाल व्यास]

(घ) ४१५१ रु० ५ आने खर्च हुआ।

(ङ) २१ ट्रिपें जयपुर व बीकानेर के बीच में हुई और २१२३ रु० १२ आने टी०ए० व डी ए० पर खर्च हुए।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, पहले की तरह अब भी मेरी शिकायत यही है कि जो तालिका सदन की मेज पर रखने के लिये कहा गया है वह मुझे नहीं मिली।

श्री दामोदरलाल व्यास— I was under the impresson that the list has been deliverd to the Hon'ble member. Now I will read it out-

1. Office of the Dy. Director of Education, Jaipur.
2. " " Inspector of Schools, Jaipur.
3. " " Inspector of Sanskrit Pathshalas, Jaipur
4. " " Inspector of Schools, Alwar.
5. Yashwant High School, Alwar.
6. Pratap High School, Alwar.
7. Office of the Dy. Director of Education, Jodhpur.
8. Office of the Inspector of Schools, Jodhpur.
9. Office of the Dy. Inspectress of Girls Schools, Jodhpur.
10. Mahatma Gandhi High School, Jodhpur.
11. Office of the Inspector of Schools, Kotah.
12. Office of the Dy. Inspectress of Girls Schools. Kotah
13. City High School, Kotah.
14. Maharani Inter College, Kotah.
15. New High School, Kotah.
16. Office of the Dy. Director of Education, Udaipur.
17. Office of the Inspector of Schools, Udaipur.
18. Office of the Dy. Inspectress of Girls Schools, Udaipur.
19. Fateh High School, Udaipur.
20. Lambardar High School, Udaipur.
21. Office of the Inspector of Schools, Bharatpur.
22. Office of the Dy. Inspectress of Girls Schools, Bharatpur.
23. High School, Bharatpur.

श्री चांदमल मेहता—जयपुर में वर्ष में १६२ दिन तक रहने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—सरकारी कार्य के लिये।

श्री चांदमल मेहता—वे ऐसे कौन से सरकारी कार्य थे जिनसे वर्ष के आधे हिस्से में या आधे से अधिक हिस्से में जयपुर में रहने की जरूरत हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—एजुकेशन डिपार्टमेंट से सम्बन्धित कार्य।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस वर्ष में ये सम्बन्धित कार्य अधिक बढ़े हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो हर वर्ष काम रहते ही हैं और आवश्यकता के अनुसार जयपुर में आते हैं।

श्री चांदमल मेहता—इतने अधिक दिन तक जयपुर में रहने की बात को देखते हुए उनका और उस कार्यालय का जयपुर में तबादला करने की बात पर सरकार विचार करती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—इस अनावश्यक और निरर्थक खर्चे को रोकने के बारे में सरकार के दिमाग में क्या बात है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह अनावश्यक नहीं है। आवश्यकता से ही आते हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि हैड क्वार्टर पर डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन के नहीं मिलने से लोगों को बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ता है और विभाग की भी बहुत असुविधाएं बढ़ गई हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन हैड क्वार्टर पर भी जरूरत के मुताबिक रहते हैं और वैसे डिप्टी डाइरेक्टर का भी आफिस वहां है।

श्री चांदमल मेहता—फिर वर्ष में सिर्फ ६२ दिन अन्य स्थानों का निरीक्षण करने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—निरीक्षण का कार्य भी उनका है, करते हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो खर्चा बतलाया गया है, वह पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास —वह पूर्ण है, बिल्कुल।

श्री चांदमल मेहता—१६१ दिन और २५६ दिन का क्या यह सही है कि टी. ए. डी. ए. का खर्चा इतना ही आता है, जितना बताया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी हां।

श्री चांदमल मेहता—इसमें टी. ए. का कितना है और डी. ए. का कितना है ?

श्री अध्यक्ष—यह सब हिसाब आप लगाते रहें।

श्री चांदमल मेहता—ये गलत फिगर देते हैं, इसलिये जरूरत हो गई।

श्री दामोदरलाल व्यास—इसके अलग अलग फिगर मेरे पास इस समय नहीं हैं।

प्रश्न संख्या ४८२

बन्दोबस्त विभाग के इन्सपेक्टर्स की न्यूनतम निर्धारित योग्ता एवं इन इन्सपेक्टर्स की तरक्की

श्री भैंरू सिंह—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देगें :

(क) बन्दोबस्त विभाग के इन्सपेक्टर्स की सरकार द्वारा न्यूनतम निर्धारित योग्यतायें क्या हैं ?

(ख) क्या इन्सपेक्टर्स का वर्तमान वेतन उनकी योग्यता के अनुरूप है ?

(ग) क्या इन्सपेक्टर्स की योग्यता वाले कर्मचारियों को अन्य विभागों में इनके वर्तमान वेतन से अधिक वेतन मिलता है ?

(घ) क्या यह सही है कि इन इन्सपेक्टर्स को फिक्सड् यात्रा खर्च व भत्ता मिलता है, यदि हां, तो क्यों ?

(ङ) बन्दोबस्त विभाग के और किन किन कर्मचारियों को फिक्स्ड यात्रा खर्च व भत्ता मिलता है ?

(च) क्या बन्दोबस्त के इन्सपेक्टर्स को नायब तहसीलदार या अन्य ओहदे पर तरक्की दी जा सकती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(छ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में किन किन इन्सपेक्टर्स को क्या २ तरक्की दी गई ? तरक्की देने के क्या नियम हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(क) जो व्यक्ति अलग अलग इकाइयों में इन्सपेक्टरों के पदों पर काम कर रहे थे, वे ट्रान्सफर कर दिये गये और जो अनुभवी व अच्छे अमीन होते हैं उनको अफसरों की सिफारिश पर तालीम व योग्यता के लिहाज से तरक्की या तकर्रर किया जाता है ।

(ख) इन्सपेक्टरों का ग्रेड ५०।२।७० था, जो अब १।३।५६से ६०।४।६०।५।१२०।७।१५० हो गया है। जो एकीकरण में फिक्स किये गये हैं उनकी तनख्वाह उनकी इकाई की तनख्वाह के आधार पर है और जिनको तरक्की मिलती है या नया रक्खा जाता है, उनको ६०) रुपयों से शुरू किया जाता है।

(ग) प्रत्येक विभाग के कर्मचारियों की अलग अलग योग्यता होती है इसलिये यह सवाल नहीं उठता।

(घ) इन इन्सपेक्टरों को फिक्स्ड यात्रा खर्च व भत्त मिलता है, इस वजह से कि जो लोग ज्यादा तर दौरों में रहते हैं, उनको फिक्सड टी. ए. में ही सहूलियत है और यही अमल अन्य रियासतों में भी है ।

(ङ) केवल इन्सपेक्टरों को ही फिक्स्ड यात्रा खर्च व भत्ता मिलता है।

(च) बन्दोबस्त के इन्सपेक्टरों में अगर जरूरी योग्यता हो तो उसको नियमानुसार नायब तहसीलदार के पद पर तरक्की दी जा सकती है ।

(छ) गत तीन वर्षों में जिन इन्सपेक्टरों को सेलेक्शन बोर्ड ने जिस तरह सदर कानूनगो को रेवेन्यू में नायब तहसीलदार के योग्य माना था उनको नायब तहसीलदारी पर तरक्की दी गई है। जिस तरह सदर कानूनगो को रेवेन्यू में नायब तहसीलदार किया जाता है उसी तरह सदर मुंसरिम बन्दोबस्त भी तेश्त जरूरत किये जाते हैं। जिन इन्सपेक्टरों को नायब तहसीलदार, ए. एस. ओ. बनाया गया उनकी सूची इस प्रकार है:—सर्वश्री लेखराम, सुखराज पुरुषोत्तम, ए, बी. त्रिवेदी, सोमदत्त, तेजसिंह, कनी राम, नरेन्द्रमल, हरिनारायण, रिषभचन्द, भेरूदत्त, श्यामलाल, मनफूल सिंह, तखुरसिंह, अमर सिंह, अब्दुलरहमान, किशोर सिंह, ईश्वरीसिंह। इन सदर मुंसरिमों को भी नायब तहसीलदार के बराबर में गिना जाता है।

श्री भैरूं सिंह—क्या यह सही है कि सेटलमेंट डिपार्टमेंट में इन्सपेक्टरों के प्रेमोशन के नियम नहीं बने हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—सेटलमेंट और रेवेन्यू दोनों ही विभागों के इन्सपेक्टर नायब तहसीलदार की तरक्की के हकदार हैं।

श्री भैरूं सिंह—जब रेवेन्यू विभाग और सेटलमेंट विभाग के दोनों के इन्सपेक्टरों को नायब तहसीलदार का प्रोमोशन पाने का हक है तो वे दोनों की तनख्वाह में अन्तर क्यों रक्खा जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अब नहीं रक्खा गया।

श्री भैंरू सिंह—इनका टी. ए., डी. ए. फिक्स क्यों रक्खा जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया कि अक्सर इनको टूर में रहना पड़ता है, तो फिक्स्ड रखने से सरकार को और उनको दोनों को सहूलियत रहती है।

श्री भैंरू सिंह—क्या यह सही है कि २० दिन के पच्चीस रुपये माहवार के हिसाब से उनको फिक्स्ड टी. ए., डी. ए. मिलता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—कितना मिलता है, यह मालूम नहीं।

श्री भैंरू सिंह—क्या यह सही है कि इस प्रकार के नियम में यह भी शर्त है कि महीने में बीस दिन कम से कम दौरे में रहना चाहिए, नहीं तो एक दिन के हिसाब से डेढ़ रुपया रोज कट जावेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैंरू सिंह—सेटलमेंट के विभाग पर ही यह शर्त क्यों लगाई गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इस विभाग के इन्सपेक्टरों को अक्सर दौरे पर रहना पड़ता है इसलिए ऐसा रक्खा गया है और अन्य रियासतों में भी ऐसा ही अमल में है।

श्री भैंरू सिंह—यह सहूलियत उनके लिए अच्छी है या सरकार के लिए ?

श्री दामोदरलाल व्यास—दोनों के लिए।

प्रश्न संख्या ४८३

पाठ्य पुस्तकें निश्चित करने हेतु समिति की नियुक्ति एवं समय पर केरीकुलम प्रकाशित न होना

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) पाठ्य पुस्तकें निश्चित करने के लिए क्या कोई समिति बनाई गई है ?

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति कब बनी और उसके कौन कौन सदस्य हैं ?

(ग) पिछले तीन वर्ष में स्कूलें खुलने के कितने कितने समय पूर्व पाठ्य पुस्तकों का करीक्यूलम प्रकाशित किया गया और किस किस केरीक्यूलम की पाठ्य पुस्तकों को समय पर प्रकाशित नहीं होने की वजह से पुरानी पुस्तकें चालू रखने के आदेश दिये गये ?

श्री मती कमला बेनीवाल (उप मन्त्राणी, शिक्षा विभाग)—(क) जी हां।

(ख) उक्त समिति ३ नवम्बर, सन् १९५२ ई० में बनी। इसके सदस्य निम्न प्रकार हैं:—

(१) डा० श्री मथुर लाल शर्मा, अध्यक्ष, शिक्षा विभाग।

(२) डा० के. एन. किन्नी, भूतपूर्व शिक्षा अध्यक्ष, जोधपुर।

(३) श्री पी. पी. साहनी, भूतपूर्व प्रिन्सीपल, जसवन्त कालेज, जोधपुर।

(४) श्री एम. एस. तोलानी, रजिस्ट्रार, राजपूताना विश्व विद्यालय, जयपुर।

(५) श्री एस. एस. सक्सैना, प्रिन्सिपल महाराणा भूपाल कालेज, उदयपुर।

(६) श्रीमती सावित्री भारतीया, प्रिन्सिपल महारानी कालेज, जयपुर।

(७) श्री रामचन्द्र वामन कुम्भारी, सहायक शिक्षा अध्यक्ष, जोधपुर।
यह कमेटी अब कार्य नहीं कर रही है।

(ग) पाठ्य पुस्तकों का केरीकुलम पिछले तीन वर्षों मे केवल सन् ५२ में प्रकाशित हुआ।

(घ) उर्दू की पहली किताब कक्षा ६ के लिये।

(ङ) केरीकुलम स्टेन्डर्ड के अनुसार न होने के कारण पुरानी ही पुस्तकें चालू रक्खी गई।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस समिति को डिजोल्व कर दिया गया?

श्रीमती कमला बेनीवाल—डिजोल्व तो नहीं किया गया पर अब यह वर्क नहीं कर रही है।

श्री चांदमल मेहता—काम नहीं करने का क्या कारण है? क्या सरकार ने उसे आदेश दे दिया है कि वह अपना काम बन्द कर दे?

श्रीमती कमला बेनीवाल—इसकी सूचना मेरी जानकारी में नहीं है। पर इस वक्त यह काम नहीं कर रही है, इतना में जानती हूं।

श्री चांदमल मेहता—अब नई पुस्तकों को निर्धारित करने का काम कौन कर रहा है?

श्रीमती कमला बेनीवाल—अभी जो हो चुका है उसी के हिसाब से निर्धारित की गई हैं। और आगे अभी दूसरा कोई प्रश्न उपस्थित नहीं हुआ जब ऐसा मौका अवेगा तो देखा जावेगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि हर वर्ष मार्च के महीने में इस तरह का आदेश जारी कर दिया जाता है कि पाठ्य पुस्तकों में तब्दीली होने वाली है, इसलिये तब तक पुरानी पाठ्यपुस्तकें न खरीदी जावें।

श्रीमती कमला बेनीवाल—हो तो जाती हैं। पर अफसोस से कहना पड़ता है कि मेरे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं हैं। अगर आप अलग से प्रश्न पूछेंगे तो अच्छी तरह से जानकारी करके उत्तर दे सकूंगी।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, मेरा उत्तर साफ है। फिर यह आदेश कि पठ्य पुस्तकें तब्दील होने वाली हैं, पुरानी नहीं खरीदी जावें, कौन देता है ?

(विराम)

श्रीमती कमला बेनीवाल—मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है। मैं माफी चाहती हूं। यह सारा सवाल ऐसा है कि पूरी जानकारी करना जरूरी है।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, यह जो इस प्रश्न का खण्ड (ग) साफ है। इसके अन्तर्गत जवाब दिया जाना चाहिये कि कितने दिन पहले प्रकाशित की जाती हैं यह खबर और पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशित होने में देर क्यों होती है ? यह सब इसी से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष—उत्तर देने में असमर्थता प्रकट कर दी है।

प्रश्न संख्या ४८४

सन् ५५, ५६ में तहसीलवार नौतोड़ काश्त के लिये दी गई भूमि

श्री जगतसिंह झाला—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना की कृपा करेंगे :

(क) सन् ५५,५६ में हर जिलों की किस किस तहसील में कितनी कितनी भुमि नौतोड़ काश्त के लिये दी गई ?

(ख) क्या यह सच है कि गोचर भुमि का बगैर ध्यान रखे यह भुमि काश्त के लिये दे दी जाती है ?

(ग) क्या सरकार भविष्य में हर गांव में मवेशियों की संख्या के हिसाब से गोचर भुमि निर्धारित कर काश्त के लिये भूमि वितरित करने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, (क) का उत्तर मेरे पास आज उपलब्ध नहीं है , उसका कारण यह है कि माननीय सदस्य ने सब जिलों की सब तहसीलों के सब गांवों की राजस्थान भर की एक सूची मांगी है कि उसमें कितना ही अरसा तैयार होने में लग सकता है ।

श्री अध्यक्ष—कोई खास जिले को चाहते हों तो मांग लीजिये ।

श्री जगतसिंह झाला—प्रश्न बड़े महत्व का है, इस लिए सभी जिलों की चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—तो फिर इन्तजार कीजिये ।

श्री दामोदरलाल व्यास—कोई खास जिले की चाहते हों तो मांग लें ।

श्री जगतसिंह झाला—उदयपुर जिले की आप बता दें ।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया कि अभी मेरे पास मुकम्मिल सूचना नहीं है, खास तौर से जयपुर जिले की सूचना है । इसलिए यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो (क) प्रश्न का उत्तर बाद में दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—जयपुर जिले की चाहते हैं ।

श्री जगतसिंह झाला—नहीं साहब उदयपुर जिले की चाहता हूं ।

श्री दामोदरलाल व्यास—प्रश्न में सब जिले और सब तहसीलों का हवाला है ।

श्री अध्यक्ष—खास जिले का बताईये ।

श्री दामोदरलाल व्यास—Shall I reply to other questions !

श्री अध्यक्ष—Yes.

श्री दामोदरलाल व्यास—(ख) जो भूमि गोचर भूमि घोषित हो चुकी है, उसमें से कोई जमीन काश्त के लिये नहीं दी गई है और न दी जा सकती है ।

(ग) जिस जिस गांव में बिना कब्जा जमीन उपलब्ध है, वहां गोचर भूमि कायम करने के लिए सरकार ने नियम बना दिए हैं । यह कार्यवाही टेनेन्सी रूल्स के अध्याय २ के रूल ६ के अन्तर्गत की जाती है ?

श्री जगतसिंह झाला— क्या नियम बनाये गये हैं ?

श्री दामोदर लाल व्यास—मैंने अर्ज किया कि टेनेन्सी रूल्स के अध्याय २ के नियम ६ के अन्तर्गत।

प्रश्न संख्या ४८५

मार्च व अप्रेल, १६५५ में टांक ब्रादर्स, जयपुर, को फोटोग्राफी के सामान के लिये दी गई धनराशि

श्री भैंरू सिंह—(वि० सं० १६) क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ;–

(क) क्या यह सही है कि मार्च व अप्रेल, सन् १६५५ में टांक ब्रादर्स जयपुर को फोटोग्राफी के सामान आदि के लिये लगभग १०० रुपया समाज कल्याण विभाग से दिये गये थे ?

(ख) यदि हां, तो टांक ब्रादर्स की इन रुपयों की रसीद कौन सी तारीख की है और यह रुपया खजाने से किसने किस लिये कौनसी तारीख को निकलवाया ?

(ग) उपरोक्त सामान किस तारीख को इस विभाग में पहुँचा ?

श्री भोगीलाल पांड्या (समाज कल्याण मंत्री)—(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ४८६

कोटपुतली के वर्तमान एस. डी. ओ. श्री शंभुदयाल की सीनियेरिटी पर पुन: विचार

श्री भोपाल सिंह—क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कोटपुतली के वर्तमान एस. डी. ओ. श्री शंभुदयाल की सीनियोरिटी पर पुन: विचार हुआ है ? यदि हां, तो वह इस कार्यवाही के परिणाम स्वरूप वे कितने नम्बर ऊपर आ गये हैं और इसके क्या कारण हैं ?

(क) क्या अभी तक आर. ए. एस. की सीनियोरिटी लिस्ट फाइनल नहीं हुई है ? सरकार अब इसको कब अन्तिम रूप देने का विचार रखती है ?

श्री दामोदर लाल व्यास—(राजस्व मंत्री, श्री मुख्य मंत्री के स्थान पर) (क) श्री शंभुदयाल गुप्ता, एस. डी. ओ., कोटपुतली ने अपनी आर. ए. एस. सीनियोरिटी के बारे में एक्चुअल मिस्टेक के आधार पर रिप्रेजेन्टेशन किया है, जो सरकार के विचाराधीन है।

(ख) आर. ए. एस. की सीनियोरिटी लिस्ट जो नवम्बर, १९५५, के राजपत्र के विशेषांक में छप चुकी है।

प्रश्न संख्या ४८७

श्री अध्यक्ष—श्री श्री दास गोयल।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४८८

जिला झुंझुनू के समाज कल्याण बोर्ड में वैतनिक और अवैतनिक अधिकारी

श्री भैरू सिंह—(वि० सं० १६) क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि जिला झुन्झुनू में सरकार द्वारा एक महिला समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई है ?

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड के वैतनिक व अवैतनिक अधिकार कौन कौन हैं तथा उनमें किस किस को कितनी कितनी तनख्वाह मिलती है ?

(ग) क्या इसको सरकार की ओर से कोई जीप मिली हुई है ? यदि हां, तो उस जीप का पेट्रोल का खर्चा किस किस माह में कितना कितना हुआ और इसके लिए लॉग बुक रखी जाती है या नहीं ?

(घ) इस संस्था में उपरोक्त नियुक्तियां किस आधार पर की गई हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (समाज कल्याण मंत्री)—(क) जिला झुन्झुनू में सरकार द्वारा महिला समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना नहीं की गई है, वहां एक समाज कल्याण खंड की स्थापना हुई है ?

(ख) वैतनिक कर्मचारियों की सूची जिसमें उनको मिलने वाला वेतन भी दिखाया गया है, साथ संलग्न है। संचालन समिति के सदस्यों की सूची भी साथ में है। सभी सदस्य अवैतनिक कार्य करते हैं।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(सूची आगे दी गई है)

(ग) इसका उत्तर (ख) में आजाता है ।

(घ) केन्द्रीय बोर्ड द्वारा समाज कल्याण खंड के कार्य के लिये एक जीप दी गई है । केन्द्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित फर्मों पर लॉग बुक बराबर रखी जाती है, जो समय समय पर समाज कल्याण अधिकारी तथा निरीक्षण अधिकारी द्वारा देखी जाती है, पेट्रोल के मद में कुल १,१२० रु० की रकम स्वीकृत की गई है । माह अगस्त से फरवरी तक, पेट्रोल का कुल व्यय ६०१रुपया १० आ० ६ पाई हुआ है । माहवार खर्चा इस प्रकार है ।

	रु०	आ०	पा०
अगस्त	१०१	१२	०
सितम्बर	२२७	११	६
अक्टूबर	१२५	१०	०
नवम्बर	१०५	०	०
दिसम्बर	११६	६	३
जनवरी	५६	४	६
फरवरी	१६५	१३	६
कुल	६०१	१०	६

(ङ) शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और ग्रामों में कार्य करने की रुचि ही इस प्रकार की नियुक्तियां का आधार है । इस प्रकार की नियुक्ति संचालन समिति द्वारा की जाती है ।

श्री भैरू सिंह—यह समाज कल्याण खंड किसी की दरख्वास्त पर खोला गया है ।

श्री भोगीलाल पंड्या—इसकी तो पूरी इस समय जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि श्रीमती किशोरी देवी जी का प्रार्थना पत्र हो सकता है ।

श्री भैरू सिंह—हो सकता है नहीं डेफिनिट बताईये कि जनता ने कोई दरख्वास्त दी थी या सरकार ने अपनी ओर से खोला गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—प्रार्थना पत्र आया था, किसका था ? नाम मुझे मालूम नहीं । मुझे ये बहनजी मिलीं थीं इसलिये मालूम हुआ है । वे बहुत उत्सुक थीं कि वहां पर महिलाओं और बच्चों के लिए कार्य हो ।

श्री भैंरू सिंह—उस प्रार्थनापत्र की जांच करवाई गई थी या जांच नहीं करवाई गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जांच क्या करवानी पड़ती है। जहां कहींभी महिलाओं की तैयारी हो समाज कल्याण खंड खोलते हैं। पिछले वर्ष भी खुले हैं। इस वर्ष भी खुलेंगे और आगे पंचवर्षीय योजना में तो बहुत सारे खुलने वाले हैं।

श्री भैंरू सिंह—क्या यह सही है कि श्रीमती किशोरी देवी की यह दरख्वास्त थी कि वहां पर महिलाओं के उत्थान के लिए इस प्रकार के खंड खोलने की आवश्यकता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—महिला मंडल जो वहां पर बना हुआ है उस मंडल की भी राय थी कि बहनें चाहती हैं कि वहां यह खण्ड खुल जाय तो वे बड़ा सहयोग देंगी। सरकार ने प्रार्थना पत्र पर विचार किया और केन्द्र को सिफारिश की। उन्होंने कुछ समय में ही उनको स्वीकृति दे दी।

श्री भैंरू सिंह—किन बहनों से जानकारी प्राप्त करने के लिए महिला मण्डल ने जाकर राय मांगी थी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यहां समाज कल्याण बोर्ड जो बना हुआ है, वहां की बहनें जाती हैं और जांच भी करती हैं और उसके नियम यह बने हुए हैं मेरा ऐसा ख्याल है, उन्होंने जांच की होगी कि महिला मण्डल ने जो लिखा है वह ठीक है या नहीं। लोग चाहते हैं कि क्या स्थिति है वह देख कर ही यह कार्यवाही हुई होगी।

श्री भैंरू सिंह—ऐसा ख्याल होगा, जांच हुई होगी। यह ठीक नहीं। आप यह बताईये कि यदि दरख्वास्त की जांच नहीं हुई तो क्या यह माना जाय कि बिना जांच के ही वहां समाज कल्याण खण्ड खोला गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—समाज कल्याण मण्डल जहां मांग की जाती है, तो उस मांग की जानकारी करके खोलते हैं। इसमें बहुत ज्यादा देखना नहीं है। समाज कल्याण बोर्ड के सिफारिश करने के नियम हैं और जो नियम बने हुए हैं उनकी पूर्ति होती है तो खण्ड खुल जाता है।

श्री भैंरू सिंह—क्या यह सही है कि झुंझुनू में कोई महिला मण्डल नहीं है यदि कोई है तो उसकी अध्यक्षा और कन्वीनर कौन हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह आप अलग से प्रश्न पूछिये कि अध्यक्षा कौन हैं और सदस्याएं कौन कौन हैं तो आगे जानकारी प्राप्त करके आपको बताऊंगा।

श्री भैंरू सिंह—नये महिला खण्ड खोले जाने के विषय में जानकारी की गई है तो महिला मण्डल है या नहीं इसकी भी जानकारी की गई होनी चाहिए ?

श्री भोगीलाल पंड्या—ऐसा ख्याल हैं कि इसका पता तो है कि वहां महिला मंडल तो है लेकिन आप बारीक बातें पूछें तो जानकारी प्राप्त करके ही बता सकता हूं। अवश्य महिला मण्डल वहां पर है।

श्री भैंरूं सिंह—क्या यह सही है कि झुंझुनू के महिला मण्डल ने यह सिफारिश श्रीमती किशोरी देवी के प्रार्थना पत्र पर नहीं की थी कि वहां पर महिला समाज कल्याण खण्ड खोला जाय ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह आप नई जानकारी दे रहे हैं। महिला मण्डल ने नहीं चाहा होता और वहां की महिलाओं ने नहीं चाहा होता तो खोलने की आवश्यकता नहीं होती।

श्री भैंरूं सिंह—डेफिनिट रिप्लाई दे दें कि महिला मण्डल ने ऐसा कहा या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—डेफिनिट रिप्लाई कैसे दिया जा सकता है ? प्रश्न अगर आप पूछें तो सभी जानकारी करके उत्तर दिया जा सकता है। विशेष जानकारी जिसके आधार पर महिला मंडल ने खोलने के लिए कहा है। उसके विपरीत आप बतला रहे हैं कि नहीं कहा था, तो आपकी जानकारी कुछ नहीं है। आप मालूम कर लीजिये मेरी जानकारी ठीक है ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री भैंरूं सिंह—श्रीमती किशोरी देवी ने जो दरख्वास्त दी थी क्या यह सही है कि उस पर महिला मण्डल की कोई सिफारिश नहीं थी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—महिला मण्डल की तरफ से, प्रार्थनापत्र आया। आप मालूम करिये जो आपने जानकारी दी है तो दुबारा प्रश्न पूछियेगा तो जानकारी हो जायगी।

महाराज श्री केसरीसिंह—यह किशोरी देवी कौन हैं ?

श्री भैंरूं सिंह—जो दरख्वास्त आई है उस दरख्वास्त पर श्रीमती किशोरी देवी ने हस्ताक्षर किये हैं, वह महिला मण्डल की ओर से आई है या स्वयं की ओर से आई थी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—प्रार्थना पत्र की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। प्रार्थना पत्र दे सकता है कोई भी कि हमारे यहां खोलने हैं। तब महिला मण्डल की ओर से देखा जाता है कि वह स्थान उपयुक्त है या नहीं, इसकी सबकी जानकारी करके महिला मण्डल स्वीकृति देता है। आपने यह फरमाया है कि महिला मंडल विरोध कर रहा है। यह आपका खयाल है। मेरा तो नहीं है। महिला मंडल ने सिफारिश की है। एक प्राथना पत्र तो नहीं है कि जबानी याद रह सके। अब आप यह कह रहे हैं कि इन्सपेक्टर कब जांच के लिए गया और इन्सपेक्टर ने कब स्वीकृत दी। आप जानकारी प्राप्त करेंगे तो आपको विश्वास हो जायगा। नहीं हो तो दुबारा प्रश्न पूछियेगा तो जानकारी दूंगा।

श्री भैंरूं सिंह—क्या यह सही है कि जिस तारीख को जबाब दिया गया उस वक्त तक लॉग बुक नहीं रखी जाती थी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी नहीं। पहले आपने प्रश्न पूछा था, तब जबाब दिया गया था कि लॅाग बुक नहीं रखी जाती है। जब शिकायतें आई कि पेट्रोल का खर्चा ज्यादा होता है तब

[श्री भोगीलाल पंड्या]

उस पर नियंत्रण किया गया और आदेश दिया गया कि लॉग बुक रखी जाय और कार्य के अलावा और कहीं गाड़ी नहीं जाने पावे ।

श्री भैंरू सिंह—जवाब दिया गया था उसके कितने दिन बाद में लॉग बुक रखी जानी शुरू हुई थी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मुझे तारीख याद नहीं है । यदि आप इस बारे में अलग प्रश्न पूछेंगे तो जानकारी प्राप्त करके बताऊंगा, लेकिन दुरूपयोग होने की शिकायत मिली उसके बाद में लॉग बुक रखने के लिये सर्कूलर निकाला गया ।

श्री भैंरू सिंह—क्या यह सही है कि जीप का दुरूपयोग होने की सूचना खासकर के झुन्झुनु महिला समाज कल्याण बोर्ड के खिलाफ दी गई थी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आप तो जानकारी दे रहे हैं । जानकारी प्राप्त नहीं कर रहे हैं । यदि इस बारे में प्रश्न पूछा होता तो पूरी जानकारी दी जाती, यह जरूर है कि कुछ स्थानों से शिकायतें आई थी कि लॉग बुक नहीं रखी जाती है, इसलिये सर्कूलर निकाला गया और कहा गया कि लॉग बुक रखी जावें ।

श्री भैंरू सिंह—क्या जिन स्थानों से शिकायतें आई थीं उन में झुन्झुनु का भी जिक्र था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यदि आपने पूछा होता कि शिकायत कहां कहां से आई थीं तो जानकारी करके उत्तर दिया जाता ।

श्री भैंरू सिंह—अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत सीधा है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न भी सीधा है और उत्तर भी सीधा है ।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं शिकायतों की फाइल अपने साथ नहीं लाया हूँ लेकिन इतना जरूर है कि कुछ स्थानों से शिकायतें आई थीं, उनके नाम मुझे जबानी याद नहीं है ।

श्री भैंरू सिंह—क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों को इन संस्थाओं में कर्मचारी रूप में रखा गया उनकी नियुक्ति पहले करली गई और बाद में एप्रूवल लिया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—ऐसा नहीं है । आप बहुत जानकारी दे रहे हैं। प्रश्न के रूप में पूछते तो पूरा जवाब देता । ये सारी बातें जबानी याद नहीं हुआ करती हैं ।

श्री भैरूं सिंह—ऐसी नियुक्तियें करने का अधिकार किस को है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—बोर्ड को, मैंने अपने उत्तर में बताया कि शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और ग्रामों में कार्य करने की रूचि ही इस प्रकार की नियुक्तियों का आधार है। इस प्रकार की नियुक्ति संचालन समिति द्वारा होती है। यह उत्तर मैंने दिया था।

श्री भैरूं सिंह—क्या संचालन समिति इस प्रकार की नियुक्तियें करें इस संबंध में सरकार की ओर से कोई नियम बनाये गये हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने अपने जवाब में ऊपर बताया है कि शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और ग्रामों में कार्य करने की रूचि आदि बातों का ध्यान करके संचालन समिति नियुक्ति करती है।

श्री भैरूं सिंह—सरकार ने इस बात की आवश्यकता क्यों नहीं समझी कि किन्हीं आधार पर नियुक्ति के नियम बनाये जांय ?

श्री भोगीलाल पंड्या—ये आधार और नियम ही हैं। आपको भली भांति मालूम है कि राजस्थान में कार्य कर्त्रियाँ भी कम मिलती हैं, उनकी शिक्षा कम है। ऐसी स्थिति में बहुत प्रयत्न करके उनको लाना पड़ता है और काम पर नियुक्ति की जाती है, ऊपर जो आधार बताये गये हैं उनके अनुसार योग्यता और अनुभव होता है तभी नियुक्ति की जाती है।

श्री भैरूं सिंह—क्या ये सिलेक्शन के आधार पर नियुक्तिएं की जाती हैं या संचालन समिति जिसको मर्जी आवे उसको नियुक्त कर देती है?

श्री भोगीलाल पंड्या—ऐसा नहीं होता। संचालन समिति की सभी बहिनें बैठती हैं, सोचती हैं और योग्यता और अनुभव को देखकर नियुक्तियें की जाती हैं।

श्री भैरूं सिंह—क्या इस काम के लिये एप्लीकेशन्स कॉल करके नियुक्तियें की जाती हैं या किसी को बुलाकर अपोइन्ट कर दिया जाता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जितनी बहिनों की जरूरत पड़ती है उनके लिए आस पास में मालूम करना पड़ता कि कौन इन कामों को करने के योग्य है, कौन सी महिला ऐसी है जो अपने परिवार से अलग रहकर गांवों में काम कर सकती है। इन सब की जानकारी करने के बाद उपयुक्त महिला छांटी जाती है।

श्री भैरूं सिंह—क्या यह सही है कि जानकारी प्राप्त करने के सम्बन्ध में सरकार की तरफ से ऐसी आज्ञा नहीं है जिससे संचालक समिति को उसके अनुसार नियुक्ति करनी पड़े ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री भैंरूसिंह—एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ। जो सूची आपने बताई जिसमें अवैतनिक और वैतनिक कर्मचारियों के बारे में दर्ज है वह सूची मेरे पास नहीं आई है।

श्री भोगीलाल पंड्या—वह भेज दी गई है और टेबल पर भी रखदी गई है, यहां देख लीजिये, फिर भी मैं पढ़ कर सुना देता हूँ।

समाज कल्याण खंड, झुंझुनू में कार्य करने वाली ग्राम सेविकाओं के नाम और वेतन इस प्रकार हैं :

नाम	मासिक वेतन
१. श्रीमती सुधीरा देवी	७५ रु०
२, श्रीमती हनुमानी देवी	७५ रु०
३. श्रीमती प्रेमलता	६० रु०
४. श्रीमती गंगादेवी	६० रु०
५. श्रीमती यमुना देवी	६० रु०
६. श्रीमती राजकुमारी	६० रु०

इन कार्यों का राज्य सरकार द्वारा सामुदायिक विकास खंड में कार्य करने वाले समान स्तर के कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन के अनुसार वेतन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त समाज कल्याण खंड, झुंझुनू के कार्यालय में निम्नलिखित कर्मचारी और हैं :

१. श्री रेखसिंह	अकाउन्टेन्ट	७५ रु० मासिक।
२. श्री अजीत	ड्राइवर	६० रु० मासिक।

समाज कल्याण खंड, योजना संचालन समिति, झुंझुनू के सदस्यों की सूची इस प्रकार है :

१. श्रीमती किशोरी देवी	संयोजिका
२. श्रीमती करूणा दत्ता	सदस्या
३. श्रीमती सुमित्रासिंह	सदस्या
४. श्रीमती डा. राव	सदस्या
५. श्रीमती लीला पेड़से	सदस्या
६. श्री सरदार हरलालसिंह	सदस्य

[श्री भोगीलाल पंड्या]

७. श्री डा० काशीनाथ पेड़से सदस्य
८. श्री ईश्वरीसिंह यादव सदस्य
९. श्री जिलाधीश, झुंझुनू पदेन सदस्य

श्री भैंरूसिंह—क्या यह सही है कि संचालिका हरलालसिंहजी की पत्नी हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां, ठीक है।

श्री भैंरूसिंह—क्या सरकार को यह मालूम है कि आधे से ज्यादा कर्मचारी वहां पर श्री हरलालसिंहजी के परिवार के लोग हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं, ऐसा मालूम नहीं है।

श्री भैंरूसिंह—आप देखेंगे तो मालूम होगा कि जो नाम आपने बताये हैं उनमें से ७ उनके परिवार के हैं।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं समझता हूं, नहीं हैं। यदि आप प्रश्न पूछते तो जानकारी करके बताता कि कौन किसका रिश्तेदार है।

श्री भैंरूसिंह—यदि उनके परिवार के ७ आदमी हैं तो क्या आप उनको निकालने की आज्ञा देंगे ?

श्री अध्यक्ष—Order please. Next question.

प्रश्न संख्या ४८९

तिजारा (अलवर) कस्बे के एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट के न्यायालय को वहां से हटाने सम्बन्धी

श्री घासीराम—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) तिजारा (अलवर) कस्बे की एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट की अदालत कब उठाई गई ? यह अदालत वहां कब से चली आती थी ?

(२) क्या यह अदालत उप राजस्व मंत्री, श्री सम्पतराम की होम तहसील बहरोड़ व श्री स्वायत्त शासन मंत्री, श्री बद्रीप्रसाद के निर्वाचन क्षेत्र बानसूर में भेज दी गई ?

[श्री घासीराम]

(३) क्या बहरोड़ व बानसूर कस्बों की आबादी तिजारे से कम है ? प्रत्येक की मुकाबलन आबादी दीजिये ?

(४) क्या यह सही है कि बहरोड़ में एस. डी. एम. की अदालत एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट भेजने से पहले ही मौजूद थी ? यदि हां, तो फिर एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट की अदालत बहरोड़ क्यों भेज दी गई ?

(५) क्या यह सही है कि एस. डी. एम., तिजारा व एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट, तिजारा व मुन्सिफ, तिजारा कहलाते हैं, परन्तु यह सब अदालतें तिजारे में नहीं हैं और किशनगढ में हैं जो तिजारे से कहीं छोटा कस्बा है ?

(६) ऐसी हालत में यह अदालतें तिजारे में न रखने का क्या कारण है ?

(७) क्या तहसील तिजारा व सब तहसील टपूकड़ा से एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट की जुरिसडिक्शन के मुकदमे तिजारे से ११ मील दूर किशनगढ भेज कर बहरोड़ और अलवर से एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेटों को अदालत में भेजे गये हैं जो टपूकड़ा व तिजारे से ५० व ६० मील के फासले पर पड़ते हैं ?

(८) अलवर जिले के दूसरे नम्बर के बड़े कस्बे से इस प्रकार अदालतें उठाकर उसे बरबाद करने की क्या यह कार्यवाही नहीं है ?

(९) यदि नहीं, तो लाकअप तथा अन्य इमारतों के होते हुए भी वह अदालतें क्यों उठाई गईं ?

(१०) क्या यह भी सही है, कि यहां लाकअप होने के कारण ११ मील फासले से रोजाना किशनगढ से मुलजिम तिजारे लाये जाते हैं, जिसमें सरकार का व्यर्थ का खर्च होता है ?

(११) क्या सरकार अस्पताल, हाई स्कूल, म्युनिसिपेलिटी, वेटरीनरी हास्पिटल तथा सर्किल इन्सपेक्टर के हैडक्वार्टर तथा उसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए यहां पर एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट की अदालत पुनः कायम करेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(१) कस्बा तिजारा से एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट की अदालत ता० १५-१-५५ से हटाली गई है। यह अदालत तिजारे में ता० २१-८-५१ से चली आ रही थी।

(२) जी हां, यह अदालत बहरोड़ भेज दी गई है।

[श्री दामोदरलाल व्यास]

(३) जी हां। बहरोड, बानसूर तथा तिजारा की आबादी, क्रमशः ४४३७, ३५७७ तथा ५६६२ है।

(४) जी हां। बहरोड़ सब डिवीजन में कार्य मुकदमात व बमुकाबले तिजारा के अधिक था किन्तु वहां कोई मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नहीं था। तिजारा सब डिवीजन में एक और एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट किशनगढ़ में मौजूदा था। अतः यह अदालत बहरोड़ भेजी गई। एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट जब तिजारा में था उस समय का उनको महीने में दस दिन बानसूर जाकर वहां के मुकदमात को समाअत करनी पड़ती थी।

(५) जी हां।

(६) किशनगढ़ तथा मुन्डावर तहसील के मुकदमात की संख्या बमुकाबले तिजारा तहसील के अधिक रहती है इस ही कारण से यह अदालत किशनगढ़ में कायम है। किशनगढ़ के सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, ब्लॉक डवलपमेंट ऑफिसर भी हैं तथा किशनगढ़ अधिक केन्द्रीय स्थान है। एक मजिस्ट्रेट एस. डी. एम. के कार्य में सहायता देने के लिये होता है अतः एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट तथा मुन्सिफ का हैड क्वार्टर भी किशनगढ़ में ही रखा गया है।

(७) इसका कारण यह है कि किशनगढ़ अदालत के मुकदमात की संख्या अधिक थी। मुकदमों को शीघ्र तय कराने के कारण से ही यह अलवर व बहरोड़ भेजे गये। यह परिवर्तन पारीकैन की सुविधा को देखते हुए किया गया था।

(८) जी नहीं।

(९) इसका कारण ऊपर दिया जा चुका है।

(१०) एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट, किशनगढ़ अन्डरट्रायल के मुकदमात के लिये महीने में लगभग सात दिन तिजारा में अदालत करते हैं।

(११) सरकार के सामने ऐसा कोई प्रपोज़ल नहीं है।

श्री घासीराम—मंत्रीजी ने अभी अभी बताया कि तिजारा में ८ रोज के लिये अदालत करते हैं, क्या यह सही है?

श्री दामोदरलाल व्यास—अंडर ट्राइल प्रिजनर्स के लिये महीने में ८,७ रोज के लिये वहां अदालत करते हैं। किसी महीने में अण्डर ट्राइल प्रिजनर्स नहीं होते हैं तो नहीं करते हैं।

श्री घासीराम—क्या जिस रोज से अदालत हटी है, उस रोज के बाद एक रोज भी वहां आकर अदालत की गई है?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह हो सकता है कि अण्डर ट्राइल प्रिजनर्स नहीं आये हों इसलिये नहीं गये हों, लेकिन आदेश यही जारी किया गया है कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की समाअत वहीं जाकर करें।

श्री घासीराम—मंत्रीजी ने फरमाया था कि बहरोड़ अदालत इसलिये भेजी गई कि वहां के लोगों को सुविधा मिलेगी। तो क्या ७० मील की दूरी से लोगों को आना पड़ेगा इसमें उनको सुविधा अधिक मिलेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—क्यों कि वहां पर मुकदमों की संख्या ज्यादा थी इसलिये मुन्तकिल किये गये।

श्री घासीराम—क्या मुकदमों की समाअत के लिये अलवर के भूतपूर्व कलेक्टर ने सिफारिश की थी कि वहां पर मेजिस्ट्रेट दूसरा भेजा जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मेरे नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री घासीराम—क्या तिजारा में अप टू डेट बनी हुई अदालत खाली पड़ी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने तीन कारण बताये थे। एक तो एक्सट्रा मजिस्ट्रेट किशनगढ़ में मौजूद है................

श्री अध्यक्ष—जब अदालत में कोई मजिस्ट्रेट नहीं है तो अदालत अप टू डेट कैसी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—I am sorry

श्री अध्यक्ष—When there is no officer, there is no up-to-date 'Adalat'.

प्रश्न सं० ४६०

श्री अध्यक्ष—श्री मोटाराम।

(अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ४६१

***अलवर जिले की तहसीलों में नमक की कमी पूरी करने सम्बन्धी शासकीय कार्यवाही**

श्री घासीराम—क्या उद्योग व वाणिज्य मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

[श्री घासीराम]

(क) अलवर जिले में नमक व्यवस्था किस प्रकार है और जो वर्तमान व्यवस्था है उसको क्या सरकार संतोषजनक समझती है ?

(ख) क्या यह सही है कि अलवर मे. जो साल्ट सिन्डीकेट है उसमें सिर्फ अलवर के व्यापारी लोग ही हैं जिससे बाहर की तहसीलों के व्यापारियों को काफी असंतोष है ? क्या इस सिन्डीकेट में उन लोगों को शामिल भी नहीं किया गया है ?

(ग) क्या यह सही है कि तहसीलों के व्यापारियों को एक एक बोरी नमक की दी जाती है, जिससे तहसीलों में नमक का भाव १६ सेर की बजाय १३ सेर हो गया है ?

(घ) साल्ट सिन्डीकेट को नमक किस भाव से मिलता है व कितना किराया व दूसरा खर्चा लगता है ? क्या उनको माहवारी पूरा कोटा मिल रहा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग व व्यवसाय मंत्री)—(क) अलवर जिले में नमक के व्यापारियों के सिन्डीकेट के द्वारा नमक आयात किया जाकर वितरित किया जाता है। यह सिंडीकेट संतोषजनक कार्य कर रहा है।

(ख) नहीं। इस सिन्डीकेट में ३१ मेम्बर हैं जिनमें से १५ अलवर शहर के व्यापारी लोग हैं, ५ डिस्प्लेस्ड परसन्स हैं व ११ व्यापारी और तहसीलों के हैं।

(ग) नमक सप्लाई सरकार द्वारा इस जिले में जोनल स्कीम के अनुसार किया जाता है यानी आबादी पर और इस ही आधार पर हर तहसील को सप्लाई किया जाता है। जब नमक की सप्लाई में देरी हो जाती है और सेन्डीकेट के पास नमक की कमी होती है तो यह स्वाभाविक होता है कि तहसीलों की सप्लाई भी अनुपाततः कम कर दी जाती है।

(घ) नमक २ रुपये मन हर रेल्वे स्टेशन पर जहां सिन्डीकेट की डिपोज (केन्द्र) हैं बेचा जाता है। सिन्डीकेट नमक की आयात का एक थोक व्यापार संस्था है। प्रत्येक तहसील या गांवों में खुरदा की बिक्री का काम सिन्डीकेट को देकर छोटे व्यापारियों पर आयात नहीं किया जा सकता।

(ङ) सिन्डीकेट को नमक १५ आना मन मिलता है और १५ आने मन का और दीगर खर्चा जैसे किराया, भाड़ा आदि लगता है। सिन्डीकेट को ०।२।० फी मन कमीशन इत्यादि खर्च ओफिस कार्य व पूंजी के व्याज हेतु दिया जाता है। इस जिले को नमक का कोटा ३३ वेगन प्रत्येक मास मिलता है और यह निर्धारित कोटा कभी लेप्स नहीं किया जाता है।

(च) नहीं। तहसीलों के तमाम नमक के व्यापारी नमक के जिला सिन्डीकेट में नियमानुसार सम्मिलित होने के अधिकारी हैं। प्रत्येक तहसील के लिये अलग नमक मंगवाना तहसील के व्यापारियों अथवा जनता के हित में अधिक लाभप्रद या सुविधा जनक प्रतीत नहीं होता।

श्री घासीराम—तो तहसीलों में नमक महंगा होने का क्या कारण है ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—मुझे तो मालूम नहीं है कि महंगा है, दो रुपया मन पर उनको दिया जाता है। किसी तहसील में अगर महंगा होगा तो इसकी जांच की जायगी और सस्ता करने का भरसक प्रयत्न किया जायगा।

श्री घासीराम—क्या सरकार सिन्डीकेट्स को पाबन्द करेगी कि तहसील हैड क्वार्टर्स पर ले जा कर नमक दे?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—ऐसा करने से तो छोटे व्यापारियों का व्यापार खत्म हो जायगा। तहसील के व्यापारियों को पाबन्द करेंगे कि उनको सस्ते भाव पर नमक दें।

श्री घीसीसिंह—सिन्डीकेट रखने की गवर्नमेंट को क्या आवश्यकता है, वह क्यों न इन सिन्डीकेट्स को खत्म कर देती?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—सन् १९४९ में मत्स्य गवर्नमेंट के समय में सिंडीकेट्स बने थे पर बाद में सरकार ने समझा कि इस तरह से तो कुछ व्यापारियों के हाथ में व्यापार है। अब ये नियम बन गये हैं कि कोई भी व्यापारी नमक का व्यापार करता है और वह साबित कर दे कि वह नमक का व्यापारी है तो उसको इस सिंडीकेट का सदस्य बना लिया जाता है।

श्री घीसीसिंह—तो इसको तोड़ने में क्या दिक्कत है?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—तोड़ने से क्या फायदा? एक संगठन तो चाहिये कि वह व्यापार करे। अब मोनोपोली तो रखी नहीं गई है, हर एक

श्री घीसीसिंह—क्या यह सही है कि सिंन्डीकेट में नमक ब्लेक से बेचा जाता है?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है, पर ऐसा हो सकता है, इसकी खराबियों को सरकार के सामने लाने से दूर करने के प्रयत्न किये जायेंगे।

श्री घीसीसिंह—भरतपुर के सिंडीकेट की बहुत सी खराबियां गवर्नमेंट के ध्यान में लाई गई परन्तु अभी तक वे दूर नहीं की गई?

श्री अध्यक्ष—४९२।

प्रश्न संख्या ४९२

पूर्व राजस्थान के जागीरदारों को ५० प्रतिशत रुपये उन्हालू कलेक्शन चार्जेज में से लौटाने के आदेश

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

[महाराज श्री केसरीसिंह]

(क) क्या सरकार ने फोर्मर राजस्थान के जागीरदारों का ५० प्रतिशत रुपया उनको क्लेक्शन चार्जेज़ में से लौटाने के आदेश जारी किये हैं ?

(ख) यदि हां, तो आदेश के अनुसार, अब तक कितने जागीरदारों को रकम चुका दी गई है, जिलेवार ब्यौरा दिया जावे ?

(ग) जिनको नहीं दी गई है, उनको कब तक दे दी जावेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—(क) जी हां।

(ख) आदेश के अनुसार जिलेवार जितने जागीरदारों को रकम वापस दे दी गई हैं, उनकी संख्या निम्न प्रकार है—

उदयपुर	६८४
डूंगरपुर	१६२
बांसवाड़ा	१२६
चित्तौड़गढ़	२४०
भीलवाड़ा	६१६
कोटा	४३
बूंदी	११६
झालावाड़	३०
टौंक	१२६ (किशनगढ़ सब डिविजन)

(ग) द्रव्य निरन्तर दिया जा रहा है। दो साल की किश्तें करीब करीब चुका दी गई हैं, उनमें से जो बाकी रहीं हैं, उन्हें शीघ्रातिशीघ्र चुकाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

महाराज श्री केसरीसिंह—पहली किश्त किस तारीख को दी गई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—किसके लिये पूछ रहे हैं, मैंने इतनी बड़ी जागीरदारों की लिस्ट दी है उसमें से किसके लिये पूछ रहे हैं ?

महाराज श्री केसरीसिंह—मैं जिलेवार पूछ रहा हूं कि पहली किश्त किस तारीख को दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—प्रत्येक जिले में अलग अलग जागीरदारों को अलग अलग तारीखों को दी गई है।

महाराज श्री केसरीसिंह—हर जिले में आदेश होने के बाद किस तारीख को पहली किश्त दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—करीब करीब सब को दे दी गई है। ५६-५७ के बाद केवल बड़े बड़े जागीरदार बच जायेंगे। आप किस जिले की पूछ रहे हैं ?

महाराज श्री केसरीसिंह—आप किसी भी जिले की बता दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास—इतने जागीरदारों को दी गई है....

श्री अध्यक्ष—फर्स्ट इन्स्टालमेंट किसको किस तारीख को दिया, यह पूछ रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—यह मुझे मालूम नहीं है कि किसको किस किस तारीख को फर्स्ट इन्स्टालमेंट दिया गया।

महाराज श्री केसरीसिंह—इस देने में जो देरी हुई उसका क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इस सम्बन्ध में जो कुछ देर हुई है उसका कारण १९५४ के पहले का जो जागीरदारों का हिसाब था उसको साफ करने में समय लग गया क्योंकि जागीरों की जो वसूली हुई वह लेंड रेवेन्यू में शामिल जमा हो गई थी, ऐसी सूरत में जागीरदारों के जो हिसाब थे उनका मिलान कराना और तरीके से ऑडिट कराना जरूरी था। इसमें समय लगा।

महाराज श्री केसरीसिंह—तो क्या जागीरदारों के हिसाब ठीक तरह से तैयार नहीं थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—हिसाब ठीक तरह से तैयार थे, पर उनकी छानबीन कर के जागीरदारों को कितना देना चाहिये, इसका हिसाब बनाना था, इसमें देर लगी।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या यह सही नहीं है कि हर एक जागीरदार के अलग अलग खाते थे और अलग अलग जमा थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—हर एक जागीदार के अलग अलग खाते थे पर जो रकम जागीरों की वसूल हुई थी वह लैंड रेवेन्यू में जमा हो गई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ की रकम छांटनी थी।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या उनके खातों से अलग अलग पता नहीं चल सकता था, रकम नहीं छांटी जा सकती थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—पता क्यों नहीं लग सकता था, उनके खातों से ही तो पता लगाया, और छांट कर उनको रकम दी गई।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४६३

तहसील बसी, सांगानेर, जयपुर व चाकसू में भूमिहीन हरिजनों को सरकार द्वारा भूमि देना

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

तहसील बसी, सांगानेर, जयपुर और चाकसू में अब तक किस किस जगह के कितने भूमिहीन हरिजनों को, कहां कहां तथा कितनी कितनी भूमि सरकार द्वारा दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(क) इस साल तहसील बसी, सांगानेर, जयपुर और चाकसू में निम्न भूमिहीन हरिजनों को भूमि अलॉट की गई—

तहसील बसी—	गोपी पुत्र बिहारी खेड़ीमानसा	५६ बीघा ।
	मांगू पुत्र तुलसा	१३ बीघा ।
	परभात पुत्र कल्याण	७ बीघा ।
तहसील सांगानेर—	मोती पुत्र नन्हा बम्बाला	१५ बीघा ।
	(यह तहसील नई कायम हुई है)	
तहसील जयपुर—	श्री मानसिंह	१५ बीघा ।
तहसील चाकसू—	रेवड़िया पुत्र ऊदा कोट खावदा	१५ बीघा ।
	मूला पुत्र चन्दा	६ बीघा ।
	गोपी पुत्र नाथू	६ बीघा
	बीसा पुत्र गणेश	६ बीघा
	चन्दा पुत्र सुखदेवा	६ बीघा ३ बिस्वा
	मोहरू पुत्र श्योराम	६ बीघा
	तेजा पुत्र छोटू	६ बीघा
	प्रभात्या पुत्र चन्दा	६ बीघा

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—तहसील जयपुर में किसे दी गई उसका नाम फिर से बताइये ?

श्री दामोदरलाल व्यास—श्री मानसिंह ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—यह कौन है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—हरिजन हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—कहां का है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह सूचना मेरे पास नहीं है।

प्रश्न संख्या ४६४

श्री अध्यक्ष—श्री कंवरलाल जेलिया।

(अनुपस्थित, कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री सोहन लाल भटनागर।

प्रश्न संख्या ४६५

उदयपुर जिला विकास समिति का निर्णय कि दो हिस्सा श्रम व नकद जनता द्वारा एवं एक हिस्सा सरकार द्वारा

श्री सोहनलाल भटनागर—क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या स्थानीय विकास कार्यों के अन्तर्गत जनता द्वारा जितना श्रम या नकद हिस्सा दिया जाता है, उतना ही हिस्सा सरकार सहायता में प्रदान करती है ?

(ख) क्या उदयपुर जिला विकास समिति ने यह निर्णय किया है कि दो हिस्सा श्रम या नकद जनता देगी और एक हिस्सा सरकारी सहायता प्रदान की जायगी ?

(ग) क्या जिला विकास समिति को ऐसा निर्णय करने का अधिकार था ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(क) स्थानीय विकास कार्य के लिए कुल लागत का कम से कम ५० प्रतिशत जन सहयोग श्रम, वस्तु अथवा नकद के रूप में और ५० प्रतिशत सरकारी सहायता देने का नियम है, किन्तु जनसहयोग की मात्रा अधिक होने पर सरकारी सहायता कम देने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(ख) इस जिले के लिये मिलने वाले द्रव्य से अधिकतम लाभ उठाने के विचार से जिला विकास समिति ने अपनी बैठक दिनांक २५-६-५५ में यह निश्चय किया कि राजकीय सहायता १ ३ अंश से अधिक नहीं होना चाहिये।

[श्री दामोदरलाल व्यास]

(ग) जिला विकास मंत्री के प्रस्ताव से यह मतलब है कि यदि वालटेंरिली वही श्रमदान अथवा ग्राम में सहयोग की मात्रा ज्यादा मिल सके तो ज्यादा काम विकास के हो सकेंगे।

श्री सोहनलाल भटनागर—जिन गांवों में ५० प्रतिशत से अधिक श्रमदान अथवा रकम नहीं दे सकेंगे क्या वहां सरकारी सहायता ४० प्रतिशत नही दी जायगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—दी जायगी।

श्री सोहनलाल भटनागर—क्या मंत्री महोदय को जानकारी है कि इस प्रकार के आदेश होते हुए भी ५० प्रतिशत श्रमदान अथवा नकद गांव वालों की ओर से दिये जाने के बावजूद भी ५० प्रतिशत सरकारी सहायता मिलने की गांव वालों की मांगों को रिजेक्ट किया जा रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—ऐसी जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट

प्रश्न संख्या ४६६

श्री केसरियाजी [जिला उदयपुर] को प्रतिमा के लेप करने के निश्चय

श्री चांदमल मेहता—क्या देवस्थान मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) श्री केसरियाजी (जिला उदयपुर) के मंदिर की प्रतिमा के लेप करने के लिये कब कब निश्चय किये गये ?

(२) उक्त प्रतिमा के लेप करने की कार्यवाही कब और किन कारणों से रोकी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(१) श्री केसरियाजी की प्रतिमा का ब्रजलेपन सन् १६४७ १६४६, १६५२ व १६५५ में हुआ है। और अब फिर इस वर्ष ब्रजलेपन के आदेश हो चुके हैं।

(२) लेपन की कार्यवाही नहीं रोकी गई।

श्री चांदमल मेहता—लेपन के लिये श्रावकों की तरफ से रुपया दिया है, उसका क्या उपयोग किया गया ?

श्री दामोदर लाल व्यास—मैंने निवेदन किया न कि सन् १६४७, ४६, १६५२ और १६५५ में ब्रजलेप हुए।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि १९५५ में कोई लेपन नहीं हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास—हुआ है।

श्री चांदमल मेहता—किस तारीख को ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अभी उपलब्ध नहीं, अलग से पूछेंगे तो उत्तर दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४९७

राजस्थान निर्माण के पश्चात् शासकीय नियन्त्रण में ली जाने वाली संस्कृत पाठशालायें एवं वहां के शिक्षकों का फिक्सेशन

श्री भैंरू सिंह (वि० सं० १९)—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :-

(क) राजस्थान निर्माण के पश्चात् कौन कौन सी संस्कृत पाठशालायें कौन कौनसी तारीख से सरकारी नियंत्रण में ली गई ?

(ख) संस्कृत पाठशालाओं के शिक्षकों का फिक्सेशन हुआ या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) अब फिक्सेशन कब तक होने की सम्भावना है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उप मन्त्राणी)— (क) संस्कृत पाठशाला मुकुन्दगढ़ और धौलपुर दि० १९-७-१९५४ से।

(ख) जी नहीं। उनके नवीन ग्रेड घोषित न होने के अभाव में नहीं किया।

(ग) निकट भविष्य में।

श्री भैंरू सिंह—फिक्सेशन कब तक हो जावेगा ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मैंने आपको बताया कि निकट भविष्य में।

श्री भैंरू सिंह—मैं यह पूछना चाहता हूं कि कब तक फिक्सेशन का काम सामप्त कर देंगी ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—भविष्य का मतलब यह है कि जितना जल्दी हो सके भविष्य में किया जावेगा।

श्री भैंरू सिंह—क्या यह सही है कि वह इस साल पूरा हो सकेगा ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—सही गलत का पता नहीं आगे........

श्री भैंरू सिंह—इस साल में हो सकेगा या नहीं, यह मैं पूछना चाहता हूं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल-मैंने कहा कि अभी गुंजायश नहीं है, निकट भविष्य में।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४६८

श्री केसरियाजी (जि० उदयपुर) के मन्दिर के उधार दिये रुपये की वसूली

श्री चांदमल मेहता—क्या मंत्री देवस्थान विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) श्री केसरियाजी (धूलेव, जिला उदयपुर) के मन्दिर का कितना रुपया देवस्थान विभाग द्वारा किस किस को कब कब किन किन शर्तों पर उधार दिया गया है ?

(ख) उक्त रकम में से कितनी कितनी रकम वापिस वसूल की जा चुकी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(१) मेवाड़ राज्य के समय में देवस्थान विभाग, उदयपुर से ऋण देने की प्रथा चालू थी और उसी के अनुसार श्री केसरियाजी के भन्डार से भी ब्याज की आमदनी बढ़ाने हेतु ऋण दिया जाता था। अब तक इस भन्डार से ४,८१,५६२) रुपये ४१ मनुष्यों को मेवाड़ राज्य के जमाने से अब तक उधार दिये गये हैं। उनकी विस्तृत सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) उक्त रकम में से १३६६६०) रुपये वसूल हो चुके हैं और ४६३६८१ रुपये मय ब्याज अभी बाकी हैं। इसमें ३३७६२८) रुपये आर्य समाज, अजमेर के नाम बकाया हैं। जिसके खिलाफ कोर्ट में दावा कर दिया गया है। इस आर्य समाज अजमेर को कर्ज की रकम ६ प्रतिशत ब्याज पर सन् १६५१ के आरंभ में दिये गये थे।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—यह उधार देने की प्रथा उदयपुर में थी, क्या यह अब भी वहां चालू है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी नहीं।

श्री चांदमल मेहता—यह उधार देने की प्रथा कब खत्म की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—दो-तीन साल हुए।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि राजस्थान बनने के बाद भी उधार दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी हां, आर्य समाज, अजमेर को दिया गया और किसी को दिया गया हो मुझे मालूम नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या जो रकम उधार दी गई है उसकी वापिस वसूली हो जावे इसके लिये क्या सरकार ने किसी प्रकार की सिक्योरिटी ली है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—राजस्थान बनने के बाद उसकी सिक्योरिटी लेते हैं और इससे पहले भी सिक्योरिटी ली है।

श्री चांदमल मेहता—जिन जिन को उधार दिया गया है उनसे रकम वसूल नहीं हुई, उनके लिये क्या कार्यवाही की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—कुछ रकम वसूल हुई है। आपको जो नक्शा दिया गया है उसमें सब दर्ज है। आप उसके खाने कैफियात में देखें तो आपको मालूम हो जाएगा कि जो रकम वसूल नहीं हुई है उनके खिलाफ पब्लिक डिमान्ड रिकवरी एक्ट की तहत में कार्यवाही की जा रही है।

श्री चांदमल मेहता—नक्शा कर्जदार में नम्बर १ पर आनरेरी सेक्रेट्री फील्ड क्लब, उदयपुर को रकम दी गई है उसको अभी तक वसूल नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसकी वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४६६

सन् ५१-५२ में जे. टी. सी. ट्रेनिंग वाले माध्यमिक शिक्षा प्राप्त अध्यापक

श्री भैरूं सिंह—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

[श्री भैंरूसिंह]

(क) सन् ५१-५२ में कितने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त अध्यापकों को जे. टी. सी. की ट्रेनिंग दी गई ?

(ख) जे. टी. सी. के ट्रेनिंग पास करने के पश्चात जे. टी. सी. की ग्रेड में उन्हें कब नियुक्त किया गया ?

(ग) क्या जिला झुंझुनू की जे. टी. सी. की ट्रेनिंग करने के बाद अध्यापकों को दिनांक १-७-५२ से जे. टी. सी. की ग्रेड में नियुक्त किया गया ?

(घ) क्या यह सही है कि जिला सीकर के जे. टी. सी. पास किये हुये अध्यापकों को रिक्त स्थान होने के बावजूद भी यह ग्रेड नहीं दी गई ? यदि नहीं, तो कब से यह ग्रेड दी गई है ?

(ङ) झुंझूनू व सीकर जिले के अध्यापकों में यह अन्तर क्यों रखा गया है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—(क) ५१० पुरुष व ७० महिला अध्यापकों को।

(ख) जिस इन्सपेक्टोरेट में जिस जिस तारीख से रिक्त स्थान हुए, उसी तारीख से सिन्योरटी के अनुसार उनको ग्रेड दे दिया गया।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां, लेकिन अब दि० १-७-५२ से नियुक्त करने की स्वीकृति दे दी गई है।

(ङ) कोई अन्तर नहीं रखा गया।

प्रश्न संख्या ५००

सन ५३-५४ में मवाई जगपुरा (तहसील छोटी सादड़ी) के बीच की भूमि राजस्व विभाग में लेना

श्री छीतरलाल शर्मा—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे:—

(१) क्या सन् १९५३-५४ तक जिला चित्तौड़ की तहसील छोटी सादड़ी में मवाई जगपुरा नाम के एक बीड़ की भूमि इन हर दो ग्राम के क्षेत्र की वन विभाग में थी और क्या वो कुल या कुछ भूमि राजस्व विभाग ने ग्रो मोर फूड़ के सिल सिले में लेली है ?

(२) क्या उक्त बीड़ की भूमि में से साढ़े तीन सौ बीघा भूमि में १३ कुए और ५००, ६०० के करीब फल देने वाले आम आदि के पेड़ स्थित थे ?

[श्री छीतरलाल शर्मा]

(३) क्या यह सच है कि उक्त भूमि में से पौने दो सौ बीघा भूमि का एक हिस्सा श्री महेन्द्रसिंह नामी नाबालिग लड़के के नाम पर सरकार से एलोट हुआ है ? यदि हां, तो किस साल में किन किन शर्तों पर ?

(४) क्या यह सच है कि श्री महेन्द्रसिंह नाबालिग मंत्री श्री अमृतलाल यादव के सुपुत्र हैं ?

(५) क्या उक्त भूमि को इस तहसील छोटी सादड़ी के आदिवासीगण एक काफी समय से काश्त हेतु लेने की कोशिश सरकार से करते रहे हैं, लेकिन इनको न देकर मंत्री के सुपुत्र के नाम एलोट की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, मुझे इस बात का दुःख है कि इस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं आ सका है, इसलिये अगले टर्न पर दे दिया जायगा।

श्री भैंरूसिंह—माननीय अध्यक्ष, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रश्न है इसका उत्तर देने के लिये तारीख निश्चित कर दी जावे।

श्री दामोदरलाल व्यास—अगली टर्न पर दे दिया जाएगा।

प्रश्न संख्या ५०१ व ५०२

श्री अध्यक्ष—श्री श्रीदास गोयल।

(अनुपस्थित)

श्री कंवरलाल जेलिया।

(अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ५०३

ग्राम नीमेठा (त० पाटन) के ग्रामीणों द्वारा दूसरे स्थान पर ग्राम बसाने सम्बन्धी आवेदन पत्र

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या ग्राम नीमेठा, तहसील पाटन, जिला बूंदी के ग्रामीणों ने दूसरी जगह ग्राम बसाने बाबत तहसील में कोई प्रार्थना की थी ?

[महाराज श्री केसरीसिंह]

(ख) उपरोक्त प्रार्थनापत्र कौन सी तारीख को दिया गया था और इस पर तहसीलदार पाटन ने क्या कार्यवाही की ?

(ग) क्या यह सच है कि यह ग्राम नदी चम्बल के कराड़े पर बसा हुआ है और खतरे से खाली नहीं है ? यदि हां, तो सरकार इस ग्राम को दूसरी जगह बसाने का प्रबन्ध कब तक कर देगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या यह सही है कि ३०-१-५४ को दरख्वास्त दी गई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—ऐसी बात मेरी जानकारी में नहीं है। इसीलिये मैंने अपने जवाब में बताया है कि जी नहीं।

महाराज श्री केसरीसिंह—सरकार ने यह जानकारी कहां से प्राप्त की ?

श्री दामोदरलाल व्यास—दफ्तर से ?

महाराज श्री केसरीसिंह—कौन से दफ्तर से ?

श्री दामोदरलाल व्यास—रेवेन्यू विभाग से।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या कलेक्टर से इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जाती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—आपने जानकारी दे दी है इसकी जानकारी की जावेगी।

महाराज श्री केसरीसिंह—३०.१.५४ को तहसील में दरख्वास्त दी गई, वहां से कलेक्टरी में पहुँची होगी।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने नोट कर लिया है, इसकी जानकारी की जावेगी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५०४

तिजारा (अलवर) में ८ कक्षा तक फीस लेना जबकि राजस्थान के अन्य भागों में नहीं

श्री घासीराम—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे:-

(क) कक्षा ५ से कक्षा ८ तक क्या कोई पढ़ाई की फीस सरकारी स्कूलों में ली जाती है और अगर ली जाती है तो कितनी कितनी ?

(ख) क्या तमाम राजस्थान में फीस नहीं ली जा रही है, अगर हां, तो कौन कौन से स्कूलों में और कहां २ ?

(ग) क्या यह सही है कि तिजारा (अलवर) हाई स्कूल में कक्षा ८ तक फीस ली जा रही है ?

(घ) क्या सरकार सर्वत्र एक ही नियम लागू करने का विचार रखती है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मैं समझती हूं कि आपको इसकी लिस्ट मिल गई होगी नहीं तो आप प्राप्त कर लें ।

(क) सदस्य महोदय की जानकारी के लिए इसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) जी नहीं । भूतपूर्व जोधपुर, अलवर, धौलपुर तथा भरतपुर राज्यों के समस्त स्कूलों में ली जाती है ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी हां ।

(सूची अनुपलब्ध)

प्रश्न संख्या ५०५

श्री अध्यक्ष—रावराजा श्री सरदारसिंह ।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ५०६

श्री दामोदरलाल व्यास—इस प्रश्न का होम मिनिस्टर साहब उनके टर्न पर उत्तर देंगे ।

महाराज श्री केसरीसिंह—इसका उत्तर कब दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—होम मिनिस्टर के टर्न पर दिया जावेगा । नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ५०७

चमड़ा उद्योग के प्रोत्साहनार्थ सन् ५५-५६ में भारत सरकार का ऋण वा अनुदान

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) चमड़ा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये १६५५-५६ के वर्ष में भारत सरकार द्वारा राजस्थान को कितना ऋण व अनुदान देना स्वीकृत किया गया और उसमें कितना मिल चुका है ?

(२) चालू वर्ष में राजस्थान सरकार द्वारा कितना रुपया उक्त उद्योग के विकास के लिए स्वीकृत किया गया ?

(३) उक्त उद्योग में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(१) चमड़ा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए १६५५-५६ के वित्तिय वर्ष में भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को ५२,८६० रु० का अनुदान व ७५००० रु० का ऋण स्वीकृत हुआ है । यह सम्पूर्ण राशि प्राप्त हो चुकी है ।

(२) उक्त उद्योग के विकास के लिये राजस्थान सरकार द्वारा चालू वर्ष में ११,७२० रु० स्वीकृत किये गये ।

(३) उक्त उद्योग में चालू वर्ष में कोई प्राप्ति नहीं हुई ।

श्री चाँदमल मेहता—क्या सरकार यह बतायेगी कि जो धन राशि प्राप्त हुई हैं उसमें से कितना खर्च हो चुका है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—खर्च तो ज्यादा नहीं हो सका क्योंकि रकम देर से प्राप्त हुई। कुछ काम शुरू किया गया है और चालू वर्ष में इस सारे को खर्च कर दिया जायगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार को भी इतना ही रुपया लगाना चाहिए था जितना कि वहां से प्राप्त हुआ और वह न लगाया गया, इसलिए काम नहीं हो सका?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने बताया कि राजस्थान सरकार ने ११७२० रुपये लगाये हैं, ऐसी बात नहीं है कि इस कारण काम नहीं हुआ हो।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जितने रुपये भारत सरकार ने दिये उतने ही राजस्थान सरकार को स्वीकार करना चाहिये था?

श्री भोगीलाल पंड्या—जितना रुपया सरकार को खर्च करना था, उसी अनुपात से सरकार ने खर्च किया और अगर सरकार रुपया नहीं देती तो ये योजना शुरू कहां से होती?

श्री चांदमल मेहता—यह योजना कब पास हुई?

श्री भोगीलाल पंड्या—दिसम्बर में।

श्री चांदमल मेहता—चार महीनों में कितना रुपया खर्च किया गया?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने आपको बताया कि कितना रुपया खर्च किया गया। अगर रुपया खर्च नहीं करते तो चलती कैसे।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५०८

हाड़ेन्द्र इन्टर कॉलेज, बून्दी में हड़ताल होने के कारण कुछ अध्यापकों का स्थानान्तर

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सच है कि हाडेन्द्र इन्टर कालेज, बूंदी के छात्रों ने कुछ समय पूर्व हड़ताल की थी और इसके फलस्वरूप सरकार ने किन्हीं अध्यापकों का तबादला उपरोक्त कॉलेज से किया था?

[महाराज श्री केसरीसिंह]

(ख) यदि हां, तो उन अध्यापकों को कहां कहां नियुक्त किया गया ?

(ग) उपरोक्त हड़ताल का क्या कारण था ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—(क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ङ) यह हड़ताल विद्यार्थियों की मांग पर हुई थी।

महाराज श्री केसरीसिंह—उनकी क्या क्या मांगें थी ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—उनकी मांगें बहुत लम्बी चौड़ी हैं। आप चाहें तो पढ़कर सुना सकती हूं। उनमें से कुछ मंजूर कर ली गईं।

महाराज श्री केसरी सिंह—लम्बी है, तो भी आप पढ़ दीजिए।

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—उनकी मांगें यह थीं:—

(१) अध्यापकों की कमी है उसकी पूर्ति की जावे।

(२) सामान की पूर्ति की जावे।

(३) (अश्रव्य)

ये तीनों मांगे पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा उनकी और भी बहुत सी मांगें हैं, फर्नीचर की कमी को पूरा करने के लिये, इन्टर में सिविक्स और एग्रीकल्चर और बाइलोजी की क्लासेज खोलने के लिये, शार्टहैंड, टाइपराइटिंग के लिये प्रबन्ध आदि कई मांगें हैं। इस पर विचार हो रहा है।

महाराज श्री केसरीसिंह—कौन कौन सी मांगें उनकी पूरी हो चुकी हैं और कौन कौन सी मांगें बाकी हैं ?

श्री अध्यक्ष—पहले बताया गया है कि पहली तीन मांगें पूरी हो चुकी है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मैंने बताया कि तीन मांगें मंजूर हो चुकी हैं, इसके अलावा सेन्टर खोलने की जो मांग है, उसके लिये युनिवर्सिटी ने अपना कुछ (अश्रव्य) महसूस नहीं किया।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या अध्यापकों के तबादले नहीं हुए यह सच है ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—इस कारण से नहीं हुए।

महाराज श्री केसरीसिंह—हुए तो हैं न ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—इसका जवाब दे दिया गया है।

महाराज श्री केसरीसिंह—हुए तो हैं न ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जहां पर थे वहीं पर काम कर रहे हैं।

महाराज श्री केसरीसिंह—अभी आपने कहा कि तबादला हुआ तो फिर वहीं के वहीं कैसे रहे ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मैंने नहीं कहा तबादला हुआ।

महाराज श्री केसरीसिंह—सरकार कहती है कि उनका तबादला नहीं हुआ क्या यह सत्य है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—आपने पूछा था कि क्या हड़ताल के कारण तबादला हुआ ? मैं पहले ही बता चुकी हूं कि नहीं हुआ।

महाराज श्री केसरीसिंह -और किसी कारण से तबदला नहीं हुआ ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—इस कारण से नहीं हुआ, हो सकता है अन्य किसी कारण से हुआ हो।

महाराज श्री केसरीसिंह—तबदला हो गया तो वे किस जगह नियुक्त हैं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—आपका प्रश्न यह था कि हड़ताल के कारण तबादला हुआ क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमन्त्री)—हड़ताल के कारण तबादला नहीं हुआ, अलग से तबादला हुआ होगा, उसकी जानकारी इस प्रश्न के साथ नहीं है।

प्रश्न संख्या ५०६

लो कोस्टिंग हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत जनता को मकान बनाने हेतु ऋण देने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्राप्त धन राशि

श्री नारायण चतुर्वेदी—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—(१) लो कॉस्टिंग हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत जनता को मकान बनाने के लिये ऋण देने के लिये कितने रुपये केन्द्रीय सरकार की ओर से प्राप्त हुए थे ?

(२) इन रुपयों में से कितनी रकम वापस लोटाई जा चुकी है और कितनी रकम का उपयोग हो चुका है ?

(३) बाकी रकम के उपयोग न होने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(१) इस स्कीम के अन्तर्गत जनता को मकान बनाने के लिये ऋण देने के लिये केन्द्रीय सरकार से ४० लाख रुपये प्राप्त कर चुके हैं तथा २२ लाख रुपये के लिये और प्रार्थना की गई है।

(२) वापिस यह रकम नहीं लोटाई गई प्राप्त सूचना के अनुसार ३७,३१,७८८ रुपया खर्च हो चुका है। ३१-३-५६ तक बाकी रकम खर्च हो जाने की आशा है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

भू-स्वामी आन्दोलन पर श्री गृह मन्त्री का वक्तव्य

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के समक्ष दो स्थगन प्रस्ताव उपस्थित किए गये हैं। इनका सम्बन्ध उन घटनाओं से बताया गया जो गत ७ और ८ अप्रेल को जयपुर में हुई थीं। जैसा कि आपको विदित है यह घटनायें अपने में कोई अलग नहीं थीं। भूस्वामी आन्दोलन के नाम से पिछले कई महीनों से राजस्थान में जो कार्यवाही हो रही है ये घटनायें उसी का भाग हैं।

भू-स्वामी संघ द्वारा संचालित आन्दोलन एक बार स्थगित होने के बाद १६ दिसम्बर, १९५५ को बिना किसी नियमित पूर्व सूचना के फिर से आरम्भ किया गया। सरकार को यह नहीं बताया गया कि आन्दोलनकारी क्या कहते हैं और उनकी क्या मांगें हैं। जिन घटनाओं का स्थगन प्रस्ताव में चर्चा है, उनके होने तक भी आन्दोलन के नेताओं ने सरकार के समक्ष कोई निश्चित मांगें प्रस्तुत नहीं की थीं।

जयपुर से शुरू होकर यह आन्दोलन राज्य के अनेक स्थानों में फैलाया गया। आन्दोलन के नेता बराबर यह कहते रहे हैं कि वे शान्ति पूर्ण सत्याग्रह कर रहे हैं लेकिन स्वयं जयपुर तथा जोधपुर, जालोर, जैसलमेर आदि स्थानों के जो विवरण सदन के माननीय सदस्यों ने सुने होंगे उनसे यह प्रकट है कि यदि यही शान्तिपूर्ण सत्याग्रह है तो

[श्री रामकिशोर व्यास]

इस शब्द की परिभाषा जब दूसरी माननी होगी, आन्दोलनकारियों ने हिंसात्मक कार्यवाहियों ही नहीं की ऐसी कार्यवाहियों भी कीं जो कभी कहीं किसी का सम्मान नहीं बढ़ा सकतीं, इसका एक प्रमाण वह प्रदर्शन था जो इसी सदन में किया गया; आन्दोलन के प्रति सरकार का दृष्टिकोण बराबर नरमी का रहा है । उत्तेजना के अवसर अनेक बार आये हैं, लेकिन पुलिस ने मरतक आने पर काबू रखा है । आन्दोलनकारी जहां हिंसात्मक और उपद्रव कारी हुये वहीं बल प्रयोग के लिए विवश होना पड़ा ।

मार्च के आरम्भ में सरकार को विश्वासनीय रूप से मालूम हुआ कि इस सभा का अधिवेशन आरम्भ होने के अवसर पर भू-स्वामी संघ शहर में उपद्रव करने का विचार करता है । किसी प्रकार की दुर्घटना न होने देने की दृष्टि से ४ मार्च, १९५६ को १५ दिन के लिए धारा १४४ लगाई गई ।

भू-स्वामी संघ के नेताओं ने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में जयपुर में सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया और अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करके यह आश्वासन दिया कि सम्मेलन पूर्णतय: शान्त और संयत होगा और यह कि धारा १४४ को इस पर लागू न किया जाए । सरकार ने इस आश्वासन को मान लिया ।

५ और ६ अप्रेल, १९५६ को जयपुर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में सम्मेलन हुआ । इसमें क्षत्रिय महासभा के अतिरिक्त जनसंघ, रामराज्य परिषद तथा हिन्दू महासभा जैसे अन्य संगठनों के नेता भी उपस्थित थे । चूंकि सारे राजस्थान तथा अन्य राज्यों से भी लोग सम्मेलन में आमन्त्रित किये गये थे इसलिए लगभग ८ हजार व्यक्ति जयपुर में एकत्रित हो गये ।

इस सम्मेलन की दो दिन की कार्यवाही का विवरण मैंने पढ़ा है । मुझे खेद के साथ सदन को बताना पड़ रहा है कि पहले दिये गये आश्वासनों के विरुद्ध सम्मेलन में जान बूझकर उत्तेजना पूर्ण वातावरण फैलाया गया । मैंने ध्यान पूर्वक यह देखने की चेष्टा की कि सम्मेलन में दिये गये भाषणों में कोई सुनिश्चित सुझाव अथवा मांगें भी थीं या नहीं । जहां तक जागीर-पुनर्ग्रहण का प्रश्न है सिवाय इस मांग के कि जागीरें बनी रहने दी जायें और कोई मांग मेरे देखने में नहीं आई । अगले दिन "करो या मरो" का मंत्र दिया गया और सम्मेलन समाप्त करते करते कहा गया कि युद्ध करने का समय आ गया है । रात्रि को युद्ध नहीं होता । सुबह फिर युद्ध शुरू होगा । जैसा कि मैंने कहा यह सब कुछ सम्मेलन के सम्बन्ध में दिये गये पहले के आश्वासनों के विरुद्ध था, दांता के ठाकुर साहब की भाषा विद्रोहात्मक थी । इस सम्मेलन के समाप्त होने पर मालूम हुआ कि रात में ही भू-स्वामी संघ के नेता दांता हाउस में एक बन्द कमरे में मिले और यह निश्चय किया गया कि

[श्री रामकिशोर व्यास]

सम्मेलन के लिए एकत्रित सदस्यों और प्रतिनिधियों की उपस्थिति का उपयोग किया जाये, और अगले दिन ७ अप्रैल से ही आन्दोलन बड़े पैमाने पर प्रारम्भ किया जाय। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के सम्मेलन के लिए जयपुर आये हुये व्यक्तियों को इसके लिये उकसाया गया, बताया कि वे अधिकारियों को उन्हें गिरफ्तार करने के लिये बाध्य करें और यदि आवश्यक हो तो उपद्रव मचायें।

इससे शहर में सार्वजनिक शान्ति भंग होने की आशंका हो गई, और जिलाधीश ने ७ अप्रेल को प्रातःकाल से धारा १४४ फिर से लागू कर दी। स्पष्ट है कि ६ अप्रेल को रात को दिये गये उत्तेजनात्मक भाषण और सम्मेलन के बाद किये गये गुप्त निश्चय ही इस स्थिति के लिये उत्तरदायी थे। ७ अप्रेल को दोपहर में भूस्वामी संघ के १०२ आन्दोलनकारी सरकार विरोधी नारे लगाते हुये मलसीसर हाउस से एक जुलूस बनाकर निकले और धारा १४४ तोड़ने के लिये स्टेशन रोड पर आ गये। पुलिस के घेरा डालने पर वे उपद्रवी हो गये और यातायात को रोक दिया। अतः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वहां से हटा दिया गया। तीसरे पहर ८५ आन्दोलनकारी एक एक कर चान्दपोल बाजार में एकत्रित हो गये और सरकार विरोधी नारे लगाते हुए एक जलूस बना कर आगे बढ़ने लगे। जलूस का रवैया धमकी भरा था और सार्वजनिक शान्ति भंग होने की आशंका थी। पुलिस के घेरने पर वे बहुत उपद्रवी हो गये और छोटी चौपड़ पर धरना देकर उन्होंने सारे यातायात को रोक लिया। उनकी गिरफतारी के पहले और बाद में भी आन्दोलनकारियों के उत्तेजित रवैये के बावजूद पुलिस बराबर शान्त बनी रही।

८ अप्रेल को बड़े सवेरे ही २,००० से ऊपर आन्दोलनकारी विभिन्न केम्पों से सरकार विरोधी नारे लगाते हुए निकले और चांदपोल बाजार के भीतर तथा बाहर भी धरना देकर उन्होंने यातायात को अवरुद्ध कर दिया। आन्दोलनकारियों के आक्रामक और उत्तेजनात्मक व्यवहार के बावजूद पुलिस इतनी भारी संख्या में आन्दोलनकारियों की गिरफतारी और उन्हें वहां से हटाने के दौरान में शान्त बनी रही।

इसी दिन लगभग २ बजे ४० भूस्वामियों के जुलूस ने जौहरी बाजार में छोटे छोटे समूहों में प्रवेश किया तथा उत्तेजनात्मक नारे लगाना आरम्भ किया। पुलिस का दल उन्हें गिरफतार करने गया, क्योंकि वे जाब्ता फौजदारी की धारा १८८ के अन्तर्गत अपराध कर रहे थे। पुलिस दल को देखकर वे मोतीसिंह भोमिया के रास्ते में घुस गये। जब उन पर (पुलिस पर) पत्थर फैंके गये तथा एक सब इन्सपेक्टर और चार सिपाही आहत हो गये तो पुलिस दल ने उनका पीछा किया। जनता तथा पुलिस में फिर हाथापाई जैसी कोई चीज नहीं हुई। आन्दोलनकारी सड़क पर लेट गये थे और उन्हें शारीरिक बल से उठाकर ट्रकों में बैठाना पड़ा। उपद्रवियों को हटाने के लिये,

[श्री रामकिशोर व्यास]

जो पत्थर फैंक रहे थे साधारण बल का प्रयोग किया गया। लाठी चार्ज करने का कोई असर नहीं आया। जहां तक ज्ञात है आन्दोलनकारियों में से एक को भी आघात नहीं पहुंचा, यद्यपि एक सब इन्स्पेक्टर तथा चार सिपाही भूस्वामियों द्वारा पत्थर फैंकने के आहत हुए। वस्तुतः किसी भी एक दिन एक ही स्थान पर इस प्रकार शान्ति भंग करने वाले इतने व्यक्तियों को बिना किसी को कोई आघात पहुंचाये गिरफतार करना कदाचित अभूतपूर्व घटना थी।

कुछ क्षेत्रों में प्रचार किया गया है कि पुलिस ने निर्दोष जनता पर लाठी चार्ज किया। निर्दोष जनता पर लाठी चार्ज का कोई प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि जनता ने आन्दोलनकारियों के प्रति कोई सहानुभूति प्रदर्शित नहीं की है। कहीं भी कोई तनाव की स्थिति नहीं है और शहर का सामान्य जीवन अपनी स्वाभाविक गति से चल रहा है। गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों में से दो वृद्ध व्यक्ति मामूली बीमारी के उपचार के लिये जेल डिस्पेन्सरी में भरती किये गये थे। किसी चोट के कारण कोई व्यक्ति डिस्पेन्सरी में भरती नहीं किया गया है। गिरफतारियों की संख्या ७ अप्रेल को १८७ और ८ अप्रेल को २,६६० थी।

सरकार अपनी समस्त शक्ति भर, राज्य में शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिये दृढ़ संकल्प किये है। अब सरकार के सामने भूस्वामी संघ की तरफ से जो मांगे रक्खी गई हैं उन पर विचार किया जा रहा है। सरकार सदैव वाजिब बातों को सुनने और उनको हल करने के लिये तैयार है।

श्री शम्भूसिंह—On a point of personal explanation, Sir, माननीय मन्त्री महोदय ने यह कहा कि कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—I think, Sir, this is not a point for personal explanation.

श्री अध्यक्ष—This is a point for opinion.

श्री शम्भूसिंह—मैं इसका एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ कि जो स्टेटमेन्ट दिया गया वह स्पष्ट नहीं हुआ। टेन्शन बढ़ने का कारण जनता पर लाठीचार्ज का किया जाना है। यह बात अलग है कि वह जनता का रोष ज्वालामुखी के रूप में नहीं फूट पड़ा, आइन्दा फूट पड़े यह अलग बात है।

श्री अध्यक्ष—(गृह मंत्री से) लाठीचार्ज हुआ क्या ?

श्री शम्भूसिंह—जनता में से लोगों को पीटा गया।

श्री रामकिशोर व्यास—नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—वे तो इन्कार करते हैं।

So in view of the statement I rule out the adjournment motion.

Page No 45

राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, १९५६ (पुरः स्थापन)

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, १९५६ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, १९५६ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—श्री रामनिवास मिर्धा।

राजस्थान गौशाला विधेयक, १९५४ (प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति हेतु समय में वृद्धि)

श्री रामनिवास मिर्धा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान गौशाला विधेयक, १९५४ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के हेतु नियत समय को ३० अप्रेल, १९५६ तक और बढ़ाया जावे।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है इसकी कार्यकाल की अवधि बढ़ाई जावे ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

राजस्थान नौकानयन नियमन विधेयक, १९५५ (प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति हेतु समय में वृद्धि)

श्री रामनिवास मिर्धा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान नौका नयन नियमन विधेयक, १९५५ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन को उपस्थिति के हेतु नियत समय को ३० अप्रेल, १९५६ तक बढ़ाया जावे।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है कि उक्त विधेयक की कार्यकाल की अवधि बढ़ाई जावे ?

(स्वीकृत)

Page No 46

आज्ञा प्रदान की गई

(विराम)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ।

राजस्थान नगर सुधार विधेयक, १९५६ (प्रवर समिति को)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान नगर सुधार विधेयक, १९५६ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे। इसके निम्न सदस्य होंगे और यह अपना प्रतिवेदन अगले सत्र तक उपस्थित करेगी। नाम यों हैं :

मिनिस्टर इन्चार्ज, सर्व श्री गुलाब चन्द, छोटूसिंह, भगवानसिंह तरंगी, उदयलाल, तेजमल बापना, मनफूलसिंह, मथुरादास, हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री, हरिदत्त शर्मा, कानसिंह, जयचन्द, श्रीमानसिंह, कुम्भाराम, घीसीसिंह, जवानसिंह, ठाकुर भोपालसिंह, अवनीकुमार मुकर्जी, जगतसिंह झाला, वेदपाल त्यागी, छीतरलाल।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेंट बिल, १९५६ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। उसके सदस्य मंत्री महोदय द्वारा निर्दिष्ट किये हुए होंगे।

राजस्थान व्योहरा विधेयक, १९५६ (प्रवर समिति को)

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान व्योहरा विधेयक, १९५६ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय; जिसके सदस्य इस प्रकार होंगे : सर्व श्री चांदमल मेहता, माधोलाल, रामजीलाल, गोपीलाल, रामरतन टिक्कीवाल, सोहनलाल, कुम्भाराम, दीनबन्धु, हरिसिंह, हंसराज, श्यामलाल, नाथूराम, वी. एन. जोशी, चुन्नीलाल बिड़ला, गनपतसिंह, राजा प्रताप सिंह, भैरूंसिंह (दांता रामगढ़), मोहब्बतसिंह, रूपनारायण और मिनिस्टर इन्चार्ज।

श्री भैरूं सिंह—वह रिपोर्ट कब तक पेश करेगी ?

श्री अध्यक्ष—यह तो जब स्पष्ट नहीं करते हैं तो शिड्यूल टाइम होता है दो महीने का।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं प्रस्ताव करूंगा कि यह अवधि अगले अधिवेशन के शुरू होने से पहले की हो; उस समय यह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

श्री भैंरूं सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर कहना चाहूँगा। पहले यह प्रस्ताव आ जावे तो बाद में कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री भैंरूं सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव में यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि यह प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में इस सदन में प्रस्तुत करे। ये शब्द प्रस्ताव के आगे बढ़ा दिये जावें।

श्री अध्यक्ष—(श्री दामोदरलाल व्यास) आपको कोई हर्ज है?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर सदस्यों को आप टाइम भी बैठने का दें। जब सैशन चलता रहता है तो उन दिनों में जब जब भी किसी सिलेक्ट कमेटी की बैठक सरकार बुलाती है तो कोरम भी उसका पूरा नहीं हुआ है। फिर इसमें यह कठिनाई आवे, इसका जरूर ध्यान रक्खा जावे। वैसे हमारी दृष्टि से यह बहुत अच्छा सुझाव है। अगर यह संशोधन प्रस्ताव में आ जावे तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का तो मुझे अनुभव है। समिति का प्रतिवेदन एक रोज में आ जावेगा। मैं समझता हूँ कि यह कमेटी छोटी हो जावे तो ज्यादा ठीक रहेगा।

(विराम)

क्या सदन की यह अनुमति है कि राजस्थान मनी लेन्डर्स बिल, १६५६ को सिलेक्ट कमेटी सुपुर्द किया जावे जिसके नामों की घोषणा ऊपर की गई है।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। एक सप्ताह में रिपोर्ट पेश करेगी।

राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज विधेयक, १६५४ (अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श)

Yes, Rajasthan Municipalities Bill, Clause 37

(विराम)

Shri Bhairon Singh

(अनुपस्थित)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३७ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ३८, श्री भैंरूंसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३८ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३८ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ३६, श्री भैंरूंसिंह

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३६ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खंड ४०, श्री भैंरूंसिंह।

श्री भैंरूंसिंह (१६)—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज ४० पर यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूँ:—

"Add the following new subclause; namely:—

'(6) Before granting leave or the withdrawal of any petition, the judge shall give an opportunity to respondente to declare if any of them

[श्री भैरू सिंह]

intends to proceed with the petition, and in case any respondent so declares, the petition, shall proceed as if that respondent had been the original petitioner.'

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की क्लॉज़ (खंड) ४० में यह व्यवस्था की जा रही है कि यदि इलेक्शन पिटीशन किसी ने की हो तो जज से इजाजत लेने के बाद वह उस इलेक्शन पिटीशन को विदड्रा कर सकते हैं। जहां पर एप्लीकेशन के विदड्राल के बारे में दिया जाता है, वहां पर सब पार्टीज़ को जज की ओर से इस बात का नोटिस दिया जायगा कि यदि इस प्रकार के विदड्राल की एप्लीकेशन में किसी को भी यदि किसी प्रकार का एतराज हो वह उस एतराज को लेकर उनके सम्मुख प्रस्तुत हो। मैंने ऐसा संशोधन प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा यह व्यवस्था होगी कि इलेक्शन पिटीशन में भाग लेने वालों के अलावा यदि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो व्यक्ति पार्टी बनाये गये हैं इस कानून के प्रावधान के कारण; इस कानून में हमने जो इलेक्शन पिटीशन में पार्टी बनाने की जो व्यवस्था की है, उस व्यवस्था के कारण हमें यह देखना पड़ेगा कि जहां इलेक्शन पिटीशन करके इलेक्शन में खड़े होने वाले सब सदस्यों को, इलेक्शन में जीतने वाले सब सदस्यों को और इलेक्शन में नहीं खड़े हुए हैं, लेकिन नोमीनेशन फोर्म उन लोगों ने भरा है, उन व्यक्तियों को हम इलेक्शन पिटीशन के द्वारा जज की कोर्ट में बुलायेंगे और जब तक उस मुकदमें का फैसला नहीं होगा उस समय तक बराबर पेशियों के ऊपर बुलाते रहेंगे। जहां तक यह व्यवस्था का प्रश्न आता है कि इलेक्शन पिटीशन करने वाले को पिटीशन वापिस लेने का अधिकार देना चाहिये, मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है। जब उसे ऐसी आवश्यकता महसूस हो; उसके हृदय में, मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की कोई शंका हो और उस शंका का निवारण होकर यदि वह इलेक्शन पिटीशन को विदड्रा करता है तो उसे ऐसा करने की इजाजत मिलनी चाहिये। लेकिन हमें उस समय यह नहीं देखना पड़ेगा कि जिन व्यक्तियों को परेशान किया गया है उन व्यक्तियों में जो इलेक्टेड मेम्बर्स हैं और उन इलेक्टेड मेम्बर्स के अलावा भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको रेस्पान्डेन्ट बनाया गया है केवल कानून को पूरा करने के लिए, कानून की पूर्ति के लिये उन व्यक्तियों को जबरदस्ती एक खर्चे के नीचे क्यों लाया जाय? जहां तक कि इलेक्टेड मेम्बर्स का प्रश्न है और जो रेस्पान्डेन्ट बनाये गये हैं और चूंकि वे मेम्बर चुने गये हैं इसलिए उनको अदालत में जाना भी पड़ेगा, लेकिन उनके साथ साथ जो नामजद हैं या जिन्होंने नोमीनेशन किया हो वह सदस्य भी खिंचते रहे और बाद में उनका जिस वक्त समझौता हो जाय इलेक्शन पिटीशन विदड्रा करने के लिये तो सब का सब खर्चा मिल जाय। इसलिये मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है कि जिन व्यक्तियों ने इलेक्शन पिटीशन की है उन व्यक्तियों को अधिकार देते हैं कि वह व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई एतराज नहीं कर सकते हैं, वहां ऐसे व्यक्तियों का प्रोटेक्शन करने के लिए जो मेम्बर्स नहीं हैं बल्कि कानून की पूर्ति के लिये उनको मुकद्दमे में घसीटा जा रहा है, उन लोगों को सेफगार्ड देने के लिए, उन लोगों का खर्चा बचाने के लिए हम उनको अधिकार दें कि यदि वह आवश्यकता समझें, यदि वह इस चीज को ठीक समझें कि यदि पिटीशनर्स सारे के सारे विदड्रा करते हैं तो यह पिटीशन हमारी तरफ से समझ ली जाय, हम मुकदमा लड़ेंगे। खर्चा उनको मिल सके। पिटीशन के नाते कोई

[श्री भैंरू सिंह]

गलत खर्चा किया हो, लोगों को परेशान करने के लिये कोई चेष्टा की है और मुकदमा दायर किया है तो परेशान करने वाले के ऊपर इलेक्शन पिटीशन चलती रहेगी। फैसला होगा किसी के बारे में, एवार्ड इशू होगा, खर्चे के बारे में एवार्ड इशू होगा तो उन लोगों को भी एक प्रकार से राहत पहुँच सकेगीं। यहां केवल पिटीशन करने वाले के लिए ही अधिकार दिया है, विदड्रा करने का तो वह विदड्रा करते समय एतराज करेगा। रेस्पोन्डेन्ट जो कि केवल कानून की पूर्ति के लिये एक पार्टी बनाया जाता है, परेशान किया गया है। पिटीशनर और जिन लोगों को पार्टी बनाते हैं, जिनके खिलाफ पिटीशन की है, वह कभी भी मिल सकते हैं। वह कभी भी मिलकर तय कर सकते हैं इलेक्शन पिटीशन को विदड्रा करने के लिए कि इतना पैसा दे देंगे, विदड्रा कर लो। मैं समझता हूं, माननीय अध्यक्ष, आये दिन म्युनिसिपेलिटीज के इलेक्शन में इस तरह की बातें होती हैं कि दोनों पार्टीज़ मिल गईं और जिनको पार्टी बनाया गया कानून की दृष्टि से वे लोग सारे के सारे परेशान हो जाते हैं। उनको परेशानी से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि उन लोगों को अधिकार दें। यदि कोई इलेक्शन पिटीशन वापिस लेता है तो उन लोगों को अधिकार हो कि जज के पास जायं और एतराज पेश करें, और उस बात से जज को सन्तोष हो और वे लोग इस बात को वाजिब समझें तो उनकी जगह एक नये पिटीशनर के रूप में सारी प्रोसीडिंग्स को परस्यू करें। तो मैं समझता हूँ कि यह बात उचित होगी और न्याय संगत भी होगी। इसलिए मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, आशा करता हूं कि माननीय मन्त्रीजी इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता:—माननीय अध्यक्ष, कानून इसके बारे में ऐसा है कि कोई आदमी दावा पेश करे तो उसको पिटीशनर के रूप में आना चाहिए और यदि कोई रेस्पोन्डेन्ट है और रेस्पान्डेन्ट हुआ है, मुद्दायला मुद्दई का काम करना चाहता है, तो नियमानुसार जब कि वह मुद्दई नहीं बना दिया जाय तब तक उसको दरख्वास्त को आगे शिफ्ट करने का अख्त्यार नहीं है। इसलिए यदि कोई भी रेस्पोन्डेन्ट उस दरख्वास्त में जाना चाहते हैं तो शुरु से दरख्वास्त पेश करनी चाहिए। वह दरख्वास्त करता है और नियमानुसार कार्यवाही करता है तो यह नियम रखा है यह नियम म्युनिसिपेलीटिज के सिलसिले में यह ठीक है, और इसमें कोई चाहे कि कोई आदमी विदड्रॉ करे तो विदड्रॉ करने की इजाजत अदालत दे देगी, तो विदड्राल के बाद में इस बात की इजाजत दी जाय कि वह खुद प्रोसीड करे, मुद्दायला मुद्दई बन जाय तो यह कानून की बात नहीं है।

श्री चांदमल मेहता:—अध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

श्री अध्यक्ष:—Just the quorum. We make just the quorum.

श्री भैंरू सिंह:—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर में बताया कि मुद्दई मुद्दायले के प्रश्न को लेकर यदि हम मुद्दायले को इस प्रकार का अधिकार दें कि वह मुद्दई

[श्री भैंरूं सिंह]

बन जाय तो यह न्याय संगत नहीं होगा। जहां तक सूट के मामले का प्रश्न आता है, मुकदमेंबाजी का प्रश्न आता है, वहां पर इस चीज को दूसरे तौर से देखें और पता लगायें कि यदि हम म्युनिसिपेलिटी के इलेक्शन पिटीशन में हम किसी मुद्दायले को मुद्दई बनाने की कानूनी व्यवस्था कर देते हैं तो उसमें हमारे सम्मुख किसी प्रकार की दिक्कत आने वाली है, उस दिक्कत का उल्लेख माननीय मंत्री जी ने बिल्कुल नहीं किया है। केवल यही कह दिया है कि न्याय संगत नहीं है। मैं समझता हूँ कि जहां आप यह समझते हैं कि उनको कन्टेस्ट करने का अधिकार हमने दिया है वह इस इशू पर कन्टेस्ट कर सकते हैं कि इलेक्शन पिटीशन को विदड्रॉ करने का अधिकार नहीं दिया जाय, वहां उनके अधिकार को थोड़ा सा बढ़ाने का मेरा सुझाव था कि केवल कन्टेस्ट ही नहीं कर सकते हैं और उचित भी है। यह जज भी समझे कि कन्टेस्ट करने के बाद पिटीशन को अपनी ओर से चलाने का भी अधिकार दिया जाय तो वह चीज भी उचित होगी और उनके उचित समझने पर उनको इस प्रकार का अधिकार दिया जाय। ऐसी कानूनी व्यवस्था कर दी गई तो मैं समझता हूं कि वह न्याय होगा, वह न्यायसंगत बात होगी। अन्यायसंगत होनेवाली चीज जो मंत्रीजी ने कही है वह बात समझ में आती नहीं है। अतएव माननीय सदस्यों से निवेदन करते हुए मैं अपने इस प्रस्ताव को सदन की अनुमति के लिए प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष:—प्रश्न यह है कि क्लॉज ४० पर जो संशोधन श्री भैंरूं सिंह जी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(प्रस्ताव अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ४० विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकृत)

खण्ड ४० बिल में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड ४१ व ४२.

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ४१ और ४२ विधेयक के अंग बनें।

[श्री अध्यक्ष]

(स्वीकृत)

खण्ड ४१ और ४२ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गया।

(विराम)

खण्ड ४२ ए, श्री भैरूंसिंह।

(श्री भैरूंसिंह द्वारा संशोधन प्रस्तुत न करने पर Don't want to move. I take also 41 A, 42 B. and 42 C.

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ४२·ए. ४२ बी. व ४२ सी. विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

खण्ड ४२ए, ४२ बी. व ४२ सी. विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

४२ डी. व ४२ ई.

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ४२ डी. और ४२ ई. विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

खण्ड ४२ डी. और ४२ ई. विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

खण्ड ४३, श्री भैरूंसिंह।

श्री भैरूंसिंह:—माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड ४३ में मेरा संशोधन इस प्रकार है:

"Substitute the word '3' for the word '6' occuring in the second line."

[श्री भैंरू सिंह]

धारा ४३ में यह व्यवस्था की जा रही है कि कोई भी म्युनिसिपेलिटी का चुना हुआ सदस्य अपनी ड्युटीज़ को अन्जाम देने से पूर्व किसी क्लेक्टर या क्लेक्टर के द्वारा नामज़द किये गये किसी अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर नियमानुसार शपथ ग्रहण करेगा और उसी की उपधारा में यह व्यवस्था की गई है कि यदि ६ महीने के अन्दर अन्दर वह शपथ ग्रहण नहीं करे तो उसका स्थान खाली घोषित कर दिया जावेगा।

मैंने जो अपना संशोधन प्रस्तुत किया है उस संशोधन के द्वारा ६ महीने का समय घटा कर तीन महीने किये जाने की सिफारिश की है। माननीय अध्यक्ष, यह आवश्यक है कि कोई भी सदस्य जो म्युनिसिपेलिटी का सदस्य चुना जाय, उसे हम अपने नियमों के अनुसार शपथ ग्रहण करायें और शपथ ग्रहण करने के पश्चात उसको ऐसा अधिकार होना चाहिए कि वह म्युनिसिपेलिटी के सदस्यों के लिए जो आम कार्यवाही है उसमें वह भाग ले। लेकिन छः महीने की अवधि निश्चित करके उसको छूट दी है कि वह चुने जाने के बाद चाहे तो शपथ ग्रहण नहीं करे, मैं समझता हूं कि यह अवधि ज्यादा है। म्युनिसिपेलिटी का कुल कार्यकाल तीन साल हम निश्चित करने जारहे हैं और तीन साल के कार्यकाल में ६ महीने की अवधि इस बात के लिए रख दें कि मेम्बर चाहे तो छः महीने में शपथ ग्रहण करे और छः महीने में जाकर म्युनिसिपेलिटी........

श्री अध्यक्ष—(श्री स्वायत शासन मंत्री द्वारा संकेत से स्वीकृति प्राप्त होने पर) इसको मंजूर कर रहे हैं ?

(श्री रघुवीरसिंह, सभापति, पदासीन)

श्री भैंरु सिंह—मुझे ऐसी सूचना मिली है कि माननीय मन्त्रीजी इस संशोधन को स्वीकार कर रहे हैं। अतः कुछ नहीं कह कर बड़ा आभारी होऊंगा कि यह जो छोटासा संशोधन है उसको अपनी स्वीकृति प्रदान करें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(अ[illegible]) का सवाल है। तीन महीने का जो अमेन्डमेन्ट है, ६ महीने के बजाय उसको स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री सभापति (श्री रघुवीरसिंह)—प्रश्न यह है कि क्लाज ४३ के सब क्लाज़ (२) में जो अमेन्डमेन्ट है वह एक्सेप्ट किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

[श्री सभापति]

प्रश्न यह है कि क्लाज ४३, एज अमेन्डेड, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लाज ४३, एज अमेन्डेड, विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया ।

श्री चांदमल मेहता—क्लाज ४३ को और अमेन्ड करने का मेरा अमेन्डमेन्ट है कि एक नया क्लॉज़ ४३ ए जोड़ा जाय ।

(विराम)

मैं मूव करूं ।

(प्रस्तुत करने हेतु स्वीकृति)

चेयरमेन महोदय, मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार का है ।

"Add clause 43 as under—

'Prohibition of remuneration to members and Chairman: No member or chairman of a Municipal Board shall be granted any remuneration or travelling allowance by the Board except with the sanction of the State Government or in accordance with rules made in this behalf.'

चेयरमेन महोदय, मेम्बर्स को, और चेयरमेन को रेम्युनरेशन और ट्रेवलिंग अलाउन्स दिये जाने के सम्बन्ध में इस बिल में कहीं कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

श्री भैरूंसिंह (१६)—आगे की गई है ।

श्री चांदमल मेहता—जहां यह कहा जाय कि इसमें व्यवस्था है, मैं निवेदन करूंगा कि इसमें आगे जाकर जो व्यवस्था की गई है वह तो कनवेयेन्स आलाउन्स देने के सम्बन्ध में है । रेम्युनरेशन या ट्रेवलिंग अलाउन्स देने के बारे में, इस बिल में कहीं व्यवस्था नहीं है । विधान सभा के सदस्यों को भी ट्रेवलिंग अलाउन्स दिया जाता है और डेली अलाउन्स भी दिया जाता है । इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स जहां जहां चालू हैं वहां उनके चेयरमेन को अलाउन्स दिया जाता है और सदस्यों को भी अलाउन्स दिया जाता है और ट्रेवलिंग अलाउन्स दिया जाता है । मैं यह आवश्यक मानता हूं कि म्युनिसिपेलिटी के जो सदस्य हैं और चेयरमेन हैं उनको भी रेम्युनरेशन और ट्रेवलिंग अलाउन्स दिया जाय और उस रेम्युनरेशन और अलाउन्स की बोर्ड स्वीकृति न दे सके । तवक्ते

Page No 55

[श्री चांदमल मेहता]

कि गवर्नमेन्ट स्वीकृति न देकर या उसके सम्बन्ध में कोई नियम न बन जांय; इस तरह का मेरा संशोधन है। माननीय चेयरमेन, अब तक यह देखा गया है कि नगरपालिका के अध्यक्ष को कोई रेम्युनरेशन नहीं दिया जाता है, वे अपना दूसरे कामों में समय लगाते हैं जो कि उनके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक होते हैं और नगरपालिका के लिए कम समय देते हैं और इस वजह से यह स्थिति होती है कि नगरपालिका का काम अच्छे ढंग से नहीं होता है। कुछ नगर पालिकायें बड़ी हैं, कुछ नगरपालिकायें छोटी हैं। जो नगरपालिकायें बड़ी हैं, उनको अधिक समय देने की आवश्यकता होती है और उनके चेयरमेन के लिए कोई रेम्युनरेशन की व्यवस्था नहीं हो तो यह निश्चित है कि वे नगरपालिका को अपना पूरा समय नहीं देंगे और उस वजह से नगरपालिका का ठीक ढंग से काम संचालित नहीं होगा। इसी तरह से सदस्यों के लिए आम तौर पर देखा जाता है कि कोई नगरपालिकाओं में कोरम पूरा नहीं होता है। सदस्य यह सोचते हैं कि बेकार समय क्यों दिया जाय? यदि कोई ऐसा विषय है जिसमें कि किसी सदस्य को दिलचस्पी है या ऐसा विषय हो जिसमें अधिकतर इन्टरस्टेड होते हैं तो अधिकतर सदस्य उपस्थित रहते हैं वरना कोरम भी नहीं होता है और इस तरह से नगरपालिका के काम में बाधा पड़ती है। यह कहा जा सकता है कि नगरपालिका की आमद कम है और इसलिए उन्हें अलाउन्स न दिया जाय। संशोधन में है कि या तो स्टेट गवर्नमेन्ट व्यवस्था करे या रूल्स बनावे। ऐसी नगरपालिकायें हैं और जिनके अध्यक्ष हैं उनको अलाउन्स दिया जाता है।

और अभी थोड़े समय पहले इस तरह का आदेश सरकार की ओर से निकला था कि किस ग्रेड की म्युनिसिपेलिटी के चेयरमेन को क्या अलाउन्स दिया जाय तो मैं आवश्यक मानता हूं कि इसी तरह की व्यवस्था इसमें होनी चाहिये कि जहां आवश्यकता हो, नियम के अन्तर्गत म्युनिसिपैलिटीज़ के चेयरमेन और मेम्बर्स को रेम्युनेरेशन और ट्रेवलिंग अलाउन्स आदि दिया जा सके। इस दृष्टि से मैंने यह संशोधन रखा है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता** (स्वायत्त शासन मंत्री)—चेयरमेन महोदय, म्युनिसिपैलिटीज के चेयरमेन और मेम्बर्स को अलाउन्स दिया जाने के बारे में यह अमेंन्डमेन्ट पेश हुआ। इस संबंध में निवेदन यह है कि क्लॉज ४७ के सब क्लॉज (१६) में चेयरमेन जो हैं उनको कन्वेयेन्स अलाउन्स देने की बात है उस समय यह विचार किया जा सकता है कि आया किसी तरह का अलाउन्स दिया जाय या नहीं? मैं समझता हूँ जब उस क्लॉज पर विचार करेंगे, उस समय अगर कोई अमेन्डमेन्ट होगा तो विचार कर लेंगे लेकिन इस वक्त इस तरह के अमेन्डमेन्ट की आवश्यकता नहीं है। जहां तक मेम्बर्स को अलाउन्स देने का संबंध है ऐसा कहीं नियम नहीं है कि मेम्बर्स को अलाउन्स दिया जाय। तो क्लॉज ४७ विचारार्थ आयगा तब विचार करेंगे। मैं आशा करता हूं, माननीय सदस्य अपना अमेन्डमेन्ट विदड्रा कर लेंगे।

Page No 56

श्री चांदमल मेहता—माननीय चेयरमेन, यह कहा गया कि क्लॉज ४७ के सब क्लॉज (१६) में अलाउन्स की व्यवस्था है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि उसमें दूसरी तरह के अलाउन्स की व्यवस्था है। जैसा मैंने पहले निवेदन किया था उसमें सिवाय कन्वेयेन्स अलाउन्स के और किसी तरह के अलाउन्स की व्यवस्था नहीं है और वह कन्वेयेन्स अलाउन्स भी उस हालत में दिया जायगा जब कि किसी के पास कन्वेयेन्स होगी।........

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने कहा था कि क्लॉज ४७ पर विचार करेंगे तब इस पर भी विचार कर लेंगे।

श्री चांदमल मेहता—यदि यहां विचार न करके सरकार चाहती है कि क्लॉज ४७ पर जब विचार करेंगे तब इसे लिया जायगा तो मैं उस वक्त इस संशोधन के बारे में अर्ज करूंगा। अभी इसे वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता— आप उस समय मूव कर देना।

श्री चांदमल मेहता—मुझे उस समय मूव करने का मौका मिलेगा तो मैं इस संशोधन को वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री सभापति (रावल श्री रघुवीरसिंह)—प्रश्न यह है कि श्री चांदमल मेहता ने जो संशोधन उपस्थित किया है उसको वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि क्लॉज ४३ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ४४

श्री भैरूंसिंह (१६)—माननीय चेयरमेन महोदय, क्लॉज ४४ में मेरा संशोधन इस प्रकार है।

" Sub-Clause [1]:--

[श्री भैरूंसिंह]

[a] Insert the word 'immediate' between the words 'take' and 'effect' in the third line.

[b] Delete the words 'after the expiry of fifteen days... ...the notice' occurring in the third and fourth lines.

[c] Delete sub-clause [2]."

माननीय चेयरमेन, इस क्लॉज में म्युनिसिपैलिटी के सदस्यों को रेजिग्नेशन देने का अधिकार दिया है। म्युनिसिपल बोर्ड का सदस्य चेयरमेन के पास अपना रेज़िग्नेशन दे सकेगा। लेकिन रेज़िग्नेशन देने के बाद इस रेज़िग्नेशन का अमल किस तारीख को होगा, किस दिन से होगा इसके लिये हमने इस धारा में व्यवस्था की है कि १५ दिन निकलने के बाद, जिस तारीख को रेजिग्नेशन दिया जाय उसको लेकर १५ दिन की अवधि होने के बाद जो दिन आवे उस दिन से रेज़िग्नेशन अमल में आया है, ऐसा शुमार किया जायगा और उप-धारा (२) में हमने यह अधिकार दिया है कि इस समय वे अपने रेजिग्नेशन को वापिस लेना चाहें तो उसकी सूचना चेयरमेन को देकर वापिस ले सकता है। इस बारे में मेरे दो संशोधन हैं उन दोनों की ऐसी मंशा है कि जहां तक रेज़िग्नेशन देने का प्रश्न है वह जिस दिन रेज़िग्नेशन दिया जाय उस दिन रेजिग्नेशन दिया हुआ शुमार किया जाना चाहिये। दूसरा संशोधन उपधारा (२) को विलोपित करने का सवाल है। वह इसलिए कि रेज़िग्नेशन देने के बाद विदड्रा करने की इजाजत नहीं देनी चाहिये। मैं समझता हूं ये संशोधन उचित हैं और जरूरी भी हैं।

जब रेज़िग्नेशन देने का प्रश्न आता है तो उस रेज़िग्नेशन का महत्व भी है, इस प्रकार की हमें व्यवस्था करनी चाहिये कि यह मजाक नहीं है कि आज हमने चेयरमेन को रेजिग्नेशन का नोटिस दिया और १५ दिन वह उसके पास रहा और १५ दिन तक हमने देखा कि रेजिग्नेशन के कारण मेरे खिलाफ या किसी सदस्य के खिलाफ म्युनिसिपल बोर्ड या जनता में किसी प्रकार का रोष आया है और उसको टण्डा करने के लिये रेजिग्नेशन दे दिया और लोगों में प्रचार कर दिया कि मैंने रेजिग्नेशन दे दिया है और फिर १५ दिन के बाद नोटिस देता हूँ चेयरमेन को कि मुझे रेजिग्नेशन वापिस लेने की इजाजत दी जाय और उसे वापिस लेने की इजाजत दी जाती है तो १५ दिन का नाटक इस धारा के अन्तर्गत करना चाहते हैं तो किस कारण से ? इस नाटक को किसी रूप में स्वीकार करें, यह अच्छी बात नहीं है। रेजिग्नेशन महत्व की चीज है। हम त्यागपत्र दें उससे पहले अपने मित्रों से, अपने सहयोगियों से अच्छी तरह से जानकारी करके, अच्छी तरह से सोच विचार करके पूरा निश्चय करके कि अमुक कारणों से मुझे इस संस्था से त्यागपत्र देना है; वह निश्चय होने के बाद त्यागपत्र चेयरमेन के समक्ष प्रस्तुत करें। यह कौनसी आवश्यकता है कि रेजिग्नेशन दिया आज और १५ दिन के बाद इसे मंजूर करें या नहीं और अमल में आयगा या नहीं, इस बारे

[श्री भैरूं सिंह]

में कोई इत्तला नहीं। आज रेजिग्नेशन दिया, इसके बाद १५ दिन तक लगातार बोर्ड की मीटिंग्ज होती हैं और हम उसको सूचना देते हैं; रेजिग्नेशन अमल में नहीं आया इसलिये बैठक में भाग लेने के लिये सूचना देते हैं और वह भाग लेगा। इस प्रकार जिस सदस्य ने त्यागपत्र दिया है और जो म्युनिसिपैलिटी का सदस्य नहीं रहना चाहिये वह मीटिंग में बैठेगा, राय मसविदा होगा उसमें अपना मत देगा। बहुमत अल्पमत का झगड़ा होगा तो उसमें पड़ेगा और झगड़े में पड़ कर कई प्रकार की कानूनी चीजें म्युनिसिपैलिटी में आती हैं उनके बारे में वोट देगा। ऐसी सूरत में जो आदमी अनिश्चित वातावरण में से गुजर रहा है, उसको पता नहीं कि उसने रेजिग्नेशन दिया उसके कारण जायगा या नहीं। ऐसे आदमी का मत लेकर निर्णय करेंगे वह जनता को और बहुमत को मान्य होगा। यह चीज जनता की सुख सुविधा के लिये अच्छी है, यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूँ। रेजिग्नेशन दिया उस दिन से स्वीकार होना चाहिये। वह सोच-समझ कर रेजिग्नेशन देता है, हम यह मान कर चलते हैं कि जिसने रेजिग्नेशन दिया है, उसने सोच समझ कर दिया है। दुबारा सोचने-समझने का उसको मौका देने की आवश्यकता नहीं है। एक आदमी कोई बुरा काम करता है तो उसको सजा होती है, जेल भी जाना पड़ता है, जुर्माना भी होता है। किसी को माफ करते हैं इसलिये कि आयन्दा रिपीटीशन नहीं करे, इस प्रकार का कार्य एक ढोंग है। आज अगर किसी ने रेजिग्नेशन दिया है तो हम उसे तुरन्त मंजूर करें और यह कह दें कि आपका रेजिग्नेशन मंजूर हो गया। यदि वह उसे वापिस लेने का कहे तो हमें कहना चाहिये कि कानून में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि तुम्हारा विचार-विमर्श चलता रहे और १५ दिन के बाद विदड्रा कर लें। इसलिये यह व्यवस्था रहनी चाहिये कि रेजिग्नेशन किसी का आया है उसको तुरन्त मंजूर करलें और उसके अमल में आने के बाद जो व्यवस्था होगी वह अच्छी होगी।

माननीय चेयरमेन, अक्सर ऐसा देखने में आया है कि म्युनिसिपैलिटीज़ में कोरम पूरा नहीं हो, इसके लिये म्युनिसिपैलिटी में एक पार्टी का बहुमत न बना रहे इसलिये, मीटिंग्स को पोस्टपोन करने की दृष्टि से रेजिग्नेशन्स ले लिये जाते हैं। आज एक प्रस्ताव पास करना है, जनता चाहती है कि अमुक प्रस्ताव म्युनिसिपल बोर्ड पास करके लागू करे। प्रस्ताव म्युनिसिपल बोर्ड में आता है और सभी सदस्य मिल कर एक नया तरीका इन्वेन्ट करते हैं, इसके लिये चार-पांच मेम्बर्स म्युनिसिपैलिटी से रेजिग्नेशन देते हैं। यह तो उनके दिमाग में आता नहीं कि उन्हें म्युनिसिपैलिटी से अलग होना पड़ेगा। उनके दिमाग में तो खुराफात रहती है कि कोरम पूरा नहीं होना चाहिये, ताकि जो प्रस्ताव है, वह अव्वल तो पेश ही नहीं होगा, अगर पेश हो भी गया तो उस पर विचार नहीं होगा। और विचार भी हुआ तो अधूरा होगा। इसलिये १५ दिन के रेजिग्नेशन के पीरियड में न कोरम पूरा करते हैं और न उनको निकालने की कार्यवाही करते हैं और वह निर्णय जो जल्दी से जल्दी निकालना चाहिये वह पड़ा रहता है।

फिर वे सदस्य जो रेजिग्नेशन देते हैं, वे अपना रेजिग्नेशन वापिस ले लेते हैं और फिर बाद में वह प्रस्ताव आया तो फिर रेजिग्नेशन की सूचना दे दी, १५ दिन का समय फिर इसी तरह

[श्री भैरूंसिंह]

निकल गया। न वह प्रस्ताव पेश हुआ, न कोरम ही पूरा हुआ, और न उस प्रस्ताव पर कोई निर्णय ही लिया गया। इसके बाद फिर रेजिग्नेशन विदड्रा करने की इजाजत दे दी और फिर वे बोर्ड के सदस्य बन गये। इसमें वह पाबन्दी नहीं रखी है कि पहली बार रेजिग्नेशन देंगे तो यह १५ दिन की छूट दे दी जायगी, परन्तु इसके बाद फिर यह छूट नहीं दी जायगी। पर इसतो यहां उसे छूट दे रहे हैं कि रेजिग्नेशन के विदड्रा करने की जो १५ दिन की अवधि रखी गई है उसका जी चाहे तब तक फायदा उठाता रहे। एक महीना नहीं, ६ महीना, १ वर्ष, ३ वर्ष का समय भी पूरा करना चाहे तो वह करे। इसलिये जहां इस प्रकार की पाबन्दी नहीं है कि १५ दिन की इस अवधि का वह कितनी बार फायदा उठा सकता है, जब उस पर आप किसी प्रकार की पाबन्दी नहीं रख रहे हैं तो हम इस धारा में जो यह छूट है वह देने को तैयार नहीं। यदि एक आदमी रेजिग्नेशन देता है तो यह नहीं समझा जा सकता कि उसका दिमाग ठीक नहीं है। ताकि फिर उसे कहने का मौका रहे कि मुझे रेजिग्नेशन वापिस लेने की इजाजत दी जाय। वह रेजिग्नेशन सोच-समझ कर देता है, तो इसका मतलब यह होता है कि वह म्युनिसिपल बोर्ड में काम नहीं करना चाहता। उसका रेजिग्नेशन उसी समय एक्सेप्ट कर लेना चाहिये। पार्लियामेंट में, असेम्बलीज़ में ऐसी व्यवस्था है। ऐसी सूरत में म्युनिसिपेलिटी में जिस दिन रेजिग्नेशन आये, उसी दिन स्वीकार करा लिया जाय और जितने दिन निर्धारित करें, उस समय में चुनाव करा लिये जांय। उन्हें मन चाहे ढंग से रेज़िग्नेशन देने और फिर उन्हें विदड्रा करने के अधिकार नहीं होने चाहिये।

मैं समझता हूँ मेरा संशोधन बिल्कुल साफ है, और इसे मन्त्री महोदय भी सोच-समझ कर स्वीकार करेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—माननीय चेयरमेन, सिलेक्ट कमेटी में यह प्रश्न आया तो काफी विचार किया गया। अब तक जो नियम था कि रेजिग्नेशन दिया जाय और उसका केस जाता है तो उसकी कोई अवधि नहीं थी। अब उसके एक्सेप्टेन्स की बात इस क्लॉज नहीं रखी गई है, अवोइड कर दिया है। पहले क्लाज था उसमें एक्सेप्टेन्स में समय लगता था, पर अब यह अमेंडमेंट रखा है इसमें एक्सेप्टेन्स का १५ दिन का टाइम दिया गया है। किसी मेम्बर नेमें गलती से इस्तीफा दे दिया हो तो विदड्रा करने का समय दिया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कोई गलती से भी रेजिग्नेशन दे सकता है। कोई ऐसी बात हो गई हो जिससे वह गलती में रेजिग्नेशन दे दे, तो उसके विदड्रा करने का मौका मिले तो यह कोई अनुचित बात नहीं है। इसलिये यह सोच समझ कर रखा है। यह ठीक है कि माननीय सदस्य ने भाषण जरूर दिया है पर वे अपने अमेंडमेंट को वापिस ले लेंगे।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ)—माननीय चेयरमेन, माननीय मन्त्रीजी ने जो उत्तर दिया उसको यह कहूं कि सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को बिना पढ़े ही दिया है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। जहां सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट इसके साथ संलग्न है, उसको देखने से पता लगता है कि इस धारा पर सिलेक्ट कमेटी ने कोई राय नहीं बनाई है। ४४ के ऊपर भी विचार किया हो, इससे मालूम नहीं। न

[श्री भैरुं सिंह]

मालूम कब की उन्हें याद रह गई और सिलेक्ट कमेटी की आड़ में क्योंकि उनके पास कोई आग्यूमेंट नहीं, इसलिये यह कह दिया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह जरूरी थोड़ा ही है कि हर एक बात सिलेक्ट कमेटी को रिपोर्ट में दर्ज हो।

श्री भैरूं सिंह—महत्वपूर्ण बातें सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में दर्ज होती है। मैं यह अर्ज करना नहीं चाहता कि सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में जितनी भी बातें सेलेक्ट कमेटी में होती हैं वे सभी उसमें आयें बल्कि जितनी भी महत्वपूर्ण बातें होती हैं वे सब उसमें आती हैं। यह शायद आपके ख्याल से महत्वपूर्ण नहीं। पर सिलेक्ट कमेटी की आड में सारी बातें छिपाने की चेष्टा की, वह तो सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट मैंने देख ली, नहीं तो यह महत्वपूर्ण बात सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में शामिल समझी जाती।

दिक्कत इसमें यह नहीं है कि १५ दिन की छूट दें। क्या दिक्कत है, यह माननीय मंत्रजी ने न बताया है और न बताने की स्थिति में हैं। जहां छोटे से आदमी के रेजिग्नेशन देने की बात है, वहां यह मौका नहीं देते कि इतने समय में वह अपना इस्तीफा वापिस ले ले। सबसे छोटी यूनिट पंचायत है उसके मेम्बर को यह मौका नहीं देते। उससे बड़ी यूनट तहसील पंचायत है, उसके मेम्बर को यह छूट नहीं देते। उससे बड़ी यूनिट है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की उसके सदस्य को आप यह अधिकार नहीं देते। इन छोटी छोटी यूनट्स में आप यह अधिकार उनके सदस्यों को नहीं देते कि रेजिग्नेशन देने के बाद, वह एक अवधि में अपने रेजिग्नेशन वापिस ले सकतें हैं, तो शहर के लोगों के लिये ऐसी व्यवस्था क्यों रखी है, यदि गांव वालों को आप ऐसी इजाजत दें कि रेजिग्नेशन देने के बाद १५ दिन या एक महीने तक वह चाहे तो रेजिग्नेशन विदड्रा कर ले, तो यह बात समझ में आ सकती है कि वे लोग अनपढ़ हैं, पंचायतों के, ग्राम पंचायतों के, तहसील पंचायतों के कानून की उनको जानकारी नहीं होती। आपस में पंचों के कोई लडाई ही हो गई, या किस प्रकार पंचायतों के जरिये जनता की सेवा की जाय इसकी अनभिज्ञता के कारण वह रेजिग्नेशन दे दे तो उसको छूट दी जा सकती है कि सोच समझ कर १५ दिन की मियाद में अपना रेजिग्नेशन वापिस ले ले। पर यहां तो यह उल्टी बात है। ग्रामीणों को अपेक्षा शहरों में लोग अधिक लिखे पढ़े हैं। और जहां ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिये जो कि सोच समझ कर रेजिग्नेशन देंगे उनके लिये ऐसी व्यवस्था रखी है कि १५ दिन की अवधि दी कि सोच समझ कर रेजिग्नेशन वापिस ले लें और गांव वाले अनपढ लोगों को सोचने समझने का यह अधिकार नहीं, यह देखकर मुझे बडा अफसोस हुआ है।

मन्त्री महोदय यदि ग्रामीणों को ज्यादा पढा-लिखा और समझदार समझ कर चलते हैं तो मुझे दूसरा कारण और उपस्थित करना पड़ेगा जो उनकी भूल को ठीक साबित कर सके। गांवों के पढ़े लिखे हैं और शहरों के अनपढ़ हैं इसलिये यह रखा है। माननीय चेयरमेन, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि लोकल बोडीज़ में इस प्रकार की डिस्पे-

Page No 61

[श्री भैरूंसिंह]

रिटी न रखें। रेजिग्नेशन देने का मतलब है कि वह म्युनिसिपैलिटी से अलग होना चाहता है, वैसी सूरत में हम दुबारा सोचने का मौका क्यों दें मैं समझता हूं ज्यों ही म्युनिसिपैलिटी के किसी मेम्बरने रेजिग्नेशन दिया उसे स्वीकार कर लें और उसे कह दें? कि अब तुम्हें अधिकार नहीं है कि तुम इसे विदड्रा करो इसलिये माननीय मंत्री महोदय ने शायद मैं समझता हूं कि भूल से मेरे संशोधन को स्वीकार करने की बात कह दी हो। यदि उन्होंने भूल में कह दी है तो वे इसको दुरूस्त करेंगे। इतना कह कर मैं सदन के माननीय सदस्यों से मांग करूंगा कि सदन के सभी सदस्य इसको स्वीकार करने में अपना मत प्रदान करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि श्री भैरुसिंहजी ने जो क्लाज ४४ के सब क्लॉज़ ए. बी. और सी. पर संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज ४४ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लाज ४५

श्री चांदमल मेहता—सभापति महोदय, क्लाज ४५ पर मेरे दो एमेन्डमेंट्स हैं। पहला "Delete sub-clauses (2), (3) and (4)."

और दूसरा यह है—

"Add following parts to sub-clause (1) :-

[c] that being a legal practitioner, he acts or appears in any suit or other proceeding on behalf of any person, against the Board or against the State Government in respect of Nazul land entrusted to the management

[श्री चांदमल मेहता]

the Board, or acts or appears for or on behalf of any other person in any criminal proceeding instituted by or on behalf of the Board,

(d) that he has abandoned his ordinary place of residence in or has voluntarily or otherwise transferred his residence from the municipal area concerned, unless the member himself resigns his seat within 3 months of such abandonment or transfer. "

सभापति महोदय, यह क्लॉज़ ४५ बहुत महत्वपूर्ण क्लॉज़ है और इसके सब क्लॉज़ (२) (३) और (४) के मातिक सरकार अपने हाथ में अधिकार लेना चाहती है और क्लेक्टर और कमिश्नरों को अधिकार देना चाहती है उस पर खास तौर से विचार करने की बात है। इसके सब क्लॉज़(२)में कमिश्नर और कलेक्टरों को यह अधिकार दिया गया है कि यदि कोई सदस्य जिसकी पोजीशन ऐसी खराब हो गई हो कि पब्लिक इन्ट्रेस्ट के लिये वह मेम्बर नहीं रखा जा सकता तो उसको कमिश्नर या कलेक्टर हटा सकता हैं। इसके आगे यह भी व्यक्त किया गया है कि यदि कलेक्टर या कमिश्नर चाहे तो उसको सस्पेन्ड भी कर सकता हैं। सभापति महोदय, एक मेम्बर जो पब्लिक के वोटों द्वारा चुन कर आता है और जिसको उस वार्ड के रहने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं विश्वास जाहिर कर उसको चुन कर भेजते हैं और यहां सरकार क्लेक्टर और कमिश्नर को यह अधिकार देना चाहती है कि अगर वे चाहें कि उसकी पोजिशन ऐसी खराब हो गई हो कि वह सदस्यता को जारी रख सके तो उसको हटा दे। मैं निवेदन करूंगा कि जनता द्वारा चुन कर आये हुए व्यक्ति को क्लेक्टर या कमिश्नर द्वारा हटाया जाना यह तो जनतन्त्र की हत्या होगी। जिनको पब्लिक ने विश्वास देकर भेजा, उसको क्लेक्टर या कमिश्नर हटा दे, इससे ज्यादा जनतन्त्र की हत्या की क्या बात हो सकती है ?

अक्सर देखा गया कि क्लेक्टर और कमिश्नर पब्लिक के चुने हुये लोगों से नाखुश हो जाते हैं। ऐसे मौके आये हैं जब कि क्लेक्टर या कमिश्नर अपनी मनमानी करने की इच्छा करते हैं तो उनकी मनमानी करने की चैक करने को, रास्ता पब्लिक के चुने हुए लोगों से ही होता है और इसमें या तो विधान सभा के सदस्य हैं या नगरपालिका के अध्यक्ष या सदस्य ही हो सकते हैं। जब कभी ऐसे मौके आ सकते हैं कि जब क्लेक्टर कमिश्नर के खिलाफ वे लोग आवाज उठाते हैं तो कमिश्नर और क्लेक्टर इस धारा के द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकते हैं और उनको सस्पेन्ड कर सकते हैं या हटा सकते हैं। इसमें आगे यह कहा जाता है कि इसमें प्रोविजन है कि वह अपील कर सकता है। वह आगे सरकार के पास जा सकता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार में यह देखा गया है कि जिस तरह की मिसाले आज हमारे सामने आरही हैं वह हमसे छुपी नहीं हैं। जैसी मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए यह कहना पड़ता है कि किसी पार्टी विशेष या गुट का जोर होने के कारण सरकार के इशारे पर या आदेश के अनुसार कलेक्टर या कमिश्नर प्रभावित हो सकता है और उसका नतीजा यह हो सकता है कि जनता के चुने हुए व्यक्ति, जिसको जनता ने चुन कर भेजा है, न रहे और कलेक्टर व कमिश्नर और उसके पीछे सरकार

[श्री चांदमल मेहता]

को कुछ भी अपनी ओर से निर्णय दे, उसके आधार पर ही वे लोग रह सकते हैं। हमें हाल ही में हुए पंचायातों के चुनावों का अनुभव है और इस अनुभव ने हमें बता दिया है कि सरकार के उच्च अधिकारी ही नहीं बल्कि मन्त्रीगणों ने भी पंचायतों के निष्पक्ष चुनाव होने से रोका है। अगर हम इस बात को देखें कि मन्त्रीगण भी दिलचस्पी पंचायतों के चुनाव में ले सकते हैं तो क्या यह बात हमारे दिमाग में नहीं होगी कि वे अपने खिलाफत करने वाली पार्टी के सदस्य को हटाने के बारे में विचार कर सकते हैं। इसलिये मैं तो यह कहूंगा कि इससे जनता के चुने हुए व्यक्ति सही रूप में जनता की सेवा कर सकते हैं, नहीं कर पावेंगे और जनता की सेवा में बाध पहुंचा सकती है।

एक बात और सोचने की है कि कलेक्टर और कमिश्नर को अधिकार देने की बात कहते हैं तो शायद थोड़े दिनों के बाद आपको यह भी सोचना हो कि विधान सभा के सदस्यों की स्थिति है उस पर भी सोचना होगा। उनको हटाने के लिए भी कोई न कोई निर्णय अवश्य होगा। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि इस तरह की बातें करके आप उनको हटा नहीं सकते। जिस तरह से विधान सभा के सदस्य अपनी अपनी कोन्स्टीट्यूएन्सी से चुन कर आते हैं, उसी तरह से नगरपालिकाओं के लोग भी अपने अपने वार्डों से चुन कर आते हैं। इसलिये अगर इस प्रकार के अधिकार कलेक्टर और कमिश्नर को देते हैं कि चुने हुए व्यक्तियों को वो हटा सकते है तो मैं यह कहूंगा कि यह जनतन्त्र की आप हत्या कर रहे हैं। स्वायत्त संस्थाओं में जहां तक हो सके सरकार का कम से कम दखल हो तो ज्यादा अच्छा है और इसके लिये यह आवश्यक हो जाता है कि इसके लिये इस क्लॉज की उपधारा (२) (३) और (४) निकाल दी जावे। मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय भी जनतन्त्र में अधिक विश्वास रखते हैं, उनको काफी इस बात का अनुभव है। वे इस पर गम्भीरता से सोचेंगे और इसकी उपधारा (२) (३) और (४) जो इस क्लॉज में रखी गई हैं, उनको निकाल देंगे।

दूसरा मेरा संशोधन है, उसमें कुछ नया सब क्लॉज जोड़ने के बारे में। यह जो सब क्लॉज जोड़ने की बात कही है कि अगर कोई लीगल प्रेक्टीशनर हो और किसी मुकदमे में जो नगर पालिका के खिलाफ हो उसमें एंगेज होता है या कोई क्रीमिनल प्रोसीजर है, उसमें नगरपालिका के खिलाफ खड़ा होता है तो उसे हटा दिया जाना चाहिये।

यह जो कुछ मैंने निवेदन किया है वह यह बात ध्यान में रखकर किया है कि जो सदस्य नगरपालिका की प्रोसीडिंग में हिस्सा लेगा उसके इन्स एन्ड आउट्स की जानकारी रहती है। कई बार ऐसा मौका आता है कि वे इस सम्बन्ध में अपनी ओर से एक बार मत भी दे देते हैं, अगर उनको कोई मुकदमा मिल जाता है तो जो कुछ भी प्रस्ताव वहां होते हैं उसकी जानकारी तो उनको रहती ही है। इस आधार पर वे मुकदमे को जिता सकते हैं और यह एक प्रकार से उनकी कमाई का साधन हो जाता है। ऐसी हालत में वकील लोग किसी उसूल के आधार पर नहीं, पैसा कमाने की दृष्टि से नगरपालिका में जायेंगे और इस प्रकार के मुकदमे लेंगे। यह एक प्रकार से बहुत अनुचित बात होगी। अगर नगरपालिकाओं के चुनाव में खड़े होने के लिये वकीलों को छूट दे दी गई तो बहुत अनर्थ

Page No 64

[श्री चांदमल मेहता]

होगा। इसी दृष्टि से यह उपधारा जोड़ा जाना आवश्यक है कि वकील लोग नगरपालिका के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। हो सकता है, इस सदन में बैठने वाले वकील लोग जिनकी बहुतायत है, इसका विरोध करेंगे और विचित्र तरीके पर कानूनी दाव पेचों द्वारा इसका विरोध करने के लिये खड़े होंगे लेकिन मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जितना नुकसान देश का इन वकील लोगों ने किया, जितना भ्रष्टाचार, जितनी गड़बड़ियां आज देश में फैली हुई हैं, इन वकील लोगों की वजह से फैली हुई हैं.......

श्री भैंरूसिंह—इस सदन में जो वकील हैं, उनका क्या हाल है ?

श्री चांदमल मेहता— यह तो माननीय मन्त्री महोदय अपने अनुभव से बतलायेंगे। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि वकालत के पेशे को खत्म किया जाय; जैसे कि दूसरे मुल्कों में किया है। यह सोचना आवश्यक होगा कि जो सदस्य नगरपालिका की प्रोसीडिंग में भाग लेते हैं और फिर अपनी ओर से मुकदमे लेने के लिये खड़े हो जायँ इसको रोकने के लिये हमारी सरकार को कदम उठाना चाहिये। हमारे माननीय मन्त्री महोदय वकील रहे हैं और बहुत ईमानदार वकील रहे हैं। हो सकता है उनको वकीलों का ही ज्यादा ख्याल आये। मैं यह सोचता हूँ कि जहां वे ईमानदार वकील रहे हैं, एक ईमानदार वकील के नाते ईमानदारी से सोचेंगे और जो संशोधन मैंने रखा है उसे स्वीकार करेंगे।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो संशोधन मैंने रखे हैं, वे नये हैं। कहीं दूसरे प्रान्तों में इस प्रकार के न हों, यह बात नहीं। ऐसे ही कुछ संशोधन दूसरे प्रान्तों में जहां कि जनता काफी एडवान्स्ड है, जो वकीलों के अत्याचारों से ऊब चुकी है वहां इस प्रकार के प्रोवीज़न्स मौजूद हैं। माननीय मन्त्री महोदय के जवाब देने के बाद मैं बताऊंगा कि किन किन प्रांतों में कितने कितने एडवान्स्ड कानून हैं, कहां किस किस तरह की व्यवस्था रखी है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस पर गम्भीरता से सोचेंगे और जो मेरा संशोधन है उसे स्वीकार करेंगे........

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—माननीय चेयरमेन........

श्री चांदमल मेहता—जरा सब्र रखिये, मैं अभी तो अपने संशोधन मूव कर रहा हूँ। मुझे बोल जाने दीजिये। आपको भी मौका मिल जायगा। तसल्ली रखें।

दूसरा जो संशोधन मैंने रखा है वह इस बात के लिये रखा है कि अगर कोई नगर पालिका का सदस्य अपने निवास स्थान को छोड़ कर बाहर चला जाय, वैसी हालत में वह नगर-पालिका की सदस्यता से हटा दिया जाना चाहिये बशर्ते वह तीन महीने के अन्दर अन्दर त्यागपत्र न

Page No 65

[श्री चांदमल मेहता]

दे । यह बहुत आवश्यक बात है कि कई बार ऐसे मौके आते हैं, जब कोई महत्वपूर्ण मसला होता है और उसके वोट की जरूरत होती है । अगर सदस्य का इन्टरेस्ट उसमें हुआ तो वह उपस्थित हो जाता है नहीं तो आमतौर पर अपने निवास स्थान से बाहर ही रहता है । चेयरमेन महोदय, मैं निवेदन करूंगा अगर कोई सदस्य अपने निवास स्थान को छोड़कर चला जाय तो उसके नगरपालिका के कार्य में किसी प्रकार का हिस्सा न ले, वैसी हालत में उसके अधिकार एक प्रकार से खत्म हो जाते हैं । हो सकता है माननीय मन्त्री महोदय इस पर यह कहें कि हमने पहले ही यह व्यवस्था कर रखी है कि कोई भी आदमी तीन महिने से अधिक अनुपस्थित रहे तो यह कार्यवाही हो सकती है । वह तीन महिने के लिये इजाजत लेकर इजाजत से बाहर रह सकता है । इस दृष्टिकोण से वह जब कभी मौका आता है तो मीटिंग में उपस्थित हो जाते हैं और इस तरह से अपने आपको चालू रख सकते हैं । मैं यह निवेदन करूंगा कि जो अपने निवास स्थान को छोड़कर दूसरे निवास स्थान पर बाहर रहता है तो उस रूप में उसे नगरपालिका का सदस्य रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि यह दूसरा भी जो मेरा संशोधन है उस पर गंभीरता से सोचेंगे और मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेंगे ।

श्री भैरूंसिंह (१६)—माननीय चेयरमेन महोदय, क्लॉज़ ४५ में मेरा संशोधन इस प्रकार है :

"Delete sub clause (2)

Delete sub clause (4)."

माननीय चेयरमेन, अगर यह कहूं तो कि क्लॉज ४५ इस सारे विधेयक की प्राणघातिका धारा है तो कोई अतिशियोक्ति नहीं होगी । हमने यह विधेयक इसलिये प्रस्तुत किया है कि नगरपालिकाओं का इन्तजाम नगरपालिका की हद में रहने वाले निवासियों के द्वारा और चुने हुये व्यक्तियों के द्वारा करवाया जाय । हम उनको आगे चलकर किस प्रकार का काम वे करेंगे, कौन सा काम वे करसकेंगे, उसके लिये व्यवस्था किये जाने का सुझाव अलग अलग धाराओं के साथ आयेगा, वहां रखेंगे । लेकिन जिस तरह से एक सुन्दर बच्चा पैदा होता है , पैदा होने के साथ उसके घर वालों को खुशियां होती हैं । उन खुशियां के साथ साथ उसके लिए और कोई गौरव नहीं रह सकता । बिल्लियां आ पहुँचती हैं, तब सारा चिन्ता का विषय बन जाता है । इस विधेयक की हालत भी इसी प्रकार की है ।

राजस्थान की नगरपालिकाओं का प्रबन्ध करने के लिये कई दिनों की प्रतीक्षा के बाद हम सारे राज्य के लिये एक कानून बना रहे हैं और वह कानून आज हम इस विधान सभा में देख पाये हैं वह कानून बन रहा है । और उसके बनने के साथ साथ हम इस बात की अपेक्षा करके चल रहे हैं कि इस कानून से लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट के जितने अंग हैं, उस लोकल सेल्फ गवर्न-

[श्री भैरूंसिंह]

मेन्ट की जितनी भी संस्थाओं का निर्णय हम करने जा रहे हैं वे सारी की सारी संस्थायें प्रजातंत्र की स्तम्भ होंगी। प्रजा तंत्र उन्हीं से पनपेगा और प्रजातंत्र का फायदा इन्हीं संस्थाओं द्वारा लोगों को प्राप्त होगा।

बदकिस्मती है कि इस भावना का समावेश इसमें नहीं हो रहा है। इस धारा के अन्तर्गत हमने अधिकार दिया है कलेक्टर और कमिश्नर को कि वह चाहे जितनी सारी नगरपालिकाओं और उन नगरपालिकाओं के सदस्यों को हटा सकते हैं। अगर कमिश्नर चाहे तो बड़ी बड़ी नगरपालिकाओं के सदस्यों को हटा सकता है। मैं समझता हूँ कि कलेक्टर और कमिश्नर का दर्जा जनता के मुकाबले तुच्छ है। जहां एक नगरपालिका में जनता अपने नुमायन्दों को चुनकर भेजती है वहां जब उसके सदस्य को हटाने का अधिकार है तो उसके लिये हम कलेक्टर को अधिकार दे रहे हैं इस धारा के तहत कि वह उसको हटा सकता है। मैं समझता हूं और मेरा ऐसा मानना है कि यह कानून नहीं बल्कि जनता की तौहीन है कि जिस जनता द्वारा चुने हुए आदमी को हटाने का अधिकार एक कमिश्नर और कलेक्टर को मिले इससे बड़ी शर्म की चीज हमारे लिये क्या हो सकती है कि ऐसा कानून हम बना रहे हैं। आप बहुमत के बल पर ऐसा कार्य कर सकते हैं, आप जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं अपने बहुमत के आधार पर आप जब इस पर मौन धारण किये हुए हैं, आप यह सोचते हैं कि यह कानून न्याय संगत बन रहा है। लेकिन आपको यह ध्यान में होना चाहिये जिन लोगों को जनता ने चुनकर भेजा है, उनको हटाने का अधिकार आप किस को दे रहे हैं ? एक ऐसी मशीनरी को जो सरकार का जो हजूरी करने वाला है; आपके हुक्म की तामील करने वाला है। जिसका यह ध्येय रहेगा कि किस व्यक्ति से माननीय मंत्री नाखुश हैं, हमारे बड़े मिनिस्टर नाखुश हैं, तो जब हम यह अधिकार कलेक्टर और कमिश्नर को देते हैं तो वे क्या करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को जिससे मिनिस्टर महोदय नाखुश हैं उन म्युनिसिपेलिटी के सदस्य को ये कहेंगे कि आपका काम अच्छा नहीं। काम कैसे अच्छा नहीं है यह मेरी जानकारी में है। तुम्हारा काम अच्छा नहीं है, इसलिये तुम हटाये जाते हो इस प्रकार के अधिकार हम देते हैं, उनको हटाने के।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन खण्डों का उल्लेख किये बिना नहीं रहूंगा जहां धारा ४५ में कलेक्टर और कमिश्नर को अधिकार दिया है कि वह किसी मेम्बर को बरखास्त कर सकता है। हमने इस प्रकार के अधिकार इस सरकार को और देने की इसमें व्यवस्था की है। सरकार अधिकार पर अधिकार लेती जा रही है पर उसे फिर भी सन्तोष नहीं। वह अधिकार होगा जनता की इच्छा के प्रतिकूल टैक्स लगा दे। म्यूनिसिपल बोर्ड चाहे कि ये नहीं लगे, पर सरकार चाहती है कि इतना टैक्स लगाया जावे तो म्यूनिसिपेलिटी को मानना पड़ेगा। अगर वह नहीं माने तो म्यूनिसिपल बोर्ड को भी हटाया जा सकता है। और आगे चलकर इससे भी सन्तोष नहीं हुआ आगे चलकर सारी व्यवस्था को भी सरकार भंग कर सकती है। मैं पूछता हूं कि यह सब अगर सरकार को करना है, आप को यही करना है, तो फिर कानून किस वजह से बनाते हो, ये सब हमारा

[श्री भैरूंसिंह]

समय क्यों बरबाद करते हो, एक ही ऐसा कानून बना दो जो सार्वभौम हो, सर्व सत्ता सम्पन्न आपको बना दे कि सरकार को अधिकार हो कि जिस नगरपालिका में चुनाव कराने चाहे उसमें चुनाव करावेंगे, और चुनाव चाहेंगे नहीं करावेंगे, या जिनको हम पसन्द करेंगे उन चुने हुए मेम्बरों को काम देंगे और बाकी को सबको बन्द कर देंगे। इस प्रकार का कानून ले आवो आपका सारा काम बन जावेगा, बहुमत के जोर से सब करा लेंगे। हम तो अपनी रोने पीटने की बात करेंगे, आप उसे मन्जूर करें; नहीं करें यह आपकी मरजी की बात है, पर इस पर हमें सन्तोष होगा कि आपने एक दकियानूसी कानून पास करवाया है जिसकी वजह से हमें परेशानियां भुगतनी पड़ेंगी वे भुगतेंगे। पर प्रजातन्त्र को पनपाने के लिये, डेमोक्रेसी की हत्या होने से बचाने के लिये, स्वायत्त शासन संस्थाओं को चलने देने के लिये, स्वायत्त शासन संस्थाओं में जनता की श्रद्धा पैदा करने के लिये, अगर इन कानूनों में आपकी वह डिक्टेटरशिप आती है, आपकी पार्टी को पनपाने वाली भावनाएं आती हैं और एक गुट्ट में भी एक जाति विशेष को पनपाने वाली बात आती है तो उस कानून को हम स्वीकार नहीं करेंगे। धारा ४५ में आप कह रहे हैं :

"The Commissioner in a city and Collector in any other case shall remove a member of the Board on any of the following grounds:-"

चार कारण दिये हैं कि किन किन कारणों से म्यूनिसिपल बोर्ड के किसी सदस्य को कलेक्टर और कमिश्नर हटा सकते हैं। पहला कारण यह है कि यदि वह बोर्ड की मीटिंग से एबसेन्ट रहा है। तीन मीटिंगों से लगातार एबसेन्ट रहा है। मैं समझता हूं कि इसके लिये अगर कलेक्टर और कमिश्नर को अधिकार दे दें तो यह कोई ज्यादती नहीं होगी। गैरहाजिर रहने वाला भुगतेगा। इसमें कोई ज्यादती नहीं। दूसरा कारण फिर रक्खा :

"that he has incurred any of the disqualifications mentioned in section 17 or section 24."

सेक्शन ७ में और २४ में जो डिसक्वालिफिकेशन्स हैं, उनके रहते हुए कोई सदस्य नगरपालिका का सदस्य बनता है तो मैं स्वयं समझता हूँ कि यह अच्छा नहीं। इस में भी ज्यादती नहीं। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष, सबक्लॉज़ (२) पढ़ें, इसमें लिखा है।

"The Commissioner or the Collector as the case may be may remove from the Board a member who in its opinion has so flagrantly abused in any manner his position as a member of the Board as to render his continuance as a member detrimental to the public interest,"

अब पब्लिक इन्टरेस्ट क्या है ? उनकी ओपीनियन क्या है ? कौनसी बात पब्लिक इन्टरेस्ट में अहितकर होगी और कौनसी नहीं होगी, इसका विश्लेषण इस सारे कानून में कहीं नहीं है। तो हम कह दें दूसरे शब्दों में कि इस सम्बन्ध में कलेक्टर को आरबिटरेरी पॉवर दे दिये गये हैं, उसको म्यूनिसिपल बोर्ड का एक तरह से डिक्टेटर बना दिया गया है, अगर यह कलेक्टर और कमिश्नर, सारे म्यूनिसिपल बोर्ड के डिक्टेटर बन गये तो इसमें भी कोई

[श्री भैरूंसिंह]

अतिशयोक्ति नहीं होगी। जहां जनता ने चुनकर एक आदमी को भेजा उसके बारे में कलेक्टर यह कहे कि उस की ओपीनियन में जो वह सदस्य काम कर रहा है, वह पब्लिक इन्टरेस्ट में नहीं है, इस कारण यह म्यूनिसिपल बोर्ड का सदस्य नहीं रह सकता, यह या तो उसकी स्वयं की ओपीनियन बने, या उस क्षेत्र के नेताओं की ओपीनियन बने या मिनिस्टर साहब के टेलीफोन की ओपीनियन हो या उनके किन्हीं छुटभईयों की ओपीनियन हो; और इनमें से किसी की भी ओपीनियन अगर ऐसी बन गई तो वह सदस्य नहीं रह सकेगा। यह एक अत्यन्त खतरनाक बात है। यह बात समझ में आ सकती है कि उनकी स्वयं की ओपीनियन की आड़ में यह एक तरह का शिकार खेला जावेगा, मिनिस्टर महोदयों द्वारा, स्थानीय नेताओं द्वारा, और उनके छुटभाइयों द्वारा। जिस तरह से एक बच्चे को बन्दूक दे दी, उसमें बारूद डालदी और बत्ती भी रख दी और बच्चे को देकर कहा जाय कि इसको फलां पर चला दो तो उसी प्रकार से अपने गुट्ट को प्रोत्साहन देने के लिए, अपने विरोधियों के साथ अत्याचार करने के लिये, उन्हें हटाने के लिये या जिस किसी भी सदस्य से उनका विरोध हुआ उससे बदला लेने के लिये, उस मेम्बर को हटाने के लिये, यह सरकार ने कलेक्टर को जो एक बच्चा है, उनके हुक्मों की तामील करता है, उनका एक नौकर है, उसके हाथ में यह कानून की एक बन्दूक थमा दी है और कहा है कि बच्चा इसे उधर चला, इधर चला, उस पर चला, इस पर चला। अब इससे कोई मेम्बर मारा जावे यह उसकी बदकिस्मती है। सरकार यह चाहती है कि उसके अधिकार इसी प्रकार के बने रहें। पर हम नहीं चाहते कि वह इस प्रकार अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती रहे। सरकार को किसी म्यूनिसिपल बोर्ड के सदस्य के बारे में अगर शिकायत है तो प्रजातन्त्र में कानून द्वारा इसकी व्यवस्था की है, म्युनिसिपल बोर्डों के इन्तजाम करने की व्यवस्था की है। सदस्यों के लिये हमने कुछ ड्यूटीज़ निर्धारित की हैं। उन ड्यूटीज़ का अगर पालन नहीं करता कोइ सदस्य तो उसे हटाया जा सकता है पर उसका तरीका जनतन्त्र के अनुकूल होना चाहिये। पर आज तक इसकी अवहेलना की गई है। इस सम्बन्ध में एक बात और भी मैं बता दूं कि यदि हमने यह आवश्यक समझ लिया है कि अमुक मेम्बर को हटाना है तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि आज तक अगर किसी सदस्य को सरकार ने हटाया है तो ऐसे सदस्य को हटाया है कि जो सदस्य कांग्रेस का नहीं है, जो जनसंघ का रहा है, रामराज्य परिषद का रहा है, हिन्दू महासभा का रहा है। उन्होंने तो एक सिद्धान्त मान लिया है कि कांग्रेस वाले अन्याय कर ही नहीं सकते, वे भ्रष्टाचारी हो ही नहीं सकते, वे म्यूनिसिपिल की ड्यूटीज़ को तोड़ ही नहीं सकते। कांग्रेस वाले चोरी करें, पर उनको नहीं हटा सकते, कांग्रेस वाले अन्याय करें, पर उसे नहीं हटा सकते, डाकू बन जावे कांग्रेस वाले पर उसे नहीं हटा सकते, कांग्रेस वाले लड़कों को उड़ाकर ले जावें, पर उसको नहीं हटा सकते, उनको सजा नहीं दे सकते। पर अगर कोई कांग्रेस से भिन्न सदस्य कलेक्टर का कहना नहीं मानेगा, उस क्षेत्र के नेताओं की खुशामद नहीं करेगा, मन्त्री महोदय के छुट भईयों को राजी नहीं रक्खेगा, जनता की राय को जोर के साथ व्यक्त करेगा, जनहित के काम में आगे आवेगा तो उसको फांसी होगी। उसको कहेंगे, तू नगर पालिका का सदस्य नहीं रहा। मैं कहूँगा कि यह जनतन्त्र की हामी होने का

[श्री भैरूंसिंह]

दावा करने वाली सरकार के लिये शर्म की बात है। दूसरी पार्टी को खत्म करने का अधिकार लेना शोभा की चीज नहीं। आप सबको पनपने दें। जो ऐब करता है वह सजा पावेगा। सजाओं की अलग अलग कई जगह हमने व्यवस्था कर रखी है, इण्डियन पीनल कोड है, क्रिमिनल कोड है और दूसरे कई छोटे बड़े एक्ट हैं। यदि कोई गलती करेगा वह उसकी सजा भुगतेगा। पर जनतन्त्र के जो मूलभूत आधार हैं उन पर आघात करने के लिये कोई कानून आप बनावेंगे, अपने एक गुट्ट को बेजा प्रोत्साहन देने के लिये इस तरह के दकियानूसी कानून अगर आप बनावेंगे और हर किसी अपने विरोधी को जिस किसी तरह दोष लगाकर खतम करने का कानून बनावेंगे, अगर इस तरह से डिक्टेटरशिप के अधिकार अपने हाथ में लेने का कानून आप बनावेंगे तो यह न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। कलेक्टर एक मामूली आदमी, सरकार का एक नौकर, नौकरशाही का एक पुरजा, मन्त्रियों के हाथ की कठपुतली, छुटमइयों और नेताओं की दया पर जीने वाला आदमी एक तरफ, और दूसरी तरफ पांच सात दस हजार की जनता द्वारा चुना हुआ एक व्यक्ति, जिसे जनता ने जांचा और कइयों के मुकाबले में चुनकर भेजा, उसको वह कलेक्टर अपने मालिक के टेलीफोन के इशारे पर जो काम करता है, कौन कह सकता है कि वह अपनी मरजी से किसी के साथ न्याय करेगा ? कौन कह सकता है कि यह न्याय है, यह प्रजातन्त्र का तरीका है ?

लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की हम व्यवस्था करने जा रहे हैं तो मैं तो यह कहूँगा कि हम ऐसे अधिकार कलेक्टर को और कमिश्नर को नहीं दे सकते। जहां ऐसे अधिकार हमने असेम्बली के मेम्बर के लिये कहीं नहीं रक्खे वहां उसके लिये कैसे रख सकते हैं ? किशनगढ़ से आने वाले सदस्य ने कहा था कि कोई भी जो विधान सभा का सदस्य है, उसको इस तरह से नहीं हटाया जा सकता। कोई यह कहे कि वह अनपढ़ है तो अनपढ़ तो इस सदन के सदस्य भी हैं जिन्होंने क, ख, ग, भी शायद सीखा न हो। और फिर केवल अनपढ़ होने से काम नहीं कर सकेंगे, यह दलील लचर है, चल नहीं सकती।

दूसरा प्रश्न आता है, वह कोई ऐब करता होगा। ड्यूटीज़ के विपरीत काम करता होगा। मैं कहता हूं कि वे माननीय सदस्य दूसरी जगह क्यों जावें। अपना मुंह ही कांच में देखें। इस विधान सभा का इतिहास देखो। कई सदस्यों ने क्या क्या कारनामे किये हैं, जनता को किस तरह से पीसा है, किस तरह से उसे लूटने की चेष्टा की है, प्रजातन्त्र का गला किस तरह से घोटा है, तो इतना होने के बावजूद जो पचास हजार से चुनकर आने वाले व्यक्ति नहीं हटाये जा सकते तो जिसको केवल दस हजार की जनता चुनकर भेजे उसे केवल कलक्टर की मरजी पर कैसे छोड़ा जा सकता है। कलेक्टर की दया पर उसे छोड़ना न्याय की चीज नहीं है। पंचायतों में से किसी को हटाने का सवाल आवे तो सरकार के पास अधिकार है, तहसील पंचायत में से किसी को हटाने का सवाल आवे तो सरकार अपने पास अधिकार ले, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में से किसी को हटाने का सवाल आवे तो सरकार अपने पास अधिकार ले और अब यह चौथा नगरपालिका के सदस्य को हटाने का भी अधिकार ले ले। सरकार ने अधिकार ले लिया सुपरसीड़ करने का, जबर्दस्ती से टैक्स लागू करने का, अगर

[श्री भैंरूसिंह]

बोर्ड लागू न करे तो बोर्ड को सुपरसीड़ करने का, अब इतने अधिकार लेने के बाद में भी कलक्टर को ये अधिकार देने की आवश्यकता क्यों हुई है ? कौनसी आफत आने वाली है सरकार पर कि अगर कलेक्टर को यह अधिकार नहीं दिया तो वह म्यूनिसिपल बोर्ड बगावत कर देगा ? सरकार कहेगी ठीक ढंग से कोई ड्यूटीज का पालन करता नहीं है सदस्य, तो उस पर एक्शन लेने का अधिकार किसी के पास होना चाहिये। मैं कहता हूं म्युनिसिपल बोर्ड बने हुए हैं उनको खतम करने का प्रश्न नहीं है, उसके सदस्यों को हटाने का प्रश्न नहीं सरकार इसके बारे में यही कहेगी कि ये अधिकार उसके पास नहीं हैं। उसने तो कलेक्टर को अधिकार दिये हैं, स्वयं ने थोडे लिये हैं। पर इसके लिये भी मैं अर्ज कर दूं कि राजस्थान में ऐसा है कि कलेक्टर स्वतन्त्र नहीं है, वह आपके इशारे पर नाचने वाला है, शायद आपकी कृपा उस पर हो जावे, यदि ट्रान्सफर का संकेत कर दें, प्रोमोशन का लालच दे दें या और कुछ प्रलोभन मिल जावे, तो मैं कहता हूं एक नहीं उस डिस्ट्रिक्ट में उस नगरपालिका में पनपने वाले एक एक सदस्य को लेकर सभी सदस्यों को खतम कर सकता है। सरकार के विरोधी सभी सदस्यों को वह समाप्त कर सकता है। यह मेरी राय नहीं है, यह मेरा ही कहना नहीं है, यह कोई नया आक्षेप नहीं है, आप अपने पहलेके सभी कारनामों को देखें। मिनिस्टर महोदय कहेंगे कि मेरे आने के बाद ऐसी कोई बात नहीं हुई, मेरे राज में ऐसा नहीं हुआ, पर मैं कहता हूं आप अपने से पहले के कारनामों को देखो। सदस्यों को नामजद करने के कारनामों को देखो। क्या ड्यूटीज़ करते हैं ? उन सभी करनामों को देखो और इस सबके लिये झुंझनूं के बोर्ड को देखो और अगर यह पता नहीं हो आपको तो मेरे साथ चलो और आपने स्वयं ने क्या कार्यवाही की है। वह भी मैं बता देना उचित समझूंगा, नहीं तो आप यही कहते रहेंगे कि मैं जो दलील दे रहा हूं वह आपके आने से पहले के कारनामों की दे रहा हूं, आपके आने के बाद कहीं नहीं हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, झुंझनूं का इस तरह का केस है कि वहां के एग्जीक्यूटिव ऑफीसर हैं उन्होंने झुंझनूं में बोर्ड के पैसे का दुरुपयोग किया। काफी पैसा इधर उधर लगाया। इसका उनके पास हिसाब नहीं। हिसाब मांगा तो कह दिया मेम्बरों को नहीं दूंगा। ऐसी हालत में सब मेम्बरों ने मिलकर सरकार को लिखा कि एग्जीक्यूटिव ऑफीसर को हटाओ, उनके हिसाब की जांच करो, वरना हम सारे स्तीफा देते हैं। जब सेक्रेटेरियट के लेवल तक बात आती है तो मांग की गई हमारी तरफ से कि सेक्रेटरी से हिसाब मांगा जावे, हिसाब ऑडिट कराया जावे और घोटाला अगर साबित हो तो सजा दी जावे। जहां नगरपालिका के सभी सदस्य कहते हैं कि उस को हटाया जावे, कारनामों की जांच की जावे, वहां हमारी सरकार कहती है कि म्यूनिसिपल बोर्ड के सदस्य ही हट सकते हैं पर एग्जीक्यूटिव आफीसर नहीं हट सकता। वह केवल इस कारण से कि झुंझनूं के कुछ प्रभावशाली व्यक्ति यह नहीं चाहते, वे जिनका आज सरकार पर प्रभाव है, जो सरकार पर आज अधिकार जमाये हुए हैं, उनकी इच्छा है कि सारा बोर्ड भंग होजावे, वे सब त्यागपत्र दे दें इसकी चिन्ता नहीं पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उनका अपना है, वे सोचते हैं सरकार हमारी है पैसा खा लिया हो पर हटें तो मेम्बर ही हटें, उसे हटा कोई भी नहीं सकता। इस प्रकार का काम आपके राज्य में हुआ है, और बहुत काम माननीय मन्त्री के राज्य में हुये हैं। इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि लोग आपको

Page No 71

[श्री भैंरूसिंह]

मुगालते में डाल देते हैं उन्हीं नेताओं की सिफारिश पर कलेक्टर कहेगा कमिश्नर चलेगा उन्हीं नेताओं की सिफारिश पर और जो वे करेंगे वह भी उन्हीं नेताओं की सिफारिश पर, अगर शिकायत आवेगी आपके पास तो ये ही नेता आपको मुगालता देते रहेंगे, कहेंगे उसने बहुत ठीक किया। चिड़ावा का सेक्रेटरी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। कोई शिकायत करेगा तो आपके पास वही प्रभाव शाली व्यक्ति आवेंगे, पहुंचेंगे और आपको मुगालते में डालेंगे, आप उनके मुगालते में आ जावेंगे और टेलीफोन जावेगा आपका कि उन्हें विश्वास होगया है, नेताओं ने, उन छुटभाइयों ने आकर कह दिया है कि वह सदस्य वार्ड हटने लायक है और वह हट जावेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस धारा को लेकर उस अधिकार को देंगे या नहीं? उस समय चर्चा करना चाहता हूँ कि कलेक्टर्स को अधिकार मत दिलाओ, कमीशनर्स को अधिकार मत दिलाओ। जयपुर जैसे शहर में जहां चीफ मिनिस्टर रहता है, हाईकोर्ट के जज रहते हैं, वोट देने वालों में वह भी होंगे। यहां गवर्नमेंट के फर्स्ट क्लास आफिसर रहते है। जहां विधान सभा के सदस्य रहते हैं, जिसमें पार्लियामेंट के मेम्बर्स रहते हैं। म्युनिसिपेलिटी के चुनाव होंगे। चुनाव होने के बाद वह चुनकर आवेंगे और जयपुर नगरपालिका के सदस्य होंगें जिनको कि वोट दिया है बड़े बड़े आदमियों ने, तो वह आदमी भले होंगे। जनता के विश्वास पात्र होंगें। वह व्यक्ति जायगा म्युनिसिपेलिटी में और उस व्यक्ति को हटाने का अधिकार देंगे कमिश्नर को जो कि मातहत होगा उन लोगों के जिन्होंने कि उसे वोट दिया है। उनके मातहत होगा जिनके द्वारा चुनाव हुआ है उस आदमी को हटायेगें। वह उनके द्वारा हटाया जायगा। वह (कमिश्नर) उनसे कहेगा कि तुमने यह गलती की है। म्युनिसिपेलिटीज़ की ड्यूटीज़ को ठीक तरह से अन्जाम नहीं दी हैं। म्युनिसिपेलिटी में ऐसी कार्यवाही की है कि जनता की सुरक्षा की दृष्टि से तुम्हारा रहना आवश्यक नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि यह आप अन्याय कर रहे हैं और हम इस कानून के बनाने में भाग ले रहे हैं तो हमारी तरफ से भी अन्याय होगा। उसके प्रोसीक्यूट करने का अधिकार देते हैं, तो फिर इतने बड़े अधिकारी को अधिकार देने की आवश्यकता नहीं है। कलेक्टर को ही क्यों अधिकार देते हैं? तहसीलदार या एस. डी. ओ. को ही अधिकार दे दें।

(घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष, यह बड़ा अहम मसला है। मैं आपको बताऊं कि यह म्युनिसिपल बिल के प्राण पर आघात करने वाली धारा ४५ है। इस बिल में कोई विशेष बात नहीं है। बाकी की धाराएं तो प्रोसीजर की है। मूल बात पर आघात करने वाली जो धारा (खंड) है वह ४५ है। इसलिये इसके ऊपर विस्तार से प्रकाश डालना पड़ेगा।

इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ....

श्री उपाध्यक्ष—आपने विचार तो रखे हैं, एक्सप्लेन तो किये हैं अपने विचार।

श्री भैंरूसिंह—वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ।

[श्री भैरूंसिंह]

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि यदि आपके सामने यह दिक्कत आती है कि कलेक्टर को अधिकार दें तो मैं यह कह रहा था कि कलेक्टर को ही नहीं दें बल्कि जहां भी म्युनिसिपेलटी है, वहां सरकारी अधिकारी रहते हैं उनको भी अधिकार दिया जाय। कहीं तहसीलदार होगा, कहीं थानेदार होगा, कहीं नाजिम होगा और कहीं पटवारी होगा। पटवारी भी एक अधिकारी है। तो पटवारी जो है उसको भी अधिकार दें कि वह म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्य को हटा सकता है। जबकि मंत्रीजी कहते हैं कि कलेक्टर के पास में यह रहना चाहिये तो यदि म्युनिसिपल बोर्ड का सदस्य जन सुरक्षा के अहित में काम करता हो तो सबको अधिकार दें क्योंकि अहित को रोकने का सबका काम है। पटवारी का भी काम है, तहसीलदार का भी काम है और थानेदार का भी काम है। कलेक्टर के पास सूचना मिले तब तक तो मेम्बर, मैं समझता हूं, गजब कर सकता है। लोगों को परेशान कर सकता है। तो उसके पहले जो लोग हैं उनको अधिकार नहीं दिया गया है और उसको अधिकार दे दिया है। आपने कम्पेरीज़न किया है, जनता का कमिश्नर से, कलेक्टर से। उस कम्पेरीज़न में अच्छा होता कि मंत्री महोदय को माप दण्ड देते कि कौन कलेक्टर ठीक उतरता है, कौन कमिश्नर ठीक उतरता है। यहां जयपुर शहर के जनता के आगे कमिश्नर की क्या वकत? सीकर के ३० हजार लोगों के आगे वहां के कलेक्टर की क्या वकत है? हम वकत बना रहे हैं। डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स की चोटी उन्हें दे रहे हैं। इतना बड़ा अधिकार ऐसे अधिकारियों को दे रहे हैं जो अधिकारी १, २ दिन के लिए है, क्यों कि सरकार की आज्ञा से कभी भी जा सकते हैं, उनके हाथ में कोटा शहर की चोटी दे रहे हैं, जोधपुर शहर की चोटी दे रहे हैं, जयपुर शहर की चोटी दे रहे हैं कि जिस मेम्बर को चाहे हटा दे, जिस मेम्बर को जिन्दा रखे, वह जिन्दा रहे, जिसको मारे, वह मरे तो मैं समझता हूँ कि यह कौन सा न्याय कर रहे हैं? यदि यह अधिकार दिया जाय तो मन्त्री महोदय इस बिल को विद्ड्रा कर लें और ऐसे म्युनिसिपेलिटी बिल को पास नहीं करायें। हम जो कुछ कानून आज तक चल रहे हैं उन्हीं से काम ले लेंगे। उसके आधार पर ही सारा काम चलता रहेगा, प्रजातन्त्र में कानून बनायें, डेमोक्रेसी में कानून बनायें, विधान सभा कानून बनाये और उस कानून में ऐसा अधिकार हो, आप कहेंगे कि पहले के कानूनों में भी सुपरसीड़ करने का अधिकार था, तो पहले का कानून विधान सभा का बनाया हुआ नहीं है। वे नियम विधान सभा के नियम नहीं है। वे नियम बने हुए हैं आपकी पापुलर गवर्नमेंट के। वह पापुलर गवर्नमेंट ने कही थी कि हम प्रजातन्त्र में विश्वास रखते हैं, प्रजा को अधिकार देने में विश्वास रखते हैं। हम राजनैतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं। राजनैतिक सत्ता को जो विकेन्द्रीकरण चाहती थी उस पापुलर गवर्नमेन्ट का बनाया हुआ, वे कानून हैं। जिन कानूनों को दकियानूसी कानून होने के कारण बदलने की स्थिति में, आज हम उन भावनाओं से जिन भावनाओं को कोई भी नहीं कहेगा कि न्यायसंगत हैं, प्रजातान्त्रिक है, सत्ता को विकेन्द्रीकरण करने वाली हैं, म्युनिसिपेलिटी की टेक्स लगाने की सत्ता का केन्द्रीकरण हुआ सेक्रेटेरियेट में, सेक्रेटरियट द्वारा टेक्स लगा दिया गया। टेक्स हटानेका काम हुआ तो सेक्रेटेरियेट में, शपथ दिलाने का काम हो तो कलेक्टर्स के पास सुपरसीड़ करने काम कमिश्नर तथा सेक्रेटेरियेट के पास है तो, आपने सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया है या केन्द्रीकरण किया है?

[श्री भैंरूसिंह]

म्युनिसिपेलिटीज का टैक्स लगायेंगे आप, सुपरसीड करेंगे आप, वार्ड्स बनायेंगे तो आप, जो कुछ भी सारे का सारा काम करेंगे तो वहां पर डिसेन्ट्रेलाइजेशन आफ पावर्स की मेन स्प्रिट होती है, लोकल इन्स्टीट्यूशन्स की वह स्प्रिट कहां है? हमने सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं किया है, बल्कि सत्ता का केन्द्रीकरण किया है। सत्ता का केन्द्रीकरण करने पर आपने दकियानूसी भावनाओं से सत्ता अपने हाथों में रहे इसकी व्यवस्था की है। अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा, खास तौर से मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, कि जिस समय वह एक नगरपालिका के सदस्य थे तो वह उस नगरपालिका के सदस्य होने के नाते सरकार के सामने सुझाव भेजा करते थे और सरकार मानती नहीं थी तो आप रेजिग्नेशन देने की धमकी देते थे, उस दिन को याद करें। उसकी बात सोचें कि उनके सुझाव जाते थे और सरकार मानती नहीं थी तो आप कहा करते थे कि सरकार अन्याय करती है। उसी म्युनिसिपल बोर्ड, उसी नगरपालिका की सदस्यता से आपको कलेक्टर या कमिश्नर हटाये तो आप कहेंगे कि यह अप्रजातान्त्रिक कानून है, दकियानूसी कानून है, काला कानून है, डेमोक्रेसी को खत्म करने वाला कानून है। मैं कहूंगा कि उसी रूप में अपने आपको देखकर आज इस कानून को सामने रखकर देखेंगे तो उस दकियानूसी कानून की, काले कानून की, भावना का आज इस धारा (खंड) ४५ में समावेश है, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिये मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है इस धारा की सब क्लॉज (२) और (४) को हटाने का उस संशोधन को स्वीकार करेंगे। अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं तो सदन में माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो प्रजातन्त्र में विश्वास करते हैं, नगरपालिकाओं की स्वतन्त्रता के कानून में विश्वास रखते हैं, वे एकमत होकर धारा (खंड) ४५ में जो व्यवस्था कलेक्टर्स और कमिश्नर्स को अधिकार देकर सदस्यों को हटाने की की जा रही है, वह व्यवस्था आज के युग के अनुकूल नहीं है बल्कि प्रतिकूल है।

श्री उपाध्यक्ष—श्री अवनिकुमार मुकर्जी।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष, श्री मुखर्जी तो हैं नहीं, इसलिए मैं बोल लूं। सदन के समक्ष दांता रामगढ़ से आने वाले मित्र ने जो अमेन्डमेन्ट्स रखे हैं उनके समर्थन में मैं भी अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह मानता हूं कि आज राजस्थान विधान सभा में ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं जो सन् १६३५ में या ३७ में रियासतों में कोई कानून पास होते समय आतीं तो भी शायद उनका थोड़ा बहुत तो विरोध हो कर टाली जा सकती थीं। लेकिन आज १६५६ में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, जनता से मत लेकर आये हुए ये हमारे मन्त्री, और मन्त्री भी ऐसे जिनके अन्दर बहुत से मित्र तो ऐसे हैं जो म्युनिसिपल बोर्डों के सदस्य रहे हैं और सदस्य ही नहीं बल्कि चेयरमेन भी रहे हुए हैं, वे लोग ऐसा कानून सदन के समक्ष पेश करते हैं इससे ज्यादा राजस्थान की जनता का और कोई दुर्भाग्य नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर विचार हो रहा है, मैंने नहीं रखा है।

श्री मानसिंह मद्दार—(जारी) आज कानून के मालिक आप है। यदि इस बात को आप स्वीकार कर लें तो यह धारा निकल सकती है। आज तो इस धारा के आप सर्वेसर्वा हैं। इस तरह से कह कर आप टालना चाहते हैं। मैं मन्त्रीजी को इस कलंक से वंचित नहीं होने दूंगा। उनको अपना पूरा हक निभाना होगा, या हिम्मत के साथ वे कह दें कि यह धारा वाकई जनतन्त्र के खिलाफ है इसलिये मैं इसे विदड्रा करता हूँ। यदि ऐसा कहने की हिम्मत है तो उनको मैं मुबारिक बाद देने को तैयार हूं, क्या बात हुई यदि सिलेक्ट कमेटी या कांग्रेस पार्टी ने गलत बात रख दी है तो आप हिम्मत रखिये और हमारी बात को मंजूर करेंगे तो आपकी वाहवाही है। सिलेक्ट कमेटी की ओट में या आपके मन्त्री पद पर आने से पहले का कह कर आप इससे दूर हटना चाहते हैं तो इतना जल्दी दूर नहीं होने देंगे। हम सब इस बात को समझते हैं।

उपाध्यक्ष जी, आज हमारा दुर्भाग्य है, इससे अधिक मैं नही कह सकता। जो सज्जन म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमेन रह चुके हैं, जिन्होंने सरकार से टक्करें ली हैं इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए जिन्होंने यह कहा है कि यह नावाजिब है, वे ही लोग आज इस बिल को पाईलोट करते हैं और कहते हैं कि कमिश्नरर्स और कलेक्टर्स को म्यूनिसिपल बोर्ड्स या कौंसिल्स को हटाने का अधिकार देना चाहिये। ये ही लोग आज उनको अधिकार देते हैं, इससे बढ़कर राजस्थान का क्या दुर्भाग्य हो सकता है? इससे बढ़कर राजस्थान में जन-तंत्र का हनन क्या हो सकता है। यह बड़े दुःख की बात है आज हमारी गवर्नमेंट में जो लोग हैं मैं उनसे अपील करूंगा कि वे इस बारे में सोचें समझें। जिन्होंने इस प्रकार के कानून का जयपुर लेजिस्लेटिव कौंसिल में बड़ा घोर विरोध किया था और जो जयपुर म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमेन हो चुके हैं, तीन चार वर्ष तक वे भी यदि ऊपर बैठकर इसको स्वीकार करते हैं तो मैं उनको भी उतना ही दोषी ठहराता हूं जितना मंत्रीजी को। मैं यह मानता हूँ कि आज के युग में कोई व्यक्ति यदि रिप्रेजेंटेशन आफ पीपुल एक्ट में इस प्रकार का सुझाव लाएगा कि विधान सभा के लिये हाउस ऑफ पीपुल के लिये जो कुछ रखा गया है उसमें एक प्रकार का अमेंडमेंट होना चाहिये कि कोई आदमी ऐसी वैसी बात करता है जैसा इस धारा ४५ में है:—

"......a member who in its opinion has so flagrantly abused in any manner his position as a member of the board as to render his continuance as a member detrimental to the public interest"

तो यह पब्लिक इन्ट्रेस्ट वाली बात कह सकता है। यदि इसमें भी कोई अमेंडमेंट लाया जाय तो मैं कहूंगा कि यह भी बात ठीक है कि जो म्युनिसिपल बोर्ड में लाया जाता है उसमें कोई फर्क नहीं है। वास्तविकता देखिये। सही यह है कि आज एक तरफ यह कहा जाता है कि हम जनता को अख्त्यारात देना चाहते हैं, हम यह चाहते हैं कि जनता जनार्दन को लोकल बोडीज़ में पूरा हक हो और दूसरी ओर ऐसी धारायें लाते हैं। मैं क्या निवेदन करूं उपाध्यक्ष जी, धारा ४५ वह धारा है जो जनतंत्र का हनन करती है। यह वह धारा है जिसमें कलेक्टर और कमिश्नर को जनता द्वारा चुने हुए आदमियों को हटाने का

Page No 75

[श्री मानसिंह महार]

अधिकार देते हैं और फिर यह चाहते हैं कि हम उसमें योग दें। तो यदि हम जो भी योग देंगे तो मैं कहूंगा कि वे जनता के जिस वोट के अधिकार पर सदन में बैठे हैं, वे जनता के साथ धोखा करते हैं। हम यदि उसमें योग देंगे तो ,मैं कहूँगा कि हम लोगों के लिए इससे अधिक शर्म की बात और कोई नहीं है । सही बात यही है और मैं मिसाल रखूंगा सदन के सम्मुख । पहले तो मुमकिन था कि मैं इसका कड़ा विरोध नहीं करता, लेकिन दो ढाई वर्ष के तजुर्बे ने बताया है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। जयपुर में एक म्युनिसिपल कौंसिल थी उसको सरकार ने धमकाया कि तुम शहर में इस प्रकार की चुंगी लगाओ । उक्त बोर्ड को मजबूर होकर चुंगी लगानी पड़ी, लेकिन मैं उस म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्यों को बधाई दूंगा और उनकी बुद्धिमानी की सराहना करूंगा कि उन्होंने चुंगी लगाने के बाद जनता की आवाज को माना और उन्होंने यह सोचा कि हम सरकार की आज्ञा क्यों मानें । जिस जनता ने हमें चुनकर भेजा है यदि वह कहती है कि तुम गलत कार्य नहीं करो तो हमको उस बात को मानना चाहिये । उन्होंने सोचा कि म्युनिसिपल बोर्ड की कुर्सियों से चिपके रहने के बजाय इज्जत से हट जायेंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जनता की आवाज को बुलन्द करेंगे और उन्होंने चुंगी लगाने के निश्चय को विदड्रा करने का निश्चय करके सरकार का विरोध किया। उसका नतीजा क्या हुआ कि उस म्युनिसिपल बोर्ड को हमारी सरकार ने भंग किया और उसके बाद जो जो पैंतरेबाजियां बोर्ड के साथ खेली गई और जो जो काम हुए वे हमारे सामने हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज तक वहां चुना हुआ बोर्ड नहीं आया। हमको इस बात की खुशी है कि जयपुर जैसे नगर में चुने हुए आदमियों ने चुंगी कर नहीं लगाया, उसके लिये मैं उस बोर्ड के सदस्यों को बधाई देता हूं। मुझे मालूम है कि क्या क्या यातनाएं उनको भुगतनी पड़ी, लेकिन उन्होंने हिम्मत से काम किया । यह हमारी सरकार की नीति है, आज सरकार जयपुर और जहां जहां म्युनिसिपल बोर्ड कायम हुए हैं वहां दबाव डालेगी कि तुम फलां टैक्स लगाओ, फलां काम करो और वे बेचारे जनता की सही आवाज को महसूस करेंगे कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिये तो वे सरकार का विरोध करेंगे और विरोध का नतीजा क्या होगा ? उनको धारा ४५ के नीचे कत्ल किया जायगा। कत्ल से मेरा मतलब वह नहीं है कि उनका गला काटा जायगा या तलवार से अलग किया जायगा, लेकिन उस बोर्ड के सदस्यों को वहां से हटने के लिये मजबूर करेंगे। इसके लिये धारा ४५ रखी गई है जो काले कानून के रूप में मौजूद है। ऐसा करने से आप सोच सकते हैं कि जनतंत्र के लिये क्या चीज होगी, क्या नहीं होगी। कुछ मित्र इस प्रकार की बात करते हैं कि वह और ही तरह की चीज है। लेकिन मैं फिर पढ़ कर धारा ४५ (२) को क्लीयर करदूं :

"The Commissioner or the Collector as the case may be (State Government) may remove from the Board a member who in its opinion has so flagrantly abused in any manner his position as a member of the board as to render his continuance as a member detrimental to the public interest."

टैक्स नहीं लगाना बिलकुल। पब्लिक इन्ट्रेस्ट में कहेंगे कि साहब अगर हम टैक्स नहीं लगायेंगे तो क्या होगा, पब्लिक इन्ट्रेस्ट में म्युनिसिपलिटीज़ फंक्शन नहीं कर सकेगी। एब्यूज़ किया,

[श्री मानसिंह महार]

तो शायद उनका ध्यान उधर जा रहा है कि म्युनिसिपेलिटीज़ में अनाप सनाप पैसे खाते हैं, उनको रिमूव करने के लिये यह करते हैं। पर हमारे पहले के तजुर्बे रहे हैं। जो लोग सार्वजनिक तौर से चारों तरफ से पैसे खाने में लगे हुए हैं उनके लिये हमारी सरकार कोई कानून नहीं बनाती। यही बात परसों मैंने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में भी दोहराई थी, जो सार्वजनिक कार्यकर्ता होते हैं, उनका काम ही यह होता है कि चारों तरफ से पैसा बटोरें। कम से कम मौजूदा दो तीन सरकारें हुई हैं, उनकी हिम्मत के बाहर की बात रही है कि वे इन सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को इस डेफिनेशन में ले लेती।

"...who in its opinion has so flagrantly abused in any manner his position...."

मैं उन लोगों को जो आज पैसे खाते हैं, उनको सार्वजनिक कार्यकर्ता मानता हूं तो सरकार उनके खिलाफ इस धारा को काम में लायेगी यह मैं नहीं मानता। यह मुझे जैसे और मेरे मित्र जैसे अड़ियल जो वहां आ जायंगे और कहेंगे कि जनता के हित में यह काम नहीं होना चाहिये, जनता कहती है कि टैक्स मत लगाओ, जो ऐसी सूरत में हम इसका विरोध करेंगे, तो उस हालत में हमारा गला घोटने के लिये यह धारा हमारे खिलाफ काम में लाई जायगी।

चाहे मेरे मित्र वकील लोग इसका किसी तरह से इन्टरप्रेशन करें, चाहे मेरे मित्र जो म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमेन रहे हुए हैं, इसका कुछ भी इन्टरप्रेटेशन लिया करें, मैं सदन की प्रोसिडिंग्स में यह बात लाना चाहता हूं, भविष्य बतायेगा कि आज जो मैं कहता हूं वह सत्य होगा या वे लोग कहते हैं वह सत्य होगा। अगर कोई म्युनिसिपेलिटी का मेम्बर रिश्वत खायेगा, मुकदमात व ठेके वगैरह में पैसे खायेगा, उसके खिलाफ इस धारा के तहत में कोई एक्शन नहीं लिया जायगा, यह वर्षों से हमारे सामने है। सार्वजनिक कार्यकर्ता चारों तरफ से लूट लूट कर खाते हैं पर उनको कोई भी रोकने वाला नहीं है, कोई भी पूछने वाला नहीं है। पर जो सही तरीके से सरकार की गलती को बताने वाले हैं, सरकार के गलत कामों का विरोध करने वाले हैं, उनकी आवाज बन्द करने के लिये, उनको कुचलने के लिये यह सब बातें की जारही हैं। इसलिये मैं, माननीय उपाध्यक्ष, सदन के सदस्यों से, मेरे मित्रों से, निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की गलत कार्यवाहियां हो रही है, सदन के अन्दर जिस आड़ में, यह क्लाज ४५ आया है, जिसका कलॉज है, उसका सभी सदस्यों को विरोध करना चाहिये।

इसमें सब क्लाज (४) है वह भी कैसी खतरनाक है :

"The (State Government) Commissioner or the Collector as the case may be...."

श्री उपाध्यक्ष—पढ़ना जरूरी है क्या ?

श्री मानसिंह—कई लोग पढ़ कर नहीं आते हैं, बताते हैं तो गलत इन्टरप्रेटेशन लगा देते हैं, तो उनको अच्छी तरह से समझा देने के लिये, अगर इजाजत हो तो पढ़ कर सुना दूं ?

(हंसी)

एक माननीय सदस्य—आप खुद पढ़ कर नहीं आये हैं।

श्री मानसिंह—मैं पढ़ कर आया हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—इस पर बहस इतनी हो गई है कि सब ने पढ़ लिया होगा।

श्री मानसिंह—"....may place under suspension a member, against whom proceedings under-sub section (2) & (3) have been commenced until the conclusion of thc enquiry and any member who has been so suspended shall not so long as the order of suspension continues to remain in force be entitled to take part in any proceding of the Bord or otherwise perform the duties of a member."

उपाध्यक्ष महोदय, इस चीज़ का क्या नतीजा होने वाला है ? कहा जायगा इनके खिलाफ रिश्वत के बड़े बड़े आरोप थे इसलिये इनको बोर्ड में बैठने से सस्पेन्ड कर दिया गया। जांच कोई नहीं करने वाला है। एक भी रिश्वतखोर को यह सरकार सस्पेन्ड कर देगी, यह तो सोचने की बात नहीं, सस्पेन्शन तो उन्हीं गरीबों का होगा जो मुद्दों को लेकर, सिद्धांत को लेकर सरकार की बात का विरोध करेंगे, उन पर झूठे आरोप लगाये जायंगे और सरकार का कोई काम होगा। वह उस सस्पेन्शन के दर्म्यान के अर्से में निकाल दिया जायगा और फिर काम निकालने के बाद उनको यह कह कर रीइन्स्टेट कर दिया जायगा कि, जांच की गई पर इनके खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ। तो इसमें जो यह सस्पेन्शन की बीमारी है, वह बड़ी खतरनाक बीमारी है। एक तरफ ४५ को जिस लाइट में जो यह डिफेन्स लेंगे, माननीय उपाध्यक्ष, फिर मेरा राइट ऑफ रिप्लाई नहीं होगा इसलिये पहले ही कह दूं।

यह कहा जायगा कि जो मेम्बर्स के हक हकूक हैं, उनको वे लोग मिसयूज़ नहीं करें, इसलिये यह धारा रखी है।

अगर हमको सरकार की बोनाफाइडी में शकशुबाह नहीं होता तो हम इस धारा को स्वीकार कर लेते, पर हमें तो सरकार की बोनाफाइडी पर शक है। हम नहीं समझते कि सरकार उन लोगों के खिलाफ इस धारा को काम में लायेगी। जरा सरकार एक दो मेम्बर्स की भी कोई मिसाल हमारे सामने पेश करे कि किसी भी मेम्बर के खिलाफ कभी एक्शन लिया हो। यह सरकार तो इस प्रकार का एक्शन लेने की नीति से कोसों दूर है। यह सरकार तो विरोधियों को कुचलने के लिये इस धारा को काम में लायेगी, बोर्ड में पैसे खाने वालों के खिलाफ, रिश्वतें खाने वालों के खिलाफ, कुछ नहीं करेगी।

[श्री मानसिंह महार]

मेरी इससे गरज यह नहीं है कि मैं मन्त्री जी पर लांछन लगाऊं, वे इस तरह की बातों से दूर हैं और मेरी धारणा है कि दूर हैं। पर यह कहूँगा कि जिस दलदल में वे फंसे हुए हैं उससे वे बचे नहीं, चाहते हुए भी कर नहीं सकते। क्योंकि इनकी सरकार ने, गुट्ट विशेष की सरकार ने, आज तक हमारे सामने इस प्रकार का कोई उदाहरण नहीं रखा।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

माननीय उपाध्यक्ष, इतने इम्पोर्टेन्ट विषय पर भी नहीं बोलने दिया जा रहा है। मैं स्ट्रेस कर रहा हूं, फिर भी ये पास करेंगे और हमें वाकआउट के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि म्युनिसिपल एक्ट में यह धाराएं बढ़ गईं तो हमारी ग्राम पंचायतों और तहसील पंचायतों का क्या होगा? बहुत मुमकिन है, विधान सभा के नियमों में भी ऐसी धारा बढ़ा देंगे, ताकि हमको सस्पेन्ड कर सकें। तो माननीय उपाध्यक्ष, मैं धारा ४५ के लिये बोल रहा था, आज मैं मेरे मित्रों से जो कि म्युनिसिपेलटीज के मेम्बर रह चुके हैं, और जो चेयरमेन रह चुके हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि अपने अपने तजुर्बे सदन के सामने रखें और हमें बतायें, कि किस सरकार ने किस म्युनिसिपेलिटी में कब इस प्रकार का एक्शन लिया है। मैं तो जयपुर की मिसाल पेश करता हूँ जिसमें हमारे रूपनारायण जी माथुर चेयरमेन थे। सरकार ने उनको हटाया, बोर्ड को सस्पेन्ड किया, वह जनतन्त्र को बड़ा हानिकर हुआ है।........

श्री मोहनलाल भटनागर —(अश्रव्य)

श्री मानसिंह महार—मैं उनके दिमाग की सूझ की ताइद करता हूं। वे जरूर इस बात को मान रहे हैं।

(घन्टी)

जब वे बीच बीच में बोलते हैं तो मेरा भी दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए अच्छा तो यह हो कि वे बीच में नहीं बोलें। जब कोई बड़ा आदमी कहता है तो वे बड़ा हुक्म कहते हैं और जो आदमी बड़ा हुक्म करता है तो वह अपने सही दिमाग से कुछ नहीं कह सकता और कर सकता है, वह तो बड़े हुक्म के पीछे ही रहता है। मैं यह मानता हूं कि जो लोग खुशामद करते हैं निर्भीक नहीं हो सकते। मैं निर्भीक आदमी होने से निर्भीकता की बात कहता हूं। इसलिये मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि आप उनको हुक्म दें कि वे मुझे डिस्टर्ब न करें ताकि मेरा भी दिमाग खराब न हो। माननीय उपाध्यक्ष, इसके बारे में सबसे पहली बात मैं यह अर्ज करूंगा कि जो लोग म्युनिसि-

[श्री मानसिंह महार]

पेलिटी में रह कर आये हैं वे इस धारा पर अपने विचार प्रकट करें कि यह कितनी भयंकर धारा है। अगर आप यह चाहते हैं कि कुछ गड़बड़ नहीं हो तो आप इसमें कोई स्पेसिफिक बात बढ़ा सकते हैं कि अगर कोई रिश्वत लेवे या कोई ऐसा काम करता है जिससे म्युनिसिपेल्टी के सदस्य द्वारा जनता को नुकसान होता है, उसको स्पेसिफिक कर देते हैं तो ठीक होगा और हम भी उसका स्वागत करेंगे। मगर यह जो क्लॉज है बिल्कुल एम्बीगुअस धारा है और यह कहना कि अगर इसमें यह धारा नहीं होगी तो म्युनिसिपिल्टी के सदस्यों को मनमानी करने की खुली छूट होगी। आप इसमें देखें तो सही कि वास्तविकता क्या है? आप इसको पढ़ें केवल पढ़िये ही नहीं गुनिये भी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। कि देखिये इसमें क्या ऐसी बात है, क्या खतरनाक बात है? पढ़ कर आप इसको समझा दें कि इसमें कोई खतरनाक बात नहीं है। हम यहां पर हैं अगर आप हमको कन्वीन्स कर देंगे तो हम आपकी बात का स्वागत करेंगे। हम भी उन आदमियों में से हैं जो रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, पक्षपात को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उसका मतलब यह नहीं होता कि सरकार उनको ऐसे अधिकार दे दे जिससे वे उन लोगों को जो चुन कर आये हुए हैं, खत्म कर दें और नुकसान पहुंचाए। मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री महोदय को अधिकतर म्युनिसिपेल्टी का तजुर्बा रहा है और जिन लोगों को तजुर्बा है, उनको चाहिए कि जो काले कानून की धाराएं हैं उनका हिम्मत से डट कर विरोध करें और किसी तरह से डरें नहीं। उनको यह नहीं सोचना चाहिये कि पार्टी का मामला है इसको चलने देना चाहिये। अगर आपने इसको चलने दिया तो इसका परिणाम बहुत खतरनाक होगा। यह पहले पार्टी का मामला होते होते बाद में एक आदमी का मामला हो जावेगा और बाद में डिक्टेटरशिप हो जावेगी और प्रजातंत्र धीरे धीरे खत्म हो जावेगा और जिस पवित्र सिद्धान्तों को लेकर हम यहां पर आये हैं और सिद्धान्त की बातें करते हैं वह सब खत्म हो जावेगीं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसको सर्व सम्मति से स्वीकार करें, अगर स्वीकार नहीं करें तो माननीय मंत्रीजी को इस बात के लिये बाध्य करें कि वे अपनी तरफ से इसमें ऐसा एमेंडमेंट प्रस्तुत करें जिससे कुछ लाभ हो सके। मेरे बाद में जयपुर के म्युनिसिपेल्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं वे माननीय सदस्य कुछ ऐसे तथ्य सदन के समक्ष रखना चाहते हैं, ऐसा मालूम होता है जिससे म्युनिसिपेल्टी का वाकई में भला हो सकता है और मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि वे वकीलपने के चक्कर में किसी तरह से वकीलपने का पेच नहीं डालेंगे। ऐसी मैं उनसे आशा करता हूं क्योंकि वे तीन वर्ष तक म्युनिसिपेल्टी के चेयरमेन रह चुके हैं और सदस्य भी रहे हैं। वे प्रजातन्त्र का किसी तरह से हनन न होने देंगे और किसी तरह से उसका पोषण करने की कोशिश करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं सदन के माननीय सदस्यों से नम्र निवेदन करूंगा कि जो मान्य और न्यायसंगत बात हो करें और अन्याय की बात नहीं करें।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल— माननीय उपाध्यक्ष, दोनों रामगढ़ के माननीय सदस्यों ने, एक तो दांता रामगढ़ और दूसरे जमुआ रामगढ़ ने जो इस संबन्ध में स्पष्ट शब्द कहे हैं, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद उनका व्यक्तिगत कुछ मेरी तरफ भी इशारा किया गया। मैं सबसे पहले

[श्री गुलाबचन्द कासलीवाल]

उन माननीय सदस्यों को यह याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस मूलभूत सिद्धान्त पर उन्होंने अपना आक्षेप किया है, उन्हीं मूलभूत सिद्धान्त को लेकर मैंने सिलेक्ट कमेटी में एक नोट ऑफ डिसेन्ट लिखा है, उसके साथ मेरी स्पष्ट राय यह है कि बोर्ड के फैसले की अपील सरकार के बड़े अधिकारी के पास नहीं होनी चाहिये चाहे वह कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो। उसमें मैंने यह लिखा है कि चुने हुये सदस्यों के बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध किसी सरकारी अधिकारी का निर्णय नहीं होना चाहिये। वह मूलभूत सिद्धान्त यह है। एक चुने हुए सदस्य को कलेक्टर या कमिश्नर द्वारा हटाया जाना, किसी तरह से उचित अथवा मान्य नहीं हो सकता।

["हिअर हिअर" की अवाज]

इस प्रश्न को लेकर दोनों माननीय सदस्यों के संशोधनों में कई आपत्तियें उठाईं, लेकिन मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो बात इस धारा के उपधारा (३) और (४) में वर्णित है, उसके बारे में कह देना चाहता हूं क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आते रहते हैं। मैं ५-६ वर्षों में म्युनिसिपेल्टी का अध्यक्ष और अधिकांश समय तक इसका सदस्य था। मैं किसी व्यक्ति के बारे में जो यहां पर उपस्थित नहीं हैं कुछ इशारा करूंगा और न कुछ कहूंगा लेकिन मेरा तजुर्बा यह है कि यहां पर म्युनिसिपेल्टी में कम से कम ५ सदस्य तो ऐसे थे, जिनकी नीति और व्यवहार ऐसा था कि जिनसे सरकार या पब्लिक, कोई भी, उनको एक मिनिट भी म्युनिसिपेल्टी में रखना पसन्द नहीं करती। जगह जगह से यही आवाज आती थी कि ये लोग किस तरह का व्यवहार और तौर तरीके अमल में लाते हैं और किस तरह से छोटी छोटी बातों को लेकर पब्लिक को परेशान करते है और पैसा वसूल करना चाहते हैं, उसे उनको एक मिनिट भी वहां पर नहीं रखना चाहिये। मैं उनके चरित्र को सदन के सामने क्या व्यक्त करूं इसलिये कोई बात ऐसी इस धारा में होनी चाहिये जिससे उन पर अंकुश रखा जा सके। मैं भी इस बात को मानता हूं कि जो बात इस धारा में निर्धारित है, उचित नहीं है परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि दूसरा कौनसा तरीका काम में लाया जा सकता है जिससे उन पर किसी तरह का अंकुश हो और अनुचित कार्य वे न करें। दो तीन बातें ऐसी हैं जिसके जरिये ऐसा किया जा सकता हैं। एक तो यह कि उनको रिकॉल किया जावे। लेकिन अभी तक डेमोक्रेसी में कहीं पर भी इस रिकॉल का एक्सपेरीमेंट नही किया गया। और न हमारे यहां संविधान में इस प्रकार का कोई कानून है। यह एक्सप्रीमेंट पहली दफे यहां पर कराया जाने का प्रश्न नही उठता। जब रिकॉल का प्रश्न हट जाता है तो दूसरी बात यह रह जाती है कि बोर्ड उसको अपने आप हटा दे अथवा राज्य सरकार उसको हटाए। बोर्ड को उन सदस्यों को हटाने के प्रश्न को लेकर सिलेक्ट कमेटी में काफी वाद विवाद हुआ और बहुत से सदन के इस ओर बैठने वाले सदस्यों का निश्चित मत था कि बोर्ड को ही अधिकार दिया जावें कि वे अनुचित व्यक्तियों को जिनको हम और पब्लिक पसंद नहीं करते, वोट आफ नो कोन्फीडेन्स के जरिये हटा सकें।

[श्री गुलाबचन्द कासलीवाल]

लेकिन मुझे खेद है यह कहते हुए कि सदन के उस ओर बैठने वाले महान विचार वाले व्यक्तियों ने यह राय दी कि बोर्ड को ऐसे अधिकार देने से बड़ी धान्धलियां होंगी उन्होंने अपने तजुर्बे भी बहुत अपने बोर्ड के बताये। हम लोगों ने उन तजुर्बों के सामने अपना सिर झुका लिया और हमने मान लिया कि इस प्रकार के अधिकार बोर्ड को नहीं दिये जा सकते। आप जो उचित व्यवस्था इस संबन्ध रखना चाहते हैं वह व्यवस्था कर दें। यह धारा जो सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में उन्हीं के संशोधन के जरिये दुरुस्त की गई, मैं समझता हूं सरकार की ओर से कोई भी आपत्ति नहीं होगी। ऐसी शक्ति जो मेम्बर के हटाये जाने की कलेक्टर और कमिश्नर को इन धाराओं में दी गई है वह सरकार स्वयं अपने हाथ में रखे, अन्यथा बोर्ड के हाथ में उनको हटाने का अधिकार दे।

दूसरा प्रश्न मैंने माननीय उपाध्यक्ष जी आपके सम्मुख इसके संबन्ध में एक संशोधन उपस्थित किया है। अगर मुझे आप आज्ञा दें तो वह संशोधन मैं सदन के सामने उपस्थित कर दूं

श्री उपाध्यक्ष—आपका संशोधन धारा ४५ पर है।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल-जी हां। मेरा संशोधन धारा ४५ पर है वह संशोधन केवल इतना मात्र है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं। इसमें जो कलेक्टर और कमिश्नर को जो अधिकार दिये हैं, उपधारा १ में दिये गये है उनको हटाकर मैंने यह प्रस्ताव किया है कि उसकी जगह स्टेट गवर्नमेंट को वे अधिकार दे दिये जायँ, जैसा कि ओरीजनल बिल में था। सिलेक्ट कमेटी ने जो संशोधन किया है उसको हटाकर पुराने वाला रख दिया जाय। अगर इस संशोधन को सदन मान लेता है तो उसी प्रकार के कोन्सीक्वेन्शल अमेन्डमेन्ट उपधारा (५) और (४) में होना आवश्यक होगा। मैं पहले उपधारा (बी) के संबन्ध में कुछ निवेदन कर दूं उसके बाद उपधारा (४) और (५) के बारे में निवेदन करूंगा।

एक माननीय सदस्य ने वकीलों पर बहुत लम्बा चौडा वक्तव्य दे डाला। अगर आज से चार दिन पहले की सदन की कार्यवाही का अवलोकन करते तो उनको इतना कहने की आवश्यकता मालूम नहीं होती और केवल इस पर इतना सदन का समय लेने की आवश्यकता नही रहती। सब क्लाज (बी) में कहा गया है :

"that he has incurred any of the disqualifications mentioned in section 17 or section 24.'

इसके सेक्शन १७ और २४ को एक बार देख लिया जाता तो उनको स्पष्ट रुप से मालुम हो जाता कि इसमें एक प्रोवीजन वकीलों के संबन्ध में जितना कि मेरे परम मित्र चाहते हैं उससे भी कहीं ज्यादा शब्दों में दर्ज की गई है। सेक्शन २४ के सब क्लाज (१२) में यह दर्ज है :

[श्री गुलाबचंद कासलीवाल]

"who is employed as a paid legal practitioner on behalf of such board during the term for which he has been elected or accepts employment as legal practitioner against such board."

इसके मायने सदन के सामने उपस्थित करने की आवश्यकता नहीं। इसका अभिप्राय स्पष्ट यह है कि जो अगर म्युनिसिपैलिटी की ओर से पैसा देकर वकील खड़ा किया गया हो उससे वकालात कराये, वैसी हालत में वह म्युनिसिपैलिटी का मेम्बर नहीं रह सकता। पैसा देकर ऐसा वकील किया गया हो, यदि इस प्रकार की आवश्यकता प्रतीत हुई हो किसी म्युनिसिपल बोर्ड में कि ऐसी कोई जटिल समस्या आगई हो जिनमें ऐसे वकील के करने की आवश्यकता हो जो म्युनिसिपलिटी का सदस्य हो तो उसे बिना पैसे दिये नियुक्त करने की आवश्यकता होती है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस उपधारा में स्पष्ट रूप से यह कह दिया गया है :

"who is employed as a paid legal practitioner"

दूसरा ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बोर्ड के खिलाफ वकील की हैसियत से किसी केस में एनगेज्ड हो ऐसा कोई व्यक्ति बोर्ड का सदस्य नहीं हो सकता अर्थात् बोर्ड में वकील की हैसियत से कोई भी व्यक्ति बोर्ड में किसी भी म्युनिपेलिटी में वकील की हैसियत से कोई व्यक्ति रह नहीं सकता। मैं नहीं समझता माननीय सदस्य को क्या आवश्यकता हुई वकीलों के खिलाफ उद्गार प्रकट करने की। जहां कहीं जटिल समस्यायें हल करने का सवाल आता है वहां आम तौर पर जनता इन्हीं की ओर देखती है। आज इस युग के अन्दर कोई जटिल प्रश्न सामने आता है तो वकीलों की शरण लेनी पड़ती है। वकीलों के लिये यह कहना कि एक केस इस तरफ से ले लेते हैं; दूसरा केस उस तरफ से लेते हैं यह तो उन भ्रष्टाचारी व्यापारियों ने जो लडाई के जमाने में भ्रष्टाचार किया उसके कारण यह हुआ। लड़ाई के जमाने में व्यापारियों ने क्या क्या कार-नामें किये, उस सबको सदन के सामने रखना मैं अच्छा नहीं मानता। मैं तो इस प्रकार के विचार व्यक्त करने को हीनता के विचार समझता हूं। मैं ऐसी बातों में इन्डल्ज होना नहीं चाहता। यह जो प्रोवीजन इस तरह का रखा गया है वकीलों के लिये ऐसे वकीलों का बोर्ड से संबन्ध नहीं होगा। अगर आवश्यकता हो तो पेड एम्पलोई रख सकते हैं लेकिन सदस्य नहीं हो सकते। इसलिए कोई कारण नहीं था कि माननीय सदस्य वकीलों पर अकारण ही इतना हमला करते। जो धारा पास हो चुकी है, पास हुई धारा पर ध्यान न देते हुए एक संशोधन उपस्थित करना किसी तरह भी आवश्यक नहीं था।

माननीय उपाध्यक्ष जी दूसरा प्रोवीजन है, उसमें अपील के संबन्ध में जिक्र है। उप-धारा (५) में उस ओर मैं ध्यान दिला देना चाहता हूं। टांता रामगढ से आये हुए माननीय सदस्य ने धारा ४५ के सब क्लाज (२) के पार्ट (४) को निरस्त किये जाने का संशोधन उपस्थित किया है। मैं भी यह महसूस करता हूं कि उपधारा (५) जैसा प्रोविजन इसमें रहना चाहिये. एक अपील का अधिकार होना चाहिये वैसी हालत में जबकि बोर्ड के किसी सदस्य को कलेक्टर कमिश्नर

[श्री गुलाबचन्द कासलीवाल]

अथवा और कोई अथोरिटी उनको किसी बात की वजह से उनको हटा देता है तो हटाये उसके लिये एक अपील तो होना आवश्यक है। मैं यह बात तो मानने के लिये तैयार हूं कि एक अपील का प्रोवीजन तो अवश्य होना चाहिये क्योंकि कलेक्टर कमिश्नर अथवा बोर्ड किसी का डिसीजन किसी भी समय किसी गलत बिनाह पर हो सकता है। अगर एक अपील का अधिकार होता है वह गलती ठीक हो सकती है। ऐसी अपील पर विचार करने के लिये बहुत दिनों से मैं इस बात की खोज में था कि क्या अथोरिटी अपील को सुनने के लिये होनी चाहिये। क्या स्टेट गवर्नमेंट के अलावा कोई दूसरी अथोरिटी हो सकती है? क्या जो हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं जो अथोरिटी ऐसी अपीलों को सुने?

माननीय उपाध्यक्षजी, यद्यपि इसके सम्बन्ध में धारायें बहुत आगे आने वाली हैं किन्तु मैं माननीय सदस्यों के विचार के लिये एक सुझाव अभी प्रस्तुत कर देना चाहता हूं और वह यह है कि राजस्थान के तमाम म्यूनिसिपल बोर्डों का एक संगठन, जैसा उसमें निर्धारित किया है वैसा नहीं, बल्कि ऐसा संगठन एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड के नाम से बनाया जावे जिसमें तमाम नगरपालिकाओं से चुने हुए सदस्य जिसके सदस्य हों और वह बोर्ड ऐसी अपीलों को गवर्नमेंट के बजाय सुन सके। जब तक ऐसा बोर्ड संगठित न हो और सदन के सामने प्रस्तुत होकर मान्य न हो तब तक तो मैं यह कह सकता हूं कि ऐसी अपीलों को सुनने के लिए राज्य सरकार ही उपयुक्त अथोरिटी हो सकती है।

दूसरा, यह प्रश्न भी सामने आता है कि तीन मीटिंगों में शामिल नहीं रहने वाला सदस्य अलग किया जावे। यह ठीक है, पर अकसर इसमें भी यह देखने में आता है कि छोटी छोटी म्यूनिसिपलिटियों में अगर चेयरमेन किसी सदस्य से नाराज हो जाता है तो वह समय पर मीटिंग का नोटिस भी उनको नहीं देता। मैं स्वयमेव ऐसे केसों के बारे में बहुत जानता हूं कि निश्चित रूप से चेयरमेन ने सदस्यों को जानबूझकर नोटिस देना अवोइड किया और उनकी अनुपस्थिति एक निश्चित काल की बता कर उनको हटाने के लिये प्रयत्न किया। स्टेट गवर्नमेंट के सामने वह मामला था। अब स्टेट गवर्नमेंट जांच करके किस निष्कर्ष पर पहुंची उसके मेरिट्स की की डिटेल में जाना नहीं चाहूँगा पर यह निश्चित है कि ऐसे प्रश्न रोज आते रहते हैं। इन सब प्रश्नों को हल करने के लिये दो ही तरीके हो सकते हैं डेमोक्रेसी के अन्दर कि या तो बोर्ड स्वयं इसको ठीक करे अगर वह नहीं करता है तो राज्य सरकार को अधिकार दिया जावे कि वह उन सबको दुरुस्त करे। यह सुझाव मैं पेश करता हूं और इस सुझाव के साथ अपना संशोधन जो धारा ४५ की उपधारा (१) में प्रस्तावित किया है वह उपस्थित है।

श्री जगतसिंह झाला—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य के उन धाराओं को डिलीट करने के संशोधन का समर्थन करता हूँ। मैं भी सिलेक्ट कमेटी का सदस्य था और वहां भी इसका विरोध किया गया था।

[श्री जगतसिंह झाला]

प्रजा के द्वारा चुने हुए व्यक्ति का एक नौकरशाही के पुर्जे के द्वारा हटाया जाना प्रजातंत्र की हत्या है। यह चीज प्रजातंत्र के सिद्धांत की ही हत्या करती है। अभी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने फरमाया कि कुछ ने नहीं माना। हम यह चाहते थे कि बोर्ड को ही सर्व सम्मति से उसे हटाने का अधिकार दिया जावे। पर आपने बहुमत का रखा था और सर्व सम्मति के विरुद्ध थे नहीं। मुझे उनकी अपील और हटाने के लिए डिस्ट्रिक्ट जज मुकर्रर किया जावे तो आपत्ति नहीं होगी। यह हमारा सुझाव था। उसको भी नहीं माना गया। कलेक्टर को हटाने का अधिकार देना, यह तो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में ही चल सकता है जिसकी आप निन्दा करते चले आ रहे थे। यह चीज तो दस पन्द्रह वर्ष पहले राजाओं के राज में होती थी ऐसा लोग कहते हैं, पर मैं कहता हूं यह तो पहले भी नहीं होता था। मैं स्टेट कारपोरेशन उदयपुर की बात कहता हूँ, जहां ऐसी बात नहीं थी। तो राजाओं के राज में भी ऐसा नहीं होता था और आज आप प्रजातन्त्र की दुहाई देते हुए प्रजा के चुने हुए व्यक्ति को अपनी नौकरशाही से हटवाना चाहते हो। डिस्ट्रिक्ट जज को अधिकार दिया जावे तो अनुपयुक्त नहीं होगा। वह एग्जीक्यूटिव बोडी से सेपरेट है। उस पर सरकार का अधिकार नहीं रहता। वहां आपकी दखलन्दाजी और आपकी धांधलीबाजी नहीं चल सकती। इसलिये मैंने अपना नोट ऑफ डिस्सेन्ट भी दिया था। आवडी अधिवेशन में कांग्रेस ने यह प्रस्ताव किया था कि डिसेन्ट्रेलाइजेशन ऑफ पावर किया जाय। पहले आप इसके विपरीत स्वायत्त संस्थाओं को एक अधिकार देकर आज उसे वापस अपने नौकरों के हाथों में देना चाहते हो। यह प्रजातन्त्र के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है। तो अगर आप इस धारा को रखने पर जिद्द करेंगे, बहुमत के जोर पर जनता पर अत्याचार करेंगे तो यह धारा काली धारा होगी और इससे एक एग्ज़ाम्पल सेट होगा। आपकी इस काली भूल को मानकर लोग यह कहेंगे कि आपने यह काली धारा इसमें रखकर प्रजातंत्र की हत्या की है। आप इस पर संयम से सोचें।

अगर आप अधिकार डिस्ट्रिक्ट जज को भी नहीं देना चाहते तो जैसा जयपुर से आने वाले सदस्यों ने फरमाया उसमें ज्यादा अन्तर नहीं होगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इस पर विचार भी व्यक्त काफी हो गये और बहुत से अमेन्डमेन्ट भी इस धारा में हैं, तो इसको अभी डेफर कर दिया जाय।

श्री भैरूंसिंह (१६)—मेरा ऐसा सुझाव है कि अभी कुछ सदस्य और बोलना चाहते हैं तो उनके सुझाव भी सुन लिए जावें, फिर अगर डेफर कर दिया जावे तो उनके सुझावों पर भी विचार किया जा सके।

श्री सोहनलाल भटनागर—जो प्रश्न उपस्थित किया गया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। ओरिजिनल बिल में यह बात नहीं थी, उसमें सरकार को ही यह अधिकार था पर इसके बाद सिलेक्ट कमेटी में कलक्टर और कमिश्नर को यह अधिकार दिया गया है और जो कुछ किया गया है वह पोवर विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से किया गया है। पर विकेन्द्रीकरण हुआ नहीं, जनता के

[श्री सोहनलाल भटनागर]

द्वारा चुने गये व्यक्ति को हटाने का अधिकार एक सरकारी कर्मचारी को दे देना उचित नहीं होगा। और इस दृष्टि से हमें इस चीज को देखना होगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार दिया हुआ था ओरिजनल बिल में जिसे जयपुर से आने वाले सदस्य ने प्रस्तुत किया है वह काफी ठीक होगा।

यह बड़ा काम है। जनता में इससे दिक्कत है तभी तो ऐसी शक्ति का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि म्यूनिसिपल सदस्य को हटाने को जो समस्या है वह म्यूनिसिपल बोर्ड में कहीं कहीं एक दो केस में हो सकती हैं। अक्सर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती है तो निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी शक्ति का उपयोग हो वह स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही हो।

दूसरा जो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सब क्लॉज (२) के लिए यह कहा गया है, जैसा कि जमुआ राम गढ़ और दांतारामगढ़ से आये हुये माननीय सदस्यों ने जो उसको मतलब किया है वह बहुत ही गलत है। उसकी भाषा को ठीक तरीके से देखेंगे तो आपको विदित होगा सरकार ने जो अधिकार सबक्लॉज (६) में किया वह बड़ा ही साफ है। उसमें फ्रमेन्टली एब्यूज करने की बात है। वह कन्डीशन प्रेसीडेन्ट है यानी वह इस चीज काफ्रमेन्टली एब्यूज करेगा और वह पब्लिक के इन्ट्रेस्ट में डेट्रीमेंटल होगी। ऐसी सूरत में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इन पावर्स का होना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे जाकर सरकार के पास पावर्स नहीं हो तो कई दफे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी, कोई सदस्य ऐसी कार्यवाही जो जनता और पब्लिक का दृष्टि से घृणास्पद हो करे तो सरकार उसको हटा नहीं सकती मैं यह नही कहता कि वह पार्टी विशेष का ही मेम्बर हो वह कांग्रेस का भी हो सकता है और दूसरी पार्टी का भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में सदन को हटाने के लिये सरकार को अधिकार नहीं दें तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी सदस्य हटाया नहीं जा सकता और इससे परेशानियां कई उपस्थित हो सकती हैं यदि कोई सदस्य इसके अन्दर गड़बड़ी कराने के अन्दर भाग लेता है या गड़बड़ी कराता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये।

इसके साथ ही कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि विधान सभा के सदस्यों के लिये ऐसे कोई पावर्स नहीं हैं तो इसके उत्तर में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इलेक्शन कमिश्नर्स को बहुत वाइड पावर्स दे रखे हैं। उसमें जो भी ऐसे डिसक्वालिफिकेशन के वर्क करता है तो उसको हटा दिया जा सकता है। वह आफिस आफ प्राफिट को प्राप्त करता है या सरकार से भत्ता प्राप्त करता है जैसा कि विन्ध्य प्रदेश में कई माननीय सदस्यों ने किसी एक कमेटी के सदस्य होने के कारण उन्होंने कोई भत्ता प्राप्त किया तो वे उसके अन्दर डिसक्वालिफाइड हो गये और उनको हटाने की नौबत आ गई। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सदन के सदस्य भी यदि घृणात्मक कार्य करते हैं तो सदन उनको हटा सकता है। ऐसा प्रोविजन भी है और ऐसा उदाहरण भी है जैसे कि मुदगल का उदाहरण है। उन्होंने

[श्री सोहनलाल भटनागर]

इस तरह का कार्य किये कि सदन को उनको हटाना पड़ा। तो कोइ भी मेम्बर किसी प्रकार का कोई घृणास्पद का कार्य करता है तो उसको हटाने के जा पावर्स होंगे तो जनता के लिए और सरकार के लिए ठीक चीज होगी।

दूसरे जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि उनके ५ वीं सबक्लॉज के उनके अमेंडमेंट रखने से कुछ बातें जरूरी होंगी। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यह अमेंडमेंट रख दिया कि कलेक्टर और कमिश्नर के बजाय यह जो पावर है वह स्टेट गवर्नमेंट में निहित हो। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे जो मेम्बर्स होंगे तो उनको नोटिस देंगे और नोटिस देने के बाद सुनने का मौका देने के बाद निर्णय करेंगे तो ऐसी सूरत में निवेदन करना चाहूंगा कि उससे सब क्लॉज ५ रिडन्डेन्ट होती है। ऐसी सूरत में स्टेट गवर्नमेंट उसको नोटिस देंगी और हटायेगी और उसको वापिस रखने का अधिकार है तो निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रश्न को डेफर कर दिया जाय और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसको मानलिया जाय तो कन्सेक्वेन्शल जितने भी अमेन्डमेन्टस हों तो बहुत जल्दी ही तय हो सकेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल को ठीक रूप से जो मैने विचार प्रस्तुत किये हैं उनको देखते हुए जो ठीक प्रस्ताव हो उसे सदन अपनाये।

श्री द्वारकादास पुरोहित—यह बिल मेरे ख्याल से उन थोड़े बिलों में से है कि जिसको सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर्स ने जो राय अपने वहां पर दी है उस राय के खिलाफ भी उन्हें यह महसूस हुआ कि वह इस सदन में तरमीम पेश करें। यह कन्वेंशन के खिलाफ होते हुए भी मैं इस चीज़ का यहां पर इसलिए स्वागत करता हूँ कि उन्होंने आखिर महसूस तो किया कि यह इतनी बड़ी गलती सिलेक्ट कमेटी के टेलीब्रेशन्स के वक्त नोटिस में आते हुए भी उसे वह दुरुस्त नहीं कर पाये कि चुने सदस्यों को हटाने, सस्पेन्ड करने के बारे में कलेक्टर्स और कमिश्नर्स को पावर्स दिये जायं। आज विधान के अन्दर, दूसरे देशों के विधानों की तरफ निगाह डालें तो ऐसे प्रोवीजन्स तो जरूर मिलते हैं कि जिनमें चुने हुए सदस्य को हटाने के लिए रिकाल करने के प्रोवीजन्स हैं इलेक्टर्स को वे रिकाल कर सकते हैं इस बात का प्रोवीजन स्वीटज़रलेन्ड और रशिया तथा और भी एकाध जगह मौजूद हैं। उन प्रोवीजन्स की तरफ तवज्जह नहीं देते हुए सीधा सा यह प्रोवीजन्स की तरफ तवज्जह नहीं देते हुए सीधा सा यह प्रोवीजन डाल दिया गया कि कलेक्टर्स और कमिश्नर्स को यह अधिकार दे दिया जाय जिससे कि सीधे तौर पर कलेक्टर्स, कमिश्नर्स या सरविसेज के यह अधिकार से किया जाय। आखिर आज के जमाने में हम म्युनिसिपलिटीज़ और पंचायतों को जन्म दे रहे हैं, स्वायत्तशासन प्रणाली की नींव डाल रहे हैं जिससे कि डेमोक्रेसी, प्रजातन्त्र, ठीक तरीके से आगे जाकर पनप सके। उसमें आज चुनाव लड़ने के वक्त हमारे यहां तथा हिन्दुस्तान में हर जगह पार्टीज़ हैं। पोलीटिकल पार्टीज़ का होना लाजिमी है अपोजीशन में और मैजोरिटी पार्टी

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

है वह भी। पोलिटिकल पार्टीज़ के होने के कारण शहर में कई तरह के झगड़े-टंटे आज के जमाने में म्युनिसिपलिटीज को भुगतने पड़ते हैं, म्युनिसिपलिटीज को टैक्स लगाना पड़ता है। यह उनका काम है अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। टैक्स के मसले को लेकर आम जनता में और म्युनिसिपलिटीज़ में झगड़े होते हैं, कुछ टैक्स ठीक नहीं लगता है तो कलेक्टर्स और कमिश्नर्स कन्फिलक्ट में आते हैं क्योंकि वे एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। कई झगड़े हो जाते हैं तो उस वक्त में उन मेम्बर्स की एक परिस्थिति रहती है और मेम्बर्स खास तौर से एडमिनिस्ट्रेटर्स के कन्फिलक्ट में आते हैं। इसलिए अगर उनको इस तरह के पॉवर्स दे दिये जायं तो निश्चय ही उन पावर्स का मिसयूज होना, एब्यूज़ होना लाजिमी है। इसके अलावा हमारे यहां इस वक्त में राजस्थान में एक दूसरी हालत है कि हमारी सरविसेज इस वक्त में, शब्द 'डिमोरेलाइज़' तो यूज नहीं करूंगा, मगर दूसरा शब्द 'व्हायल' है वह यूज करूंगा, बहुत समझदार हैं। वे इशारे से ही काम को कर देते हैं। आज जिस इशारे से पंचायतों के चुनाव कराये, हुक्म नहीं मिनिस्टर महोदय का कि इस पंचायत का चुनाव इस तरीके से करा दो: मगर उन्होंने स्वतः अपने आप इस बात को जानकर कि अमुक पोलिटिकल पार्टी का सदस्य मिनिस्ट्री के साथ में है और उनका इस फलां सदस्य में इनट्रेस्ट है, वह उनमें दिलचस्पी लेते हैं, तो उस दिलचस्पी के कारण ही हर प्रकार से उल्टा सीधा प्रयत्न करके उन शख्सों को जिताया गया और पंचायतें जिस तरह से बनाई गई हैं वह सारी गलत तरीके पर बना दी गई, और इनको बनवाने में हमारे यहा की सरविस क्लास का बहुत हाथ रहा है। उस तरीके से जो सर्विस क्लास चल रही है उस सर्विस क्लास को इस तरीके के पावर्स दे देना, मेरे ख्याल से, प्रजातन्त्र और डेमोक्रेसी को नहीं बढ़ने देने का एक कारण बनेगा और उसमें बहुत बड़ी रुकावट आयेगी। इसमें वायर पुलिंग इस तरह का होगा कि जिस तरीके से कोर्ट्स का फन्क्शन न होकर पोलिटिक्स का एक ऐसा अखाड़ा बन जायगा। जिस शख्स को नहीं चाहेंगे, पावर्स मिनिस्टर के हाथ में हैं और जिनको ठीक नहीं समझते हैं उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे और हटाने की कोशिश करेंगे। यह तरीका गलत है।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह सुझाव रखूंगा कि इसमें हमको इस धारा (खण्ड) ४५ की सब क्लॉज (२) और (४) को ओमिट करना चाहिए। उनको डिलीट करके यह पावर्स देने चाहिए गवर्नमेंट को। इस आज के युग में ऐसा होता है कि रिकॉल करने के पावर्स डालते, रिकॉल करने के पावर्स अगर होते, तो बहुत ठीक होता। आज के युग में अगर उसको नहीं अपना सकते तो कम से कम गवर्नमेंट के पास यह पावर्स रहने चाहिए। यही मेरा कहना है।

श्री मुकिलाल मोदी—माननीय उपाध्यक्ष जी, क्लॉज़ ४५ में भैरूंसिंह जी ने जो अमेंडमेंट रखा है उस अमेंडमेंट का समर्थन मैं करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह जो म्युनिसिपल एक्ट पास हो रहा है उस एक्ट में चाहिए तो यह था कि राजस्थान में ऐसी चीज कायम होती जो दूसरे प्रांत वालों को ज्यादा अच्छी मालूम देती। लेकिन आज राजस्थान में जिस तरह का एक्ट

[श्री मुकिलाल मोदी]

पास हो रहा है उस तरह का एक्ट राजस्थान में प्रजातन्त्र को कुचलने वाला है और जनता को जो अधिकार मिलने वाले हैं उन अधिकारों को न मिलने दिया जाय, इस तरह की भावना से यह एक्ट पास किया जा रहा है।

क्लॉज ४५ में कमिश्नर्स और कलेक्टर्स को जो अधिकार दिये जा रहे हैं, शहर में कमिश्नर्स को और दूसरी डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर्स को जो अधिकार दिये गये हैं, टाउन म्युनिसिपलिटीज के बारे में, उस तरह के अधिकार आज तक भी दूसरे प्रांतों में किसी भी जगह नहीं नहीं दिये गये हैं। चुने हुए मेम्बर्स को अगर हटाना चाहते हैं तो चुने हुए मेम्बरों को हटाने का जो तरीका है उस तरीके को काम में लाकर हटाना चाहिए, न कि कमिश्नर्स और कलेक्टर्स को अधिकार देकर। इस तरह से करने से चुन कर आने वाले लोगों की बड़ी तौहीन होती है क्योंकि प्रजा के चुने हुए मेम्बर्स आते हैं, उनको यदि कमिश्नर्स या कलेक्टर्स को अधिकार देकर हटाया जाय तो यह जनता की बड़ी भारी तौहीन होगी। आज हिन्दुस्तान में सब जगह जो चीज प्रचलित है वही चीज यहां भी करनी चाहिये। यदि आप चुनी हुई म्युनिसिपलिटी के सदस्यों को कमिश्नर्स या कलेक्टर्स के द्वारा हटाना चाहते है तो विधान सभा और पार्लियामेन्ट में जो लोग चुन कर आते हैं तो उनके लिये भी इसी तरह की चीज लागू होनी चाहिये। उनको भी हटाने का अधिकार राजप्रमुख को होना चाहिए और पार्लियामेन्ट के लिये प्रेसिडेन्ट को होना चाहिये। यदि इस तरह की कोई कार्यवाही करे तो उनको हटाया जा सके। यदि उनको नहीं हटाया जा सकता तो फिर म्युनिसिपलिटीज़ के सदस्यों को कैसे हटाया जा सकता है ?

आज पंचायतों के चुनाव के बारे में जो अधिकार दिये गये हैं उनका कितना दुरुपयोग हुआ है और जो जो कार्यवाही हुई है उसके बारे में कई सदस्यों ने इस एसेम्बली में बार २ कहा है। राजस्थान में किस तरह का वातावरण फैल रहा है और एक एक पंचायत के चुनाव के पीछे कितना कितना रुपया व्यय करना पड़ा है और चुनाव में किस तरह की धांधलेबाजी हुई है कि एक पंचायत के चुनाव तीन तीन-चार चार बार करने पडे हैं। हाई कोर्ट में रिट पेश हुई हैं जिनके कारण चुनाव रद्द करने पड़े है। ऐसी हालत में म्युनिसिपलिटीज़ में भी इसी तरह की धांधलियां होंगी और टाउन म्युनिसिपलिटीज कुछ काम करने के लिये आगे बढ़ने वाली हैं वे आगे नहीं बढ सकेंगी और उनके काम में हमेशा बाधा पड़ती रहेगी और मेम्बर्स यह समझेंगे कि हमारे ऊपर इस तरह का बोझ लद गया है तो आज हम जनता की क्या सेवा करें ? फिर वे अपनी तरफ देखेंगे कि किस तरह से कमिश्नर या कलेक्टर मिनिस्टर जी की हुजूरी करें या कांग्रेस बेन्चेज के बड़े मेम्बर्स की किस तरह जी हुजूरी करें और उनकी जी हजुरी में लगे रहें तो ज्यादा ठीक रहेगा नहीं तो बोर्ड के सदस्य नहीं रह पायेंगे। तो इस तरह की जो ४५ वीं धारा पास हो रही है उसे हटा देना चाहिये और पास नहीं करनी चाहिये क्यों कि राजस्थान में कोई एक्ट बने; मैं मंत्रीजी से अर्ज कर रहा हूं कि, उस में इस तरह की धारा नहीं होनी चाहिये जिसे देखकर दूसरे प्रान्त वाले कहें कि राजस्थान में इस तरह के एक्ट पास हो रहे हैं।

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

ऐसा करने से दूसरे प्रान्तों पर भी बुरा असर पडेगा। म्युनिसिपलिटीज को ज्यादा स्वतंत्रता होनी चाहिये और राजस्थान को ऊंचा उठाने के लिये राजस्थान सरकार को और विधान सभा के मेम्बर्स को कोशिश करनी चाहिये। सिलेक्ट कमेटी को भी सोचना चाहिये था कि ऐसी धारा कैसे पास कर दी? उनको पार्टी में सोच कर या किसी भी जरिये से यह धारा हटानी चाहिये, जिससे ऊंचा उठ सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, श्री भैंरुसिंहजी ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है उसको पास करना चाहिये, नहीं तो धांधलेबाजी होगी और पंचायतों में जो चीजें दिखाई दीं वे ही बातें म्युनिसिपलिटीज में भी दिखाई देंगी और वे आगे जाकर राजस्थान को उन्नति के मार्ग पर नहीं ले जाकर पीछे हटायेंगी और चुनाव में भी काफी आफत हो सकती है और जो मेम्बर चुनाव में खड़े होंगे उन पर भी बोझ होगा और राजस्थान सरकार को भी हमेशा बीमारी में पड़ना पड़ेगा। हर मेम्बर उनको आकर दबायेगा, मिनिस्टर्स को, सेक्रेटरीज़ को और दूसरे अफसरों को दबायेंगे और पचास तरह के झगड़े खड़े होंगे और दूसरे कामों से वंचित रहकर इसी काम में रहना पड़ेगा। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि इस धारा को हटाना चाहिये और राजस्थान म्युनिसिपल बिल में यदि और भी कोई धारा इस तरह की हो तो उसको हटाना चाहिये और ऊंचे स्तर पर एक्ट पास करके राजस्थान की जनता के सामने नमूना रखना चाहिये।

श्री श्रीमानसिंह—Mr. Chairman, Sir, I rise to oppose these clauses. There may be a reason behind these clauses. We must admit, as the saying goes, that give the devil his due. The only reason I can gather behind this is that in these days of growing integration of our life, economic, social and political institutions are being integrated. Then there is, Sir, a trend towards centralisation, constitutionally as well as politically, socially and economically, but to carry this centralisation to its logical absurdity is not good.

The second reason that might have led the Select Committee to insert these clauses might be to bring the local bodies to a subordinate position. They are institutions which are created by the Legislatures and their powers are delegated powers. They are not sovereign bodies. But despite this delegation and despite this move towards centralisation, we have to see and we have to create conditions that will not prove to be a brake in their smooth working. There is, however, Sir, no need to insert such methods as recall and referendum. They are special methods which should be reserved for Legislatures and Parliament.

[श्री श्रीमानसिंह]

But while opposing these powers altogether I cannot say that there is no necessity for these powers. There is a certain necessity and even those members who oppose this clause must admit, these powers should be there. But the question is in whom these powers should be vested, in the State, in the Directorate of Local Bodies, or, as is suggested, in the Appellate Board or the Collector or Commissioner. While I rule out the Collector and the Commissioner, and the Appellate Board, as suggested, I can give my support if these powers are vested either in the State or in the Director of Local Bodies. The Appellate Board, as suggested, just duplicates function. It is, more or less of the same nature as the Directorte of rural bodies. The collector, as everybody knows, is only a transitory and migrating Bird of passage in a district. He can diagnose the disease, but he cannot cure it, and to give these powers to the Collector will mean not Local Self Government, but a bureaucratisation of Local Self Govornment, which will be a bindrance to the smooth working of the Local Self Government.

There may be a third reason for giving these powers and that might be de-centralisation. Sir, decentralisation is also with reference to powers and not these powers. These powers given to the Collectors and Commissioners will hang over the Head of the Local bodies like the Democleus' sword with the result that the members will be more busy in pleasing the Commissioner and the Collector rather than working for the smooth functioning of the local bodies.

I have also to some extent studied the different constitutions of the local bodies of the world and at least have not come across such a provision. Nowhere in the countries, councils or in any of the manager plan councils in the States of America no such powers are vested in the officers. The officers' attitude should be that of the guardian, philosopher and friend and not parental attitude, an attitude which can rater be called paternalistic wherein they are given a stick to flog the child of Local Self Government over its head when goes wrong and will say you go out. This is dangerous. It may not be. But suppose I tackle this problem from other angle-for example, the people were shouting for proportional representation. So there are certain members of opposite Party everywhere. They, for example, are against the imposition of octroi. The Collector will naturally take the side of the Government. He will certainly use these powers and try to remove that member. So this is a very dangerous weapon in the hands of

[श्री श्रीमानसिंह]

the Collector and Commissioner. It is like a cut-throat which will cut the very roots of Local Self Government and hence the basis of democracy.

So I will request the Hon' bee Minister to make a fresh approach to this problem. It may be due to decentralisation. It may be due to non understanding of the subservient position of the local bodies. It may be due to an over-zeal to suppress them. But whatever the position is, these powers are not only dangerous but harmful to the smooth functioning of democracy and local self-Government.

श्री चन्दनमल वैद—माननीय उपाध्यक्ष,—

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय उपाध्यक्ष, मैं जवाब दे दूं—

श्री रूपनारायण शास्त्री—माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके द्वारा सदन से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि म्युनिसिपेलिटी बिल की धारा ४५ की उपधारा (२) के सम्बन्ध में मैंने विचार किया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य का कारण यह था कि यह विधान सभा राजस्थान का सर्वोच्च सदन है और यह प्रजातन्त्र प्रणाली का सर्वथा समर्थक है, उस सदन से इस प्रकार की धारा या उपधारा पास की जायँ जिनके कारण प्रजातन्त्र प्रणाली को हानि होती हो, प्रजातन्त्र प्रणाली की हत्या होती हो तो इससे ज्यादा क्या आश्चर्य हो सकता है! और वह भी जब उन मंत्रियों के द्वारा पेश की जाती हों जो कि यहां की सबसे बड़ी संस्था के हैं, जो कि प्रजातन्त्र की बहुत बड़ी समर्थक हैं, तो इससे बढ़ कर और क्या आश्चर्य हो सकता है? माननीय उपाध्यक्ष, यह कितने दुख की बात है कि जिस प्रजातन्त्र को हम अधिकाधिक महत्व दे रहे हैं, स्वायत्त शासन संस्थाएं, ग्राम पंचायतें, तहसील पंचायतें, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा जिसकी नींव मजबूत करना चाहते हैं और जिनको प्रजातन्त्र का स्तम्भ समझते हैं उनके लिये जो कानून हों उसमें आप यह व्यवस्था करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट की मशीनरी द्वारा उन्हें कुचला जाय। हमारे सामने कितने ही उदाहरण आ चुके हैं कि सरकार के कितने ही ऊंचे से ऊंचे अधिकारी चाहे वे कितने ही बड़े क्यों न हों, चाहे आई. सी. एस. क्यों न हों गवर्नमेंट के सामने कठपुतली की तरह नाचते हैं, गवर्नमेंट के जितने भी उच्चाधिकारी हैं वे गवर्नमेंट के इशारे पर नाचते हैं; जिस तरह कठपुतली नाचती है उस तरह नाचते हैं। हुक्म कुछ होता है और टेलीफोन से कुछ और कह दिया जाता है और उसी के अनुसार वे नाचते हैं। तो इन बातों से हम इस नतीजे पर पहुँच जाते हैं कि कलेक्टर कमिश्नर को यह अधिकार दिया है, वह सर्वथा अनुचित है। क्योंकि प्रजा तन्त्र प्रणाली से चुने हुए प्रजा के प्रतिनिधियों को इस प्रकार गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स द्वारा, गवर्नमेंट की मशीनरी द्वारा हटा दिया जाय, इससे बढ़कर प्रजातन्त्र की हत्या और क्या हो सकती है?

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

एक माननीय सदस्य ने कहा कि विधान सभा के मेम्बरों को, पार्लियामेंट के सदस्यों को चाहे वे कितने ही बड़े क्यों न हों, उनके दोष पर हटाया जा सकता है तो म्युनिसिपेलिटी के मेम्बर्स को हटा दिया जाय तो इसमें क्या दोष है ? मैं जानता हूँ कि म्युनिसिपेलिटी के सदस्य, अगर वे सदोष हों तो वे दण्ड के अधिकारी बनें, इसमें किसी भी समझदार व्यक्ति को आपत्ति नहीं हो सकती; पर इसका निर्णय किसके हाथों में हो। गवर्नमेंट के हाथों में हो, तो गवर्नमेन्ट की सत्तारूढ़ पार्टी है उसमें आपस में ही इस तरह के मतभेद रहते हैं, अन्तःकलह रहता है कि दूसरे पक्ष के व्यक्ति को अगर न चाहे तो जब भी चाहे हटा सकती है, विपक्ष के आदमियों को गवर्नमेंट हटा देती है। मैं तो गवर्नमेंट को यशस्विनी गवर्नमेन्ट बनाना चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूं कि राजस्थान की गवर्नमेंट यशस्विनी गवर्नमेंट बने, अन्य प्रान्त भी यहां के बिलों के आधार पर अपने यहां बिल बनायें, हमारी सरकार के आदर्शों का अनुकरण करें। मैं भी इस गवर्नमेंट का एक अंग हूं। चाहे कितना ही अल्प मात्रा में छोटा सा अंग हूँ लेकिन फिर भी अंग तो हूं ही। पर ऐसा होते हुए भी तथ्य की बात है वह कहे बिना नहीं रहा जा सकता। जो तथ्य की बातें हैं, जो बातें सच हैं उन्हें तो कहना ही पड़ता है। पंचायतों के चुनावों में जिस तरह की गड़बड़ियां हुईं, उनसे इन्कार नहीं किया जा सकता, पंचायतों के चुनाव जिस तरीके से कराये गये, उन चुनावों में जिस तरह सरकारी अफसरों ने नृत्य दिखाये हैं उन्हें राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति जानता है। कितनी अनियमितताएं हुई हैं, जो बात सत्य है उससे इन्कार नहीं किया जा सकता, तथ्यों से इन्कार नहीं किया जा सकता। तो फिर सरकारी कर्मचारियों की ईमानदारी पर हमें संदेह क्यों न हो जाय ? प्रत्यक्ष देख कर प्रमाण की आवश्यकता समझें इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या होगी ? प्रत्यक्ष में हानियों को देख चुके हैं तो फिर क्यों नहीं मान लें कि दूसरी संस्था के आये हुए व्यक्तियों को थोड़ा सा भी मतभेद होने पर कलेक्टर को दबाया कि ये लोग कलह प्रिय हैं, झगड़ा करते रहते हैं, सदन का समय नष्ट कर देते हैं, यह कह कर उन्हें हटाने की कोशिश करेंगे और अगर कलेक्टर न्याय पर रहता है तो उन लोगों की पहुँच मिनिस्टरों तक है, मैं मानता हूं कि वर्तमान मिनिस्टर हैं वे न्याय के पक्षपाती हैं पर पार्टी के पक्ष के सामने उनकी न्यायप्रियता का पलड़ा झुक जाता है। तो इसका अर्थ यह होगा कि प्रजातन्त्र में गवर्नमेंट की मशीनरी जिसको चाहे वह तो म्युनिसिपेलिटी का सदस्य रह सकता है और जिसे गवर्नमेंट की मशीनरी नहीं चाहे वह नहीं रह सकता। वैसी सूरत में प्रजातन्त्र प्रणाली द्वारा प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मान और प्रजातन्त्र का सम्मान गवर्नमेंट की मशीनरी के सामने नगण्य है। तो फिर यह प्रजातन्त्र है या राजतन्त्र है ? राजतन्त्र में राजा जिससे अप्रसन्न होते थे तो उसे कह देते थे कि कल मत आना। इसी तरह कलेक्टर जिसको चाहे जब कभी भी हटा सकता है, इस तरह कह सकता है कि आपको मौअत्तिल किया गया, कल से मत आना।

दण्डनीय व्यक्ति दण्ड को प्राप्त हो जाय तो इसमें किसी को कुछ कहने की बात नहीं पर अदण्डनीय व्यक्ति दण्ड पा जाय तो कितने दुख की बात होती है ?

गवर्नमेंट यह अधिकार कलेक्टरों के हाथ में रख कर यह बताना चाहती है कि गवर्नमेंट सरकारी मशीनरी की, सरकारी कर्मचारियों की, सरकारी अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता को बढ़ाना

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

चाहती है और वे मनमानी करें इस प्रकार का कानूनी अधिकार देना चाहती है, यह तो सर्वथा अनुचित और अन्यायपूर्ण है। इसीलिये तो हमने राजतन्त्र को बुरा बताया था, इसी आधार पर कि वहां स्वेच्छाचारिता चलती थी।

वैधानिक राज्य में यदि हम वास्तव में वैधानिक सम्मान लाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की मशीनरी को इतने अधिकार देना सर्वथा घातक होगा, इतने अधिकार देना हम उचित नहीं समझते। मैं यह निवेदन करूंगा कि गवर्नमेंट मशीनरी को इतने ज्यादा अधिकार नहीं देना है, गवर्नमेंट तमाम अधिकारों को केन्द्रित करना चाहती है ऐसा नहीं होना चाहिये। इसलिये मैं माननीय मंत्रीजी से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस धारा को या तो किसी तरह से संशोधित करलें या कोई ऐसी बात करें कि हाई कोर्ट के जज हों उनसे कोई भी आरोप हो उसके लिये मस्विदा करें और जो कोई आरोप हो उसका हाई कोर्ट के जजों द्वारा निर्णय कराया जावे इस प्रकार की कोई धारा जोड़ दी जावे। जिससे कि वे लोग अपना काम ठीक तरह से करें। इसलिये मैं यह कहूंगा कि इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। बस इतना ही कह कर मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता।

श्री ईश्वरी सिंह— उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट जो जो कानून बना रही है आ बात तो ठीक है। गवर्नमेंट को चाहिये कि सही कानून बनावे जिणसूं गवर्नमेंट की नींव मजबूत होवे। इण कानून में आ धारा है, इण धारा ने देखने तो मूर्ख से मूर्ख समझ सकता है कि आ धारा बिल्कुल गलत है और आ धारा तो में कहूंगा ऐसी है कि इससे गवर्नमेंट की नींव को काटने वाली धारा कह सकते हैं इण धारा में कलेक्टर और कमिश्नर ने अधिकार दियो जावे है के चुने हुए जनता के आदमी जो म्युनिसिपेल्टी में आवें उनको हटा सकते हैं। चुने हुए लोगों से सरकार के कलेक्टर और कमिश्नर नाराज हो जाते हैं। सरकार आ बात चावे के कलेक्टर और कमिश्नर भ्रष्टाचार करें, रिश्वत खावें चाहे कुछ भी करें मगर कोई लोग बोले नहीं और उनकी शिकायत करें नहीं। जनता के चुने हुए लोग ही शिकायत कर सकते हैं और इसलिए वे इन लोगों से ज्यादा नाराज रहते हैं। कोई भी काम किया जावे तो न्याय रे माफिक किया जावे। अगर कोई गैर कानूनी काम करें तो उणने निकाल फैंकना चाहिए ऐसी धारा गवर्नमेंट में रखनी चाहिये। मगर आ बात तो नहीं रखते और जनता के चुने हुए लोगों को निकालने का उनको अधिकार देते हैं यही तो उनका अक्ल का दिवाला है। अगर ऐसा रहेगा तो कलेक्टर और कमिश्नर उन लोगों को नाराजगी की वजह से निकाल कर फैंक देगा। कोई भी सांची बात कहता है तो अखरती जरूर है। आ एक बड़ी ताजुब री बात है कि गवर्नमेंट चुने हुए लोगों की है और उनके अधिकारी जनता के चुने हुए लोगों को निकाल सकते हैं। कलेक्टर और कमिश्नर उनको निकाल सकते हैं मैं तो आ कहूँगा कि जनता के चुने हुए लोगों को न तो कमिश्नर निकाल सके और न कोई कलेक्टर निकाल सके। गवर्नमेंट को पब्लिक निकाल सकती है और पब्लिक ही रख सकती है। जब वे लोग पब्लिक के चुने हुए होते हैं तो फिर उनको पब्लिक ही निकाल सकती हैं, पब्लिक ही रख सकती है। मैं

[श्री ईश्वरीसिंह]

ज्यादा न कह कर यह कहूंगा कि इस धारा को निकाल दिया जाना चाहिये जिससे प्रजातन्त्र के मार्ग का रोड़ा हट जाए।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय उपाध्यक्ष, इस धारा पर काफी चर्चा हो रही है और यह धारा है ही ऐसी कि जिस पर विचार व्यक्त होना अत्यन्त आवश्यक है। मैं भी इस सिलेक्ट कमेटी का सदस्य था जिसमें इस धारा को खास रूप में जन्म दिया गया है। मैं इस बात को बताने में हिचकिचाऊंगा नहीं कि इसको इस रूप में लाने के लिए मेरा भी खयाल था और मेरी भी इसमें जिम्मेदारी है। कारण यह कि अगर हम इसको सिद्धान्त के रूप में देखें तो आपको मालूम होगा कि म्युनिसिपेल्टी के सदस्यों के फरायज हैं वे विधान सभा के फरायजों से भिन्न हैं। म्युनिसिपेल्टी के सदस्यों को जिन जिन क्षेत्रों से वे आते हैं उनके लिये उनको एग्जिक्यूटिव पोवर्स होते हैं। इसलिए यह सोचना कि यदि वे अपनी सत्ता का दुरूपयोग करें और उसके लिए उसको कोई सजा नहीं दी जावे तो यह सोचना ठीक नहीं होगा। क्योंकि जो शक्ति उन्हें प्राप्त होती है उसका यदि वे दुरुपयोग करते हैं तो उस पर अंकुश रखना अति आवश्यक है लेकिन इसके दुरूपयोग के फल स्वरूप उनको कलेक्टरों या कमिश्नरों द्वारा हटाया जाना कहां तक वाजिब है यह सोचना है। जहां तक उनको हटाने का तरीका है एक रिफ्रेन्डम के जरिये से होता है लेकिन यह तरीका तो हमारे यहां नहीं है हमारी डेमोक्रेसी इस हद तक नहीं पहुँची है कि जिससे हम जनता से ऐसी आशा करें कि जिन्होंने उनको चुन कर भेजा है वापिस बुला लें। इसलिये हमारे सामने इसके सिवाय कि जो दशा उनकी है दंड दिया जावे, कोई दूसरा चारा नहीं रह जाता है। इसलिए यह मांग करने का प्रश्न है। इस पर दो बातें होनी नहीं चाहिए। अगर म्युनिसिपेल्टी के सदस्य अपनी शक्ति का दुरूपयोग करते हैं तो उनको हटाया जाना चाहिये। उनको किस प्रकार से हटाया जाना चाहिये इस प्रश्न को कमेटी के सामने रखा। पहले जो कानून था उसमें गवर्नमेंट को यह अधिकार था कि कोई भी व्यक्ति जो म्युनिसिपेलिटी का सदस्य हो अगर वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है तो वह उसको नोटिस देने के बाद अलग कर सकते थे लेकिन आज जो ढांचा हमारे सामने आया है और जिस रुख से हम गुजर कर रहे हैं उसकी तरफ अगर बिल्कुल ही आंख मीच कर बैठ जावें, यह तो हो नहीं सकता। यद्यपि प्रजातंत्र सरकार हमारे यहां बनी लेकिन अभी तक जिस ढंग से पार्टी का संगठन होना चाहिए जिस तरह से प्रजातंत्र डेवलप होना चाहिए और पार्टीज़ बननी चाहिए नहीं बन रही हैं। आज हम देखते हैं कि एक ही पार्टी पोवर में है और वह है कांग्रेस। दूसरी कोई पार्टी का ढांचा नहीं बन रहा है और वह इस प्रकार का ढांचा जो अोपोजिशन का रूप धारण कर ले और जो पार्टी पोवर में है उसको हर वक्त इस बात का खतरा बना रहे कि अगर हमने अच्छा काम नहीं किया तो दूसरी पार्टी उनका स्थान ले लेगी। मगर आज हमारे देश में कोई दूसरी पार्टी नहीं है। पहले कांग्रेस का राष्ट्रीय रूप था और अब वही पार्टी राजनैतिक रूप में है और आज उसका संगठन काफी विस्तृत है। उसके मुकाबले में कोई

[बेदपाल त्यागी]

दूसरी पार्टी नहीं है । उसका नतीजा यह हुआ कि अोपोजिशन नहीं है और ओपोजिशन नहीं होने का कारण ही यह उच्छृंखलता इसमें आ रही है और जिस प्रकार से यह उच्छृंखलता आ रही है उससे हम आंख नहीं मूंद सकते और जिस प्रकार से गवर्नमेंट काम कर रही है, फंक्शन कर रही है उसको भी हम नहीं भुला सकते हैं । हमारे सामने कई मामले आये हैं । मैं तो यह कहूँगा कि बदकिस्मती से मुझे तो कुछ रिटें भी दायर करनी पड़ीं । वहां पर भी पार्टी कन्सीड्रेशन हुआ, छोटी छोटी बातों पर हस्तक्षेप किया जाता है । मैं इसके आधार पर कह सकता हूँ कि लोगों पर जोर डाला गया । माननीय मंत्रियों पर जोर डाला गया । माननीय मंत्रियों ने संबन्धित मंत्री पर जोर डाला और दबाव के कारण ऐसा एक्शन लिया जिसको कभी भी न्याय संगत नहीं कहा जा सकता ।

तो हमारे सामने वे तजुर्बे भी मौजूद हैं । मैंने स्वयं ने भी अपने कुछ तजुर्बे कमेटी के सामने रखे । जब इस प्रकार के ढांचे में जब कि प्रजातंत्र शिशुकाल में गुजर रहा है जब कि दूसरी पार्टी नहीं जो दखल रख सके, इस तरह से यह जो प्रजातंत्र का बेषहै उसके ऊपर अगर गवर्नमेंट के हाथ में शक्ति देते हैं तो हो सकता है पार्टी कन्सीडरेशन के आधार पर कुठाराघात हो सकता है । इस तरह से कई बातों को महसूस करते हुये एक तरफ हम यह मससूस करते हैं कि प्रजा के चुने हुये इन लोगों को जो म्युनिसिपल फंक्शन में दुरुपयोग करता हैं तो ऐसे सदस्य को हटाया जाना जरूरी है । तो उसके लिए ऐसा कोई दूसरा तरीका देखना जरूरी है जिससे ऐसे व्यक्ति हटा सकें । इस प्रकार का निर्णय लेनेवाली संस्था नई हो और निष्पक्ष होनी चाहिए । अगर हम इस प्रकार के अधिकार गवर्नमेंट को देते हैं तो उसका दुरुपयोग हो सकता है, वह पार्टी कन्सीडरेशन के आधार पर दुरुपयोग करेगी । लिहाजा हमें ऐसी मशीनरी निकालनी चाहिये जो निस्पक्ष रूप से जांच करके म्यूनिसिपैलिटी के चुने हुये मेम्बरों पर अंकुश रख सके । काफी विचार विनिमय के बाद प्रवर समिति में यह तय हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट के बजाय कमिश्नर और कलेक्टर को यह पावर दिये जायँ । यह जो विचार व्यक्त किये जा रहे हैं कि चुने हुए मेम्बर को हटाने का अधिकार किसी ब्यूरोक्रेसी को दे, कलेक्टर अथवा कमिश्नर को दे, यह सिद्धान्ततया खिलाफ है । मैं मानता हूं कि इस दलील में काफी वजन है कि जिन लोगों को जनता चुनकर भेजती है उनको हटाने का अधिकार सर्विसेज़ को देते हैं तो यह सिद्धान्ततया गलत बात है । इस बात को स्वीकार करते हुये हमें इस बात की ओर जरूर ध्यान देना चाहिए । जैसा कि मैंने शुरू में निवेदन किया एक तरफ हमें उन मेम्बर्स पर अंकुश रखना है, हमारे म्युनिसिपेलिटी के चुने हुए सदस्य किसी प्रकार सत्ता का दुरुपयोग न कर सके इसके लिये अगर गवर्नमेंट का अंकुश रखा जाता है तो गवर्नमेंट पोलिटिकल कन्सीडरेशन के आधार पर म्यूनिसिपलिटी के सदस्यों पर दबाव डाल सकती है । ऐसी सूरत में ऐसी कौन सी मशीनरी इवोल्व की जाय जिससे दोनों काम ठीक तरह से हो जांय । इसके संबंध में बहुत सी विचार-धारायें हमारे सामने आईं । मैं समझता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने भी इस बात पर विचार किया और अपोजिशन के बहुत से मेम्बर्स ने मिलकर भी इस पर विचार किया । मेरा ऐसा ख्याल है कि हमें बीच का ऐसा रास्ता निकालना चाहिये जिससे म्युनिसिपैलिटी के मेम्बर्स न तो सत्ता का दुरुपयोग कर सकें और न उनको किसी के द्वारा हटाने से वे अपमान समझते हों ।

[श्री वेदपाल त्यागी]

माननीय उपाध्यक्ष, यह ठीक है यह दलील दी गई है, कि जैसे विधान सभा में बैठने वाले लोग चाहे जिस तरह का कार्य करें उन्हें हटा नहीं सकते। यहां पर भी कई प्रकार के इल्ज़ाम लगाये गये, जो लोग सत्ता में थे उन पर लगाये गये, लेकिन उनको हटाने का प्रोवीजन कोन्स्टीटयूशन में नहीं। इस संबन्ध में मैं एक बात जरूर बता देना चाहता हूँ जिन लोगों ने प्रिविलेजेज के संबन्ध में अध्ययन किया हो उनको यह मालूम हो सकता है कि जो प्रिविलेज एक सदस्य को इस विधान सभा का सदस्य होने के नाते मिल सकता है अगर उसका दुरुपयोग किया जाता है तो सदन को अधिकार है कि वह उस सदस्य को हटा सकता है। यह बात भी हमारी प्रवर समिति में पेश हुई थी कि इस प्रकार बोर्ड के एक सदस्य को हटाने का अधिकार बोर्ड को दे देना चाहिये जो अपनी सत्ता का दुरुपयोग करता हो। लेकिन जब इस बात पर विचार किया गया तो एक समस्या सामने आई। मान लीजिये, एक पार्टी पावर में आ जाती है तो ऐसी हालत में दूसरी पार्टी उनकी इच्छा पर निर्भर रहती है। मेजोरिटी पार्टी जिसको चाहे निकाल सकती है बाहर कर सकती है। इस प्रकार की मिसालें हमारे सामने आई हैं। अगर ऐसी हालत में बोर्ड को यह अधिकार देदेते हैं तो मेजोरिटी पार्टी माइनोरिटी पार्टी को बिल्कुल टोलेट नहीं करेगी। आज जब विधान सभा जैसी बड़ी संस्था को, जिसको विधान के अन्तर्गत काफी अधिकार प्राप्त हैं वहां भी जब माइनोरिटीज़ पार्टी की हक की बातको सिद्धान्त की बातको मन्जूर नहीं किया जाता है तो वैसी संस्था में जहां रोजाना काम पड़ता है, जहां रोजाना एक दूसरे के इन्टरेस्ट [Clash] क्लेश करते हैं वहां पर हम यह उम्मीद रखें कि मेजोरेटी पार्टी टोलेरेन्स रखेगी, यह बिल्कुल असंभव बात होगी। अगर हम बोर्ड को इस लेजिस्लेशन द्वारा इस प्रकार के अधिकार दे देते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि हम वास्तव में शक्ति का दुरुपयोग करवा रहे हैं। इस प्रकार से यह एक बडी समस्या प्रवर समिति के सामने भी आई और जैसा कि हमने कई जगह देखा अगर किसी मेम्बर को या किसी सदस्य को चेयरमेन हटाना चाहता है तो इस प्रकार की तरकीब से हटाया गया है कि मीटिंग कर ली। नोटिसेज़ जारी कर दिये गये किन्तु जिस मेम्बर को हटाना था उसको नोटिस नहीं दिया जाता है। वह शख्स बाहर गया हुआ है, उसकी अनुपस्थिति में बिना उसको सूचित किये मीटिंगें चलती हैं और फिर उसको यह कह कर कि तुम तो अनुपस्थित रहते हो इस लिये फलां फलां धारा की तहत तुम्हें अलग कर दिया जाता है। ये इस प्रकार की बातें हैं जिनको देखकर हमें यह मानना पड़ेगा कि अगर हम इस प्रकार हटाने के अधिकार प्रजा के चुने हुए मेम्बर को, बोर्ड को देते हैं तो बहुत बड़ा खतरा मोल लेते हैं। लिहाजा बहुत सोच-विचार के बाद हमने यह तय किया कि इस प्रकार की शक्ति कलेक्टर और कमिश्नर को दी जाय लेकिन मेरे पास इस दलील का जवाब नहीं है; कलेक्टर और कमिश्नर के एक्ज़ीक्युटिव पावर्स है, वे गवर्नमेंट के सबोर्डिनेट हैं। वे गवर्नमेंट के अधीन हैं। गवर्नमेंट उनसे चाहे जैसा करवाती है। विधान सभा में जितने भी सवाल पूछे जाते हैं उनको संरक्षण देने वाली गवर्नमेन्ट से कोई अगर सवाल पूछा जाता है, हमने आजतक जितने भी उत्तर देखे हैं, हमेशा हमारे मिनिस्टर लोगों ने उनको संरक्षण दिया है। जवाब चाहे कुछ भी हो लेकिन एक भी मामला ऐसा नहीं है जिसमें हम यह कह सकें, गवर्नमेंट ने किसी अधिकारी के खिलाफ कुछ किया हो। मैं यह कह सकता हूं कि सौ फी सदी जितनी भी गलतियां सरकारी अधिकारी करें उनको शह दी जाती है, हमारे मंत्री महोदयों की तरफ से हमेशा

[श्री वेदपाल त्यागी]

उनको और उनकी गलतियों को ढांकने की कोशिश की जाती है हमारे मिनिस्टरों द्वारा। यह मैं भी मानता हूँ कि कलेक्टर और कमिश्नर को ये अधिकार दे देना खतरे से खाली नहीं है। ऐसी सूरत में मैं यह निवेदन करूंगा कि इस पर पुनः विचार किया जाय। इस पर बहुत ठंडे दिमाग से विचार किया जाना चाहिये कि कौनसी मशीनरी इवोल्व की जाय जिस पर न गवर्नमेन्ट का प्रभाव हो और न गवर्नमेन्ट अपनी एग्जीक्युटिव के बल पर कोई भी काम करवाने को बाध्य न कर सके। इसलिये मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि इस क्लाज को डेफर कर दिया जाय और कुछ लोगों को अपने कोनफीडेन्स में लेकर वे इस पर फिर से विचार करें कोई ऐसी मशीनरी इवोल्व करें जिससे अकुंश भी रह सके और मेम्बर में उच्छृंखलता भी न बढने पावे और दूसरा जो पावर हम उन्हें दे रहे हैं उसका दुरुपयोग भी न हो सके इसके लिये हमें नई मशीनरी इवोल्व करनी चाहिये।

श्री श्रीदास गोयल—आप भी तो कोई सुझाव दीजिये नई मशीनरी का।

श्री वेदपाल त्यागी—वैसे माननीय सदस्यों की तरफ से कई सुझाव आये। मेरा यह सुझाव है कि अगर गवर्नमेंन्ट यह देखती है कि कोई सदस्य अपनी शक्ति का दुरूपयोग कर रहा है और वह इस काबिल नहीं है कि यह म्युनिसिपलिटी का मेम्बर रह सके तो वह चार्ज शीट देकर वह मामला डिस्ट्रिक्ट जज के सुपुर्द कर दे। गवर्नमेन्ट उसको चार्ज शीट देगी। गवर्नमेन्ट एक पार्टी होगी सुपरवीजन उसके हाथ मे होगा इन्क्वायरी का जितना सम्बन्ध होगा उससे होगा, मेरे दिमाग में तो यह सुझाव काम करता है। मेरा तो इस सम्बन्ध में यही निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय डिसकस कर लें शायद और कोई अच्छा सुझाव आ सकता है। इस मेरे सुझाव में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं वह भी मालूम हो सकता है। इसलिये मेरा तो यही निवेदन है कि इस क्लाज को डेफर कर दिया जाय और फिर सम्मिलित रूप से इस पर विचार किया जाय।

श्री सोहनलाल भटनागर—एक्ज़ीक्युटिव नेचर के पॉवर जुडिशियरी को देने चाहिये क्या?

श्री वेदपाल त्यागी (जारी रखते हुए)—एक्जीक्युटिव पॉवर्स तो नहीं, लेकिन जहां किसी के राइट्स का सवाल हो वहां तो उसका डिटर्मिनेशन जुडिशियल तरीके से होना चाहिये। यह जो हमारा राइट माना गया, जो राइट आपको एक्ट देता है, जिसके जरिये जनता आपको चुनकर भेजती है उस राइट को आप छीनना चाहते हैं तो उसका जुडिशियल डिटरमिनेशन होना चाहिये और उसके बाद में समाप्त किया जाना चाहिये।

श्री शम्भूसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय,........ ..

श्री उपाध्यक्ष—वे डेफर कर रहे हैं।

श्री वेदपाल त्यागी—यह इम्पोर्टेन्ट मेटर है, सबके विचार पहले आ जाने दें तो अच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष—इस पर और कोई अपने नये विचार आप रख रहे हों तो ठीक, नहीं तो वे डेफर कर रहे हैं।

श्री शम्भूसिंह—मैं नये ही विचार रख रहा हूँ साहब। इसमें दो बातें हैं, एक तो वे कार्य जिनके करने से वह मेम्बरशिप से हटाया जावे और दूसरा इन कामों को करने से उसको हटाने का निर्णय कौन करे, इन दो बातों पर विचार किया जावे। तो उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक उन कामों का सवाल है, तो जो म्युनिसिपल कमेटी है वह एक बोडी कार्पोरेट है तो फिर मेरी समझ में यह नहीं आया कि वे ऐसे कौन से कार्य होंगे कि जो व्यक्तिगत तरीके से मेम्बर के द्वारा होंगे और जिनसे सारी संस्था जिम्मेदार नहीं होगी। इसमें केवल एक शब्द लिख दिया गया है, और वह है :

"FLAGRANTLY"

कब कोई व्याख्या नहीं की गई कि वे कौन से कार्य होंगे। वह जिक्र हो जाना चाहिये था।

अब रहा सवाल हटाने का, तो इसका निर्णय कौन करे। तो जहां तक मैं समझता हूँ गर्वमेन्ट या गवर्नमेंट का कोई सरवेन्ट इसमें हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता। प्रवर समिति का यहसुझाव तो पहले वाले से भी बहुत खराब है। मैं तो यह समझता हूँ कि वह नगरपालिका की संस्था भी उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव नहीं ला सकती क्योंकि वह तो उन व्यक्तियों के प्रति जिम्मेदार है जिन्होंने उसे चुन कर भेजा है। कमेटी केवल अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव ला सकती है, जिसे वह चुनती है। तो ऐसी स्थिति में वह सरकार का एक नौकर उसके प्रति कैसे ऐसा कदम उठा सकता है जो कि वह संस्था भी नहीं उठा सकती। दूसरी बात भारत के किसी प्रान्त में ऐसा नियम नहीं है कि सरकार मनमाने तरीके से किसी मेम्बर को हटा दे। तो इस प्रकारके अधिकार सरकार को और सरकार के नौकर को देना खतरे से खाली नहीं है। हर वक्त यह खतरा रहेगा कि सरकार या सरकार के नौकर की इच्छा के खिलाफ कोई काम किया, या उसकी ज्यादती का भी अगर विरोध किया तो यह डर बना रहेगा कि वह कब किस सदस्य को बरखास्त कर दे और इस प्रकार सरकार के ऐसे अधिकारों की तलवार हमारे सर पर लटकती रहेगी, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह उसूल के खिलाफ बात है और उस सदस्य को बरखास्त करने का अधिकार सरकार को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिये।

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, में भी सजेशन पेश करूंगा।

अभी जो वाद-विवाद चला है उसमें उधर बैठने वाले सदस्य ने बताया कि आखिर कोई न कोई ऐसी अथोरिटी होनी चाहिये, चाहे वह हाईकोर्ट का जज हो, या कोई हो जो इस बात का निर्णय कर सके कि इसने नियम के विपरीत काम किया है; उसको सदस्यता से अलग किया जावे। इस सम्बन्ध में बम्बई का एक्ट मैंने देखा। उसमें इस प्रकार की एक धारा १८ मिली, उसका भी यहां जिक्र कर दूं। तो सदन की इच्छा पूरी हो जावेगी और उसे हम ले सकते। हैं वह इस प्रकार है :

[श्री जवानसिंह]

"Whenever it is alleged that any Councillor has become disqualified for office for any reason aforesaid, and such councillor does not admit the allegation, or whenever any councillor in himself in doubt whether or not he has become disqualified for office, such councillor or any other councillor may, and the Commissioner, at the request of the Corporation, shall apply to the Chief Judge of the Small Causes Court, and the said Chief Justice after making such enquiry as he deems necessary, shall determine whether or not such counciilor has become disqualified for being a councillor and his position shall be conclusive."

तो इस जगह हम अगर डिस्ट्रिक्ट जज मुकर्रर कर देते हैं तो इसकी इच्छा-पूर्ति हो जावेगी। इस बारे में सदन में दो राय नहीं होनी चाहिये कि एग्जीक्यूटिव के हाथों में इस प्रकार के पॉवर नहीं दिये जाने चाहिये।

पहले तो मैं कहता हूँ कि यह अधिकार देन ही नहीं चाहिये, जो धारा १७ में, ३४ में और ४३ (ई) में मन्जूर हैं। तो फिर समझ में नहीं आता कि इनके अलावा और कौनसी ऐसी चीज रह जावेगी कि जिनके लिये हमें अलग से प्रस्ताव लाने की जरुरत पड़ेगी। ऐसी धारा रखने की आवश्वकता नहीं है। पर अगर ऐसी धारा रखने की आवश्यकता समझते ही हैं तो इस तरह की धारा रख दी जावे।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपाध्यक्ष, केवल आधे मिनट मैं निवेदन करना चाहता हूँ। कलाज ४५ का प्रश्न है। मेरे माननीय मित्र ने सुझाव दिया है कि जुडीशियरी के द्वारा इन बातों का डिटर्मिनेशन किया जाना चाहिए। मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि जहां तक यह क्लाज है इसमें रिवोक करने के पावर्स कमिशनर्स और कलेक्टर्स को विद् रेस्पेक्ट टू सिटी म्युनिसिपेलिटीज और टाउन म्युनिसिपलटीज के रेस्पेक्टिवली दिये गये हैं वह बिल्कुल दुरुस्त हैं और मैं मानता हूं कि अगर वह सुझाव माननीय मित्र का मान लिया जाय तो व्यवहारिकता का बड़ा फर्क हो जाता है। हम यह जानते हैं और दूसरे मेम्बर्स भी मानते हैं कि बोर्ड में जाने वाले उसको साधन बनाते हैं और साध्य है उनका खुद का धन्धा, उनकी खुद की रोटी-रोजी का सवाल। तो मैं निवेदन करुंगा कि इस आशा से वे कई तरह की गड़बड़िया करते हैं और बहुत सी बातें सामने आती हैं और वह पॉवर्स उन जुडिशियल कोर्ट्स को देने के लिए कहते हैं कि जहां—everybody is innocent unless the guilt is proved and the benefit of doubt goes to the accused.'

इससे मिसकन्डक्ट बढ़ता चला जायगा और कोई कन्ट्रोल नहीं हो सकता म्युनिसिपेलिटीज के मेम्बर्स पर। तो मैं प्रार्थना करुंगा कि ऐसी स्थिति में जो यह मौजूदा क्लाज है इसमें कमिश्नर और क्लेक्टर्स को पावर्स दिये गये हैं वे बिल्कुल दुरुस्त हैं। अगर कोई गड़बड़ होती है, उनकी निगाह में कोई बात होती है तो एक्जीक्यूटिवली बड़ी बड़ी बातों को अन्जाम देने के लिये बड़ी सतर्कता से काम लेंगे।

[श्री श्रीदास गोयल]

माननीय उपाध्यक्ष, यह आधा मिनट ब्रह्माजी का है।

कई माननीय सदस्यों को यह वहम हो गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के सामने पोलिटिकल मिशन आगे आ सकते हैं इसलिए ऐसे अधिकार को जिम्मेदारी ऑफिसर्स पूरा करेंगे। अगर पूरा करने में किसी तरह का खयाल है कि गवर्नमेंट मशीनरी पर प्रेशर आ जायेगा तो प्रेशर के आने का सवाल आता है, तो जब हम डेमोक्रेसी को मानते हैं, उस परम्परा के अनुसार चलते हैं और दिल के अन्दर इस प्रकार की कड़ी भावना है तो वहम की दवा तो लुकमान के पास भी नहीं थी। वहम के कारण न तो पावर ठीक होगी और न शासन ही। वहम के कारण से जो दूसरी शिकायत है वह वास्तव में प्रकट रूप से इससे दूर हो जाती है कि धारा ४५ में राइट ऑफ अपील दिया गया है, अगर कोई काम हो जाता है किसी मेम्बर से मिसकन्डक्ट का, तो इस क्लाज में यह दिया गया है कि उसको सस्पेन्ड कर दें, रिमूव कर दें। अगर वास्तव में रिमूवल और सस्पेन्शन का गलत प्रयोग किया गया है। कमिश्नर्स और कलेक्टर्स ने अपने फरायज़ अन्जाम नहीं दिये हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि बाइ वे ऑफ अपील है जैसा कि माननीय मित्र ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज के यहां अपील हो सकती है। यह प्रोवीजन रखा जा सकता है। उससे वह परपज भी सर्व होगा। उससे म्युनिसिपलिटीज में अच्छा वातावरण होगा और जो मिसकन्डक्ट करने में डिसकरेजमेंट होगा। अगर किसी ने पक्षपात किया तो जुडीशियल कोर्ट में अपील में दे देंगे और वह वापिस मेम्बर को जहां का तहां बैठा देगें। ऐसी स्थिति में निवेदन करूंगा कि मंत्री जी इस पर विचार करेंगे। सारे के सारे में राइट आफ अपील करने का सवाल है उसको बदलने में उसको बिल्कुल डिसलोकेट करना है। मशीनरी ठीक ढंग से काम करे, इसके लिए हम सबकी जिम्मेदारी है।

श्री वेदपाल त्यागी—टाइम हो गया।

श्री उपाध्यक्ष—समय हो गया है। (स्वा० शा० मंत्रीजी से) आप इसे मुल्तवी कर रहे हैं। आप डेफर करना चाहते हैं।

श्री वेदपाल त्यागी—वह तब जवाब भी दे देंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—I agree to defer it.

एक माननीय सदस्य—Thank you very much.

श्री उपाध्यक्ष—इस क्लॉज को डेफर किया जाता है और सदन की कार्यवाही कल सुबह ८ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

Page No 101

(सदन की कार्यवाही १२ बजकर १५ मिनट पर दिनांक १७ अप्रेल, १६५६, के प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक–१६ अप्रेल, १६५६.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित करने की सम्बन्धित मंत्री महोदयों की अनुमति है)

४६० (६३। आर. एम.) श्री चौधरी मोटाराम, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर १०४—क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे ;

(१) तहसील सिवाने में मवेशियों की कुल संख्या कितनी है ?

(२) सरकार की तरफ से इन मवेशियों को चराने के लिये कितनी गोचर भूमि किस २ जगह छोड़ी गई है? अगर नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या सरकार को विदित है कि इस तहसील में मवेशियों को चराने के लिये बिल्कुल भूमि नहीं है जिससे वहां के लोगो को बहुत ही परेशानी उठानी पड़ती हैं ?

(४) अब सरकार गोचर भूमि कब तक कायम करेगी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) तहसील सिवाने में मवेशियों की कुल संख्या करीब ५०,०००) है।

(२) जिस जिस गांव में जो जो जमीन गोचर के काम में आती थी तहसील सिवाना के बन्दोबस्त के सिलसिले में गोचर भूमि भी दर्ज हो गई है, यह कुल भूमि करीब ३२,०००) अथवा ३२०००) बीघा है।

(३) गांव खंडर मिठूड़ा व सिलोर में गोचर भूमि नहीं लेने की शिकायत है, और इन गांवों में गोचर भूमि छोड़े जाने की कार्यवाही की जा रही है। गांव कुरड में हाल ही में ११५।) १ बीघा जमीन गोचर भूमि घोषित कर दी गई है। इसके सिवाय और किसी गांव में गोचर भूमि न होने की कोई शिकायत अब तक नहीं आई है।

(राज्य सरकार द्वारा प्राप्त लिखित उत्तर अनुसार)

४६४. (५३। सी. आई. एम.) श्री कंवरलाल जेलिया, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर ७०—क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) क्या राजस्थान सरकार ने कोटा जिले में सहरिया व कंजर जाति के लोगों की सर्वे कराई है ?

(ब) यदि हां, तो किन किन तहसीलों में इनकी आबादी कुल कितनी है ?

(स) इनको आबाद करने के लिए राजस्थान सरकार ने क्या कोई योजना बनाई है ? और क्या उसके आधार पर कार्य हो रहा है ?

उत्तर

(अ) कोटा जिले में किशनगंज व शाहबाद तहसीलों में सहरिया जाति की सर्वे कराई गई है। कंजर जाति की सर्वे नहीं कराई गई है।

(ब) किशनगंज व शाहबाद तहसीलों में इनकी आबादी करीब २४००० है।

(स) इनको आबाद करने के लिए योजना बनाई गई है, इसके आधार पर दो आदर्श ग्राम कुशलपुरा व शुभगढा, शाहबाद तहसील में बसाये जा रहे हैं। यह काम गत दिसम्बर से शुरु किया गया है, जिनमें कुल २०० कुटुम्ब बसाये जावेंगे। इन कुटुम्बों में से १२२ कुटुम्बों को अब तक १० एकड़ भूमि प्रति कुटुम्ब के हिसाब से दी गई है। इन्हें कुए खोदने के लिए ३४००० रुपयों की सहायता दी गई है जिसमें से ११४ कुए खुदाने भी शुरु हो गये हैं। पानी के कुओं के लिए २००० रुपयों की सहायता दी गई, तालाब के लिए १३००० रुपया दिया गया है, सड़क के लिए ३१००० रुपया दिया गया है, सहकारी समितियों के निर्माण के लिए १०००० रुपया दिया गया है, मकान बनाने व भूमि साफ करने के लिए ६६४०० रुपया दिया गया है केलवाड़ा में एक छात्रावास भी गत मार्च से खोला गया है।

इस तरह गत वर्ष कुल १, ५६, ४०० रुपया दिया गया है।

५०१. (१००१ सी. एम.) श्री श्रीदास गोयल, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर १४२—क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(क) क्या सवाई माधोपुर हाई स्कूल में साइन्स क्लासेज़ खोलने का सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जुलाई सन् ५५ में जरूर ये क्लासेज खोल दिए जायेगें ?

(ख) क्या कारण है कि अब तक इस आश्वासन की पूर्ति नहीं की गई ?

(ग) क्या सरकार इस संबंध में अब कुछ करने वाली है ?

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(क) जी हां।

(ख) विश्वविद्यालय ने भवन की असुविधा के कारण स्वीकृति नहीं दी।

(ग) इस वर्ष धन-राशि बजट में भवन निर्माण हेतु रखी है।

(घ) भवन निर्माण हो जाने पर शीघ्र ही विश्व विद्यालय की स्वीकृति प्राप्त की जाकर साइन्स कक्षाएं खोल दी जावेंगी।

५८२. (१३११ सी. एम.) **श्री कंवरलाल जेलिया, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर ७०**—क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने वन विभाग का मुख्य कार्यालय (चीफ कन्जरवेटर, फोरेस्ट विभाग) कोटा से हटाने का निर्णय किया है ?

(ब) यदि हां, तो क्यों ?

(स) क्या यह सही है कि कोटा गवर्नमेन्ट के विलीनीकरण के समय समझौते में वन विभाग का मुख्य कार्यालय कोटा में स्थाई रूप से रखने का निर्णय हुआ था ?

(द) यदि हां, तो उपर्युक्त विभाग को कोटा से स्थानान्तरित करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई ?

(य) क्या सरकार ने भूतपूर्व राज्य सरकारों के विलय के समय की भूतपूर्व राजधानियों में सरकार के मुख्य कार्यालय न रखने का निर्णय किन्हीं अन्य स्थानों पर भी, कोटा की तरह किया है ?

(क) यदि हां, तो किन २ विभागों को किन २ स्थानों से स्थानान्तरित किया गया ?

(ज) यदि नहीं, तो कोटा से ही स्थानान्तरित क्यों किया गया ?

उत्तर

(अ) जी, हां।

(ब) प्रशासनिक सुविधाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

(स) ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ था।

(द) अंश (स) के उत्तर की रूह से यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(य) अन्य स्थानों पर मुख्य कार्यालय को हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

(फ) इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या (ग) में आ जाता है।

(ज) इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न (ब) में आ जाता है।

५०५. (११६। आर. एम.) राव राजा श्री सरदारसिंह, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर १३७—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(१) राजस्थान में १ जनवरी, १६५६ से मार्च, १६५६ तक अति वृष्टि व ओलों आदि से रबी फसल को कहां २ हानि पहुँची है और इस सम्बन्ध की जिलेवाईज़, तहसील वाईज़ और ग्राम वाइज़ सूचना तैयार हुई है ?

(२) यदि हां, तो टोंक डिस्ट्रिक्ट में तहसील वाईज़ और ग्राम वाईज़ कहां २ कितनी २ हानि हुई ?

(३) क्या सरकार इस सम्बन्ध में रेमीशन के लिये विचार कर रही है ?

उत्तर

(१) १ जनवरी, १६५६ से मार्च, १६५६ तक ओलों से फसल को नुकसान की सूचना अब तक जिला अलवर, गंगानगर, चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाईमाधोपुर, जयपुर व भरतपुर से प्राप्त हुई है। गांव वार व तहसीलवार सूचना तैयार हो रही है। मौके पर जांच पड़ताल होकर नुकसान के नक्शे बन रहे हैं।

(२) टोंक डिस्ट्रिक्ट के गांव वाइज़ हानि के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है। अब जल्दी तैयार होकर आ जावेंगें।

(३) व (४) तहसील व गांव वाईज आंकड़े आने पर यदि नियमानुसार रेमिशन देना वाजिब होगा तो दिया जायगा।

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ४६८ का उत्तर देखिये)

नकशा कर्जदारान सिगह धुलेव तालुक देवस्थान विभाग डिवीजन उदयपुर

नं०	नाम जिसको कर्ज दिया गया	तादाद रकम जो कर्ज दी गई	तारीख कर्ज देने की	शरायत रकम कर्ज देने की	रकम वसूल हु	बकाया रही	कैफियत
१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.	८.
१.	ऑनरेरी सेक्रेटरी फील्ड क्लब उदयपुर	१५,०००	प्रथम चैत्र सुद ११ सं० २००१	व्याज दर ३ पर्सेन्ट से	१०६७॥)॥	३४३६६)॥।	
		७,०००	प्रथम सावन वदि ७ ता० १-७-४७				
		२२,०००					
२.	आर्य समाज अजमेर	२,६५,१६०	ता० ३१-३-५१	दो साल में अदा होने की दर ६ प्र०	—	३,३६,६२७॥=)	अजमेर कोर्ट में केस दायर है
३.	गोर्धनसिंहजी पिता मोतीसिंहजी मेहता सा० उदयपुर	५,०००	चैत्री सुदी १ सं०२००२	१० साल में व्याज दर ३ प्र०	४४७१=	१२४५)	फार्म नं० १० जारी हुआ
४.	गुलाबसिंहजी पिता खुमानसिंहजी बख्शी, उदयपुर	२,०००	बैसाख सुद १४ सं० १९९४	५ साल में व्याज दर ३ प्र०	२५६१॥≡)॥।	५१६।=)॥।	,,
५.	सेठ पन्नालालजी पिता चत्रभुजजी कोठारी	१३,०००	आसोज सुद ११ सं० २०००	१३ साल में व्याज दर ४॥ प्र०	१३१८८।≡)	६२६१।–)॥।	,,

१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.	८.
६.	जागीरदार पाटा भवानीसिंहजी	८,१३६)॥।	जैठ वदि १ सं० ९७	१०॥ साल में ब्याज प्र० ॥ सैं०	८६८४)	१६६॥=)	छूट की कार्यवाही जारी
७.	श्रीमानसिंह जी सारंगहे पोत कानोडा	१३,५८५।)। ४,५७५।≡।	सावन सुद ३ सं० ९६ माह सुद १ सं० २०००	१३ साल ब्याज दर ४॥ प्र०	१४,५६४।)॥।	३६०६।)	फार्म नं० १० जारी
८.	जागीरदार थाना रतनसिंहजी	६,०४०।≡॥	चैत्र वदि ६ सं० १९९३	१२॥ साल में ब्याज दर ३ प्र०	६०६०॥–)।	६॥।=)	मारफत तहसील वसूली की कार्यवाही जारी है
९.	जागीरदार बनेडा सांवतसिंहजी	२५,०००	मिगसर सुद २ सं० २००२	१७॥ साल में ब्याज दर ३ प्र०	२१८९३)॥।	१६,५९३–)	फार्म नं० १० जारी हुआ
१०.	शोभानाथजी पंचोली	८,०००	सावन सुद ३ सं० २००३	१२॥ साल में ब्याज दर ३ प्र०	५१२५॥।=)॥	४५९३–)	"
११.	जागीरदार निम्बाहेडा श्री लालसिंहजी	१४,०८२।–॥	सावन सुद ११ सं० १९९८	१४ साल में ब्याज दर ७॥ प्र०	११,४४१॥≡)॥।	८०६३॥।≡)	"
१२.	मेरूलालजी पिता लक्ष्मीलालजी सनाढ्य	५,०००	भादवा वदि १३ सं० १९९५	१० साल में ब्याज दर ३ प्र०	३४९१)	४६२४)	"
१३.	जागीरदार थाना जिला सहागं मोतीसिंहजी	६३३८	आसोज सुद १३ सं० २००५	६॥ साल में ब्याज दर ६ प्र०	५३०३॥।=)॥।	४९५३	फार्म नं० १० जारी किया.

१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.	८.
१४.	अमृतनारायण पिता ललितानारायण जी माथुर	३०००)	पोष सुद १ सं० २००६	मकान रहन रखकर किराया जमा होने की शर्त ब्याज दर ।।) प्र० सैं०		३०००)	
१५.	श्री कृष्णदत्त पिता सुखदेव नि० नाथद्वारा	५०००)	भादवा सुद ३ सं० २००३	५ साल में ब्याज दर ।।) सैं०	१०६०)	७७८०–)।	पी० डी० आर० जारी किया
१६.	श्री कृष्णकान्त पिता परसराम पालीवाल नि० नाथद्वारा	५०००)	पोष सुद १३ स० २००४	५ साल में ब्याज दर ।।) सैं०	५००)	६५६७≡)	पी० डी० आर० जैर तहत कार्यवाही जारी है
१७.	कालू पिता फतहमोहम्मद कूंजडा नि० उदयपुर	२००)	अषाढ़ सुद १४ सं० १९९५	२ साल में ब्याज दर ।।) सैं०	२१०–)	४४३।।।)।।	जामीनान के जायदाद की पतेरासी जारी है
१८.	कालूलालजी पिता इन्द्रलालजी अरहवी सा० प्रलैव	७५८६।।=)।।	अषाढ सुद १५ सं० १९५५	१५ साल में ब्याज दर ।) सैं०	६५६२≡)।।	१५२१।।)	किस्त बंदी की कार्यवाही हो रही है
१९.	मानसिंहजी पिता उरजनसिंहजी भटनागर नि० उदयपुर	२०००)	माह सुद १५ सं० २००२	१० साल में ब्याज दर ।) सैं०	२१५९=)।।।	४२४।)।।	पी० डी० आर० जारी किया
२०.	चैनराम पिता नंवलरामजी पालीवाल सा० केसुली	६०००)	भादवा सुद १ सं० २००५	६ साल में ब्याज दर ।।।) सैं०	२६६३–)।।	६००३।–)।।	

१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.	८.
२१.	चुनीलाल पिता मोहनलाल मिस्त्री	४०००)	कार्तिक वदि १० सं० १९९५	२॥ साल में न्याज दर ।≈) सै०	२२९३॥≡)	६४९६।)।	"
२२.	छोटू पिता बगसू कूंबड़ा	२००)	सावन सुद १२ सं० १९९५	२ साल में न्याज दर ॥) सै०	१७२॥)	२८२-)	"
२३.	तख्तसिंहजी पिता रामसिंहजी लोढा सा० मांडलगढ	३०००)	आषाढ सुद १२ सं० २००४	५ साल में न्याज दर ।=) प्र० सै०	२५२३।=)	१४२७॥≈)।	कार्यवाही वसूली जारी है
२४.	दीवान शाह पठान नि० उदयपुर	५००)	बैसाख सुद ४ सं० २००४	३॥ साल में न्याज दर ॥) सै०	४८५)	१६६।=)	पी०डी०आर० के जेरतहत कार्यवाही जारी है
२५.	श्री नंदलाल पिता हीरालालजी लावटी नि० उदयपुर	४५०)	कार्तिक सुद ११ सं० २००६	मकान गिरवी रखकर दिये न्याज प्र० ॥) सै०		५४४)	मकान गिरवी
२६.	मानसिंहजी पिता केसरीसिंह पंचोली सा० उदयपुर	२०००)	आषाढ सुद १२ सं० १९९६	७ साल में न्याज दर ।) सै०	१८००)	६६८≡)	पी० डी० आर० जारी
२७.	मेरूलालजी पिता नारायणलालजी पालीवाल सा० नाथद्वारा	६०००)	आसोज सुद ४ सं० २००५	६ साल में न्याज दर ।॥) सै०	४७०७।-)	४३६०)	"
२८.	भगवानदास पिता मोतीदास नि० नाथद्वारा	१५००)	माह बदी ७ सं० १९९८	न्याज दर ॥) सै०	१७॥६-)	२७॥-)॥	

१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.	८.
२९.	मेरूसिंहजी पिता सरदारसिंहजी चौधरी	११२२।≈)।।।	भादवा वदी ७ सं० १९९९	४।। साल में ब्याज ।=) सै०	१२४६।-)।।	१६३।।।=)।	पी० डी० आर० जारी किया
३०.	मांगीलालजी पिता हुकमीचन्दजी छीपा सा० सहरे	३००)	चैत्र सुद १ सं० २००२	३ साल में ब्याज दर ।।) सै०	२६४)	४०८≈)।।	,,
३१.	रूपलालजी पिता नाथुलालजी देवपुरा	४५०)	मगसर सुद १२ सं० २००६	गलतियान गैणावट मकान गिरवी रख कर ब्याज दर ।।) सै०		५७७।=)	मकान गिरवी है
३२.	लछमीलालजी पिता फतेहलालजी माथुर	६७५)	,,	जेवर गिरवी है ब्याज दर ।=) सै०		८५०)	जेवर पर
३३.	सूरजनारायणजी पिता अमृतनारायणजी माथुर	६००)	,,	जेवर पर ब्याज दर ।=) सै०		११५६।।।=)	,,
३४.	मनोहरलालजी पिता हीरालालजी पंचोली	२०६१।।।)।।।	बैसाख वदी १० सं० २००३	१०।। साल में ब्याज दर ।।) सै०	१३६५।=)।।	७३५)।।।	पी० डी० आर० जारी है
३५.	चमनमलजी फूलचन्दजी भैसा भीलवाडा	५०००।।)	आसोज सुद ४ सं० १९९९	दुकान गिरवी रखकर ब्याज दर ।।) सै०	किराया २५) रु० मा० जमा हुआ	५०००।।)	दुकान गिरवी
३६.	बानेरी नवनीतलालजी	१०००)	सं० २००४	जेवर गिरवी रखकर ब्याज दर ।) सै०		१२५३।।।≈)।	जेवर गिरवी

Page No 111

१	२.	३.	४.	५.	६.	७.	८.
३७.	गोरधनसिंहजी पिता परतापसिंहजी सहीवाल	२०००)	अषाढ बुद १० सं० १९९६	ब्याज ।) सै०	२३८८।।।-)।।।	३४।।≥)।	
३८.	गुलाबसिंहजी पिता पन्नालालजी पंचोली	२५००)	भादवा सुद १५ सं० २००४	६।। साल में ब्याज दर ।) सै०	१०००)	२७५५।।।-)।।।	पी० डी० आर० जारी किया
३९.	सरीलालजी खेतपाल नि० देलवाडा	३००१)	महा बदि ११ सं० १९८०	गलतीयान गेणावट ब्याज दर ।।) सै०	यह गलतीयान गेणावट	३००१)	गलतीयान गैणा-वट पर
४०.	श्री रामनारायण रामधरानी नि० कपासन	५७५)	गलतीयान गैणावट जमा होती है	गैशाणट ब्याज में जमा होती है	,,	५७५)	,,
४१.	श्री देवीचन्द पिता इन्दूलाल भंडारी सा० धूलेव	७६२१।।।-)।	चैत्र बदी १२ सं० १९९३	१५।। साल में ब्याज दर ३ प्र०	५५२६।-)	२१२२।।।-)	कार्यवाही नोटिस की जा रही है
	कुल योग	४,८१,५९२)।।			१,३६,६५९।।≥)।।।	४,६३६८१)।	